हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 जनवरी, 1974

(प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

वीरवार, 17 जनवरी, 1974 (प्रथम बैठक)

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12) 1
नियम 45 के अधीन मेज पर रखे गऐ तारांकित प्रश्नों के लिखित उतर	(12) 31
गैर–सरकारी संकल्प––	
(i) शिक्षा प्रणाली मैं परिवर्तन लाकर पद लिखे युवकों में वेरोजगारी दूर करने के बारे में पुनरारम्भ	(12) 34
(ii) अबोहर. और फाजिल्का आदि हरिदाणा राज्य को हसतांतरित करने हेतु	(12) 43

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 17 जनवरी, 1974 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ, में प्रातः 9–30 बजे हुई । अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Question Hour.

श्री अमर सिह : स्पीकर साहब, मैंने कई प्रश्न दे रखे थे लेकिन उनमे से आज तक कोई भी सवात यहां नही आया है । इसके वारे में मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण हूं?

Mr. Speaker : For this, you kindly come to my Chamber. Vacant Posts of J.B.T. and B.ed. Teachers

***551. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there are any posts of J.B.T. and B. ed. teachers lying vacant in the Haryana Government schools in the State at present; if so, the number thereof and the reasons therefor ?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक) : जी हां । 20 दिसम्बर, 1973 को रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार थी :–

जे ०बी०टी०	969
बी.ए., बी.एड.	695

ये रिक्त स्थान सरकार बेरा खर्च में बचत करने के हेतु रिक्त स्थानों पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण भरे नहीं जा सकते थे । कुछ वर्गो के रिक्त स्थानों को भरने के लिए विशेष स्वीकृति 11 दिसम्बर, 1973 को जारी कर दी गई थी तथा अधिकाधिक संख्या में रिक्त स्थान भरे जीएंगे ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिलावार क्या पोजीशन है?

श्री माड़. सिंह मलिक :

गुडगावा में रिक्त स्थान जे ० बी ० टी ० के 8, बी ० एड ० के 112

भिवानी में रिक्त स्थान बी ०एड ० के 7 6, जे ०बी ०टी ० के 5

सोनीपत में रिक्त स्थान बी ०एड ० के 28, जे ० बी ०टी ० के 34

जींद में रिक्त स्थान बी० एड ० के 77, जे ० बी ०टी ० के 49

महेंद्रगढ में रिक्त स्थान वी ०एड ० के 4 ह, जे ० बी ०टी ० के 110

हिसार में रिक्त स्थान बी ० एड. के 167, जे ० बी ०टी ० के 265

कुरुक्षेत्र में रिक्त स्थान दी ०एड ० के 25, जे ० बी ० टी० के 48

अम्बाला में रिक्त स्थान बी ०एड ० के 73, जे ० बी ०टी० के 152

रोहतक में रिक्त स्थान बी ० एड ० के 38, जे ० बी ०टी० के 244

करनाल में रिक्त स्थान वो ०एड ० के 52, जे ० बी ० टॉ ० के 54

चौधरी दल सिह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि इकोनोमी को ध्यान में रखते हुए ये पोस्टें फिलअप नहीं की गई । क्या मैं जान सकता हूं कि यह बच्चो के लिए घातक बात नहीं हैं?

श्री माड़. सिंह मलिक : स्पीकर साहब, ऐसी बात नही है । दस में से एक आध मास्टर तो छुट्टी पर रहता ही है । फिर आज तो पहले से बहुत कम पोस्टें खाली हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्ट्राइक में निकाले गए टीचर्ज की वजह से कितनी जगहें खाली पड़ी हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : स्ट्राइक के अन्दर निकाले गए टीचर्ज की वजह से जो पोस्ट खाली हुई थी, वे सारी भर दी गई हैं ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मन्त्री महोदय यह बताते कॉ कृपा करेंगे कि ये स्थान रक्त होने के कारण बच्चों को पढाई का नुक्सान नहीं होता? यदि होता है तो ये स्थान कब तक भरे जाने की संभावना है?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, इन स्थानों को भरने का इंतजाम कर दिय । गया है । कहीं एक आध पोस्ट यदि खाली रहती है तो वह जे ०बी ०टी ० या बी ०एड ० टीचर की रहती है और उस कमी को भी घंटी में फेर बदल करके पूरा' किया जा सकता है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहव, मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया दि, जे ० बी ० टी ० और बी ०एड ० टीचर्ज की पोस्टें अम्बाला जिला में भी खाली पड़ी हे । क्या वे

बताने की कृपा करेंगे कि यहां के लड़के जो दूसरे जिलों में भेज दिए गए हैं उनको या तो अभी, और अभी नहीं तो मार्च, अप्रैल में वापस लाने के लिए प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : इस समय तो स्पीकर साहब उन्हें नहीं लाया जा सकता क्योंकि उन्हें वहां काम करते हुए कई महीने हो गए हैं लेकिन जब जनरल ट्रांसफर का समय आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा ।

श्री हरि सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताते की कृपा करेंगे कि स्ट्राइक से पहले भी ये वकैसीज थीं क्योंकि स्ट्राइक केदौरान जो मास्टर रखे. गए थे उन्हें स्ट्राइक खत्म होने के बाद भी हटाया नहीं गया है?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, हम टीचर्ज को एडहौक बेसिज पर लगाते है । कभी किसी की सर्विस खत्म हो जाती है और कभी कोई दूसरी जगह चला जाता है । इसलिए जगह खाली होती रहती है ।

चौधरी अमर सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया दि जे ० बी०टीज० के 969 और बी ०ए ०बी०एडज० के 695 स्थान खाली हैं । क्या वे यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ये स्थान कब से खाली हैं?

श्री माडु सिंह मलिक : स्पीकर साहब, ये स्थान भरे भी जाते हैं और खाली भी होते रहते हैं इसलिए वक्त बताना तो

मुश्किल है । ये स्थान 20 दिसम्बर, 1972 को द्वाली थे और उसके बाद इन्हें भरने का इंतजाम कर दिया गया है ।

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताते को कृपा करेंगे किजो जे.बी.टी. टीचर्ज एस.एस.एस. बोर्ड से सिलैक्ट हो गए हैं उनको खाली जगहों में पोस्ट कर दिया जाएगा?

श्री माडु सिंह मलिक : अभी तो सिलैक्शन हुई ही नहीं है ।

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ऐसे स्कूल भी हैं जहां सरप्लस मास्टर बैठे हें?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, ऐसे स्कूल थे लेकिन डी.ई.ओज. को एडजस्टमैंट की इजाजत दे दी है और उन्होंने एडजस्टमैंट कर दी है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूलों मे टीचर और मास्टर पूरे नहीं है उनमें बच्चों की पढ़ाई दूसरे मास्टरों से कराई जाती है?

श्री माडू सिंह मलिक : ऐसी बात नहीं कि पूरे नहीं हैं । कहीं एक दो जगह अगर एक आध टीचर को कमी हो भी तो दूसरे टीचर की ड्यूटी लगाते ही हैं ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मन्त्री महोदय यह फरमाएंगे कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में इतनी वैकेसीज क्यों हैं? – (विध्न) – थी

माडू सिंह मलिक रू स्पीकर साहब, वहां लिखे पडे कुछ कम ही हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एडहौज बेसिज पर जो टीचर्ज अप्वायट किए जाते हैं उनको अप्वांयट करने का क्राडटेरिया क्या है?

श्री माडू सिह मलिक : स्पीकर साहब, पहले तो एम्प्लायमैंट ऐक्सचौजं से नाम लेते हैं और उसके बाद हैंड आफ दी इन्स्टीच्यूशन यानी हाई स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको अप्वायट करने के अख्तियारात हैं । मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल वो लिए डी.ई.ओ. इन्टरव्यू करता है । उसके बाद सिलैक्शन होती है ।

कृषि मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो स्पीकर साहब आप भरे आ गए जरा इसका कुछ इन्तजाम करो । – (हंसी) –

श्री माड़ सिंह मलिक : हांसी तहसील में ऐसी बात नहीं है । (हंसी) चौधरी फूल सिंह कटारिया रू क्या मिनिस्टर साहब की नालेज में यह बात नहीं है कि साल्हावास के हल्के में ऐसे स्कूल भी हैं जहां 6–6 मास्टरों की काफी दिनों से कमी है?

श्री माडु सिंह मलिक : स्पीकर साहब ऐसी बात नहीं है । हमने डी.ई. ओ. की हिदायतें कर दी हैं कि वह पोस्टें भर दें । उम्मीद है कि वे पोस्टें अब तक भर दी गरं होंगी ।

श्री के . एन . गुलाटी : क्या मिनिस्टर साहब बताने को कृपा करेंगे कि जो जे ०बी ० टीचर्ज अभी तक टैम्पोरेरी है उनको रैगुलर करने के लिए कोई गौर हो रहा है?

श्री झाडु 6 सिंह मलिक : रैगुलर करने के लिए एस.एस. एस.बोर्ड है । उन्होंने दर–ख्वास्तें दी होंगीं तो रैगुलर हो जाएंगे ।

राव दलीप सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूल में साईंस और मैथेमैटिक्स मास्टर लेट स्टेज पर लगाए गए हैं उनको ऐक्सट्रा क्लासिज लेने के लिए हिदायत की जाएंगी?

श्री माडु सिंह मलिक : यह तो स्पीकर साहब, हैडमास्टर और टीचर्ज अपने आप इन्तजाम करेंगे । ऐकस्ट्रा क्लासिज लेने के लिए हम तो कह नहीं सकते।

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पढे लिखे कम हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से यह पुछने की जुर्रत कर सकता हूं कि परसेटेज आफ लिट्रेसी हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है?

श्री माडु सिंह मलिक : नोटिस दें, मैं बता दूंगा ।

श्री गौरी शंकर : मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि डी. ई.ओ. को पोस्टें भरने के लिए आर्डर कर दिए गए हैं । क्या वे

बताने की कृपा करेंगे कि उन पर कोई अमल भी हुआ है या वे आर्डर आर्डर ही रह गए हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : अमल हो रहा है । उन्होने एम्प्लायमैंट ऐक्सचौजं से नाम मांगे और इन्टरव्यू कर दिए है । कुछ ने तो पहले ही कर रखे थे और ये हिदायात जाने के बाद उन्हे लगा भी दिया होगा । जहां इन्टरव्यू नहीं भी हुए थे उन्होंने भी अब तक इन्टस्वयू कर लिए होंगे और टीचर्ज को लगा दिया होगा ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नारायणगढ और कालका तहसील की जो लड़कियां बदली गई हैं उनको भी या तो अभी, और अभी कही तो मार्च, अप्रैल में अपनी तहसील में ही वापस लाने के लिए प्रायर्टी देगे?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो पहले भी पूछा गया था ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : वह जनाब लड़कों के लिए था, परझू यह लड़कियों के लिए है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात ।

श्री माडू सिह मलिक : स्पीकर साहब, बात यह है कि उस वक्त अम्बाला जिले के अन्दर स्टाइपैडरी लड़के और लड़कियां जो थे वे सरप्लस थे । उनको कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद में भेज दिया गया है । वे इस वक्त वहां काम कर म्बे हैं इसलिए इस

समय तबदीली का होना मुश्किल है । जनरल ट्रांसफर के वक्त जिस किसी का केस बनता होगा और इधर जगह खाली होंगी तो गौर करेंगे ।

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मन्त्री महोदय यह वताने की कृपा करेंगे कि उन मास्टरों के खिलाफ जो स्ट्राइक के दौरान लीडर बने हुए थे और न पहले पढ़ाते थे और न अब ही पढ़ाते हैं कोई ऐक्शन लिया जाएगा?

श्री माडू सिह मलिक : अगर किसी के खिलाफ इस किस्म की शिकायत आएगी कि यह काम नहीं करता है तो जरूर ऐक्शन लेंगे ।

श्री के. एन. गुलाटी : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमैंट हायर सेकेण्डरी स्कूल फरीदाबाद में बायालौजी टीचर को जो जगह खाली पड़ी हैं उसे कब तक भर दिया जाएगा?

श्री माडु सिंह मलिक : इसके लिए तो सैप्रेट नोटिस चाहिए जी ।

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि उन टीचर्ज केलिए जिन्होंने एडहौक बेसिज पर होते हुए स्ट्राइक में हिस्सा लिया है कोई ऐसी इंस्टूक्शन्ज जारी की गई हें कि उनकी अप्यायटमैंट न की जाए?

श्री माडू सिंह मलिक : जी नही । हमने तो ऐसी इन्स्ट्रक्शन्ज जारी की है कि उनके ऊपर पाबन्दी कोई नहीं है ।

चौधरी शिव राम वर्मा :क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जो टीचर्ज टैम्परेरी है उनको कब तक पक्का कर दिया जाएगा?

श्री माडु सिंह मलिक : पक्का तो एस.एस.एस. बोर्ड ने करना है, ऐसे तो कोई नही कर सकता ।

Recovery of Loan from the low income Group Housing Scheme.

***606: Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether orders for Iumpsum recovery of loans were passed by the Collector Jind against the defaulters who received loans under the Low Income Group Housing Scheme in the years 1970-71 and 1971-72;

(b) if so, the names of persons alongwith their addresses who have repaid the outstanding loans against them as referred to in part (a) above ; and

(c) the number and names of persons alongwith their addresses against whom the amount of recovery is still outstanding as referred to in part (a) above ?

सिचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) :

(ए) हां ।

(बी) (1) श्री महेद्र सिंह, सुख श्री देस राज, जींद ।

(2) श्री रिसाल सिह, सुपुत्र श्री चुनी राम, संगतपुरा, जिला जींद ।

(सी) पांच

(1) श्री फकीर चन्द, सुपुत्र श्री छनिया राम, नरवाना ।

(2) श्री पूर्ण सिंह, सुपुत्र श्री हरनारायण, जुलाना ।

(3) श्री जाती, सुपुत्र श्री रानियां, गांव डुमरया कलां ।

(4) श्री सरदार सिंह, सुपुत्र श्री राम, गांव उचाना कला ।

(5) श्री मनफूल सिंह, सुपुत्र श्री देवतिया, गांव ईकस, जिला जींद ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने जो सवाल पूछा था, उसमें यह है कि सन् 1970– 7 1 और 1971– 72 में लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत जिन लोगों ने तीन लिया था उनमें से कितने लोगों को डी.सी. जीद ने लम्पसम रिकवरी के आर्डर किए थे और उनमे से पेमैंट कितने लोगों ने की है? जवाब

मिला है कि सात में से दो ने पेमैंट कर दी है । अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस रिकवरी आर्डर पर अभी तक शामिल नहीं किया है क्या सरकार उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लेने को तैयार है?

श्री बनारसी दास गुप्त : स्पीकर साहब जो डिफाल्टर थे उनके लिए लम्पसम रिकवरी है पेज लैन्ड रेवैन्यू आर्डर कर दिए है और कोशिश की जा रही है कि पक्का से जल्दी वसूली' की जाए ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो 6–7 केसिज लम्पसम रिक– वरी के है इनमें से लम्पसम के आर्डर किस बिना पर किए गए हैं? क्या उन्होंने मकान नहीं बनाए या कोई और वजह हे?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, अलग–अलग केसिज हैं । कायदा है कि अगर कोई भी लोनी लगातार लोन की दो किश्त न दे और गवर्नमैंट की मंजूरी वह पहले हासिल न करे तो उसके खिलाफ एक मुश्त रकम की रिकवरी के आर्डर दे दिए जाते है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ये रिकवरी ऐज लैन्ड रैवैन्यू रिकवर करने के कब आर्डर जारी किए?

श्री बनारसी दास गुप्त : किस केस को आप पूछना चाहते है?

चौधरी राम लाल वधवा : जिनकी रिकवरी' रहती है ।

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

चौधरी आर्डर रजाक खां : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिन लोगों की किश्तें बकाया हैं और अगर वे उन किश्तों को नहीं देते हैं तो उनको हवालात में क्यों वन्द किया जाता है जब कि उनके मकान और दूसरी जमीन वगैरह की गारन्टी होती है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, रिकवरी करने का जब हमारे पास कोई और चारा नही होता तो आखिर हवालात में बन्द करना ही पड़ेगा ।

चौधरी दल सिंह : अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि लैन्ड रेवैन्यू के तहत रिकवरी करने के आर्डर कर दिए गए है । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की किश्तें बकाया हैं क्या उनमें से किसी के पास मकान या जमीन नहीं है?

श्री बनारसी दास गुप्त : यह इनफर्मेशन नहीं है ।

चौधरी दल सिंह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जिनके पास जमीन है उनसे कैसे वसूल करना चाहते ह?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

चौधरी अब्दूर रजाक खां : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जब किसी लोनी से मकान की या जमीन की जमानत ली हुई है तो फिर भी उसको हवालात में क्यों बन्द किया जाता है? उसके खिलाफ और ऐक्शन लिया जाना चाहिए ।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

T.B. Control Programme

***681. Chaudhri Mehar Chand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of the Districts and Tehsils in the State where the T.B. Control programme has been introduced so far;

(b) whether the scheme as referred to in part (a) above is likely to be further extended to the remaining districts of the State ; and

(c) if so, the time by which the said scheme is likely to be introduced in the other Districts of the State ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) यह प्रोग्राम निम्नलिखित जिलों में चालू हो चुका है रू—

1. रोहतक'

2. गुडगाव

3. हिसार

4. महेद्रगढ

5. जीद

6. करनाल

7. अम्बाला

(बी) जी हां ।

(सी) वर्ष 1974– 75 में यह प्रोग्राम भिवानी और कुरुक्षेत्र में चालू करते का प्रस्ताव है । वर्ष 1975–76 में धन–राशि के उपलब्ध होने' पर इसे जिला सोनीपत में भी चालू करने का प्रस्ताव है ।

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि यह जो प्रोग्राम आपने मुखतलिफ जिलों में चालू किया है इराके तहत टी०बी० को कन्ट्रोल करने के लिए क्या–क्या सहूलियतें दी जाती हैं, कैसे कन्ट्रोल की जाती हैं, दवाईयों से की जाती हैं या कोई और तफतीश की जाती है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, यह सैन्ट्रली सपौसर्ड प्रोग्राम है । जिस जिले के अन्दर टी.वी. सैन्टर होता है, अगर उस जिले की सात लाख से ऊपर पापुलेशन है तो वहां पर दो मैडीकल आफिसर होते हैं और जिस जिले की सात लाख से

कम पापुलेशन है वहां पर एक मैडीकल आफिसर होता है । हमारे यहां सभी जिलों में दो मैडीकल आफिसर इसके अलावा दो टी.बी. हैल्थ वीजिटर होते हूँ, दो लैबोरेटरी टैक्नीशियन होते हैं, एक एक्सरे टैक्नीशियन होता है, एक स्टैटिसटिकल असिसटैन्ट होता है, एक कलक होता है, एक ड्राइवर होता है और दो क्लास फोर के आदमी होते हैं । सैन्टर के अन्दर एक बी.सी.जी. मे होती है जिसका लीडर बी.सी.जी. टैक्नीशियन होता है वह जगह–जगह पर जाती हूं और देहातों के अन्दर लोगों को देखती है जिनको दस दिन से ज्यादा की खांसी होती है इनको चौक करते हैंय बनको प्राइमरी हैल्प सैन्टर वगैरह में जो भी वहां पर नजदीक लेवेलेबल हो वहां पर उसका स्पूटम टैस्ट करवाते हैं, उसकी जो भी रिपोर्ट हो वह डिस्ट्रिक्ट के सैन्टर को भेज देते हैं । अगर वे जरूरी समझते हों, तो उसको वही पर ले जा कर इलाज हैं यानी जहां पर भी हमारे टी.बी. केबैड्ज उपलब्ध हों, वहां पर ले जाकर रखा जाता है। वहां पर इनका इलाज किया जाता है । नही तो डामीसाईल ट्रीटमैंट ही देते हैं ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदया यह बताने, का कष्ट करेंगी कि जहां पर भी ये टी.बी. के सैन्टर हैं वहां पर सब से ज्यादा टी.बी. के मरीज कहां पर हैं?

Mr. Speaker : Order please. It is not a supplementary question.

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि हिसार में जो टी.बी. कन्ट्रोल प्रोग्राम इष्ठोड्यूस हुआ है, उसने गांवों गांवों में जाकर पिछले साल कितने के मरीजों का इलाज किया है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हूँ कि यह जो हिसार का सैन्टर है यह कोये फाइव ईयर ब्यान में एस्टेबलिश हुआ है । इन्होंने जगह–जगह जाकर लोगों को चौक किया है । मेरे पास ईयरवाइज लिस्ट है कि कितने पेशैन्ट का ट्रिटमैंट किया गया और कितने को वैक्सीनेशन लगाए गए लेकिन अलग से हिसार की सूचना नहीं है ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि हमारे प्रांत में टी.बी. के मरीजों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है?

श्रीमती शारदा रानी : आबादी के साथ ही साथ तथा खोज किए जाने के कारण बढ रही है

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : मन्त्री महोदया ने अभी बताया है कि सख्या बढ रही है । क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि जो कन्ट्रोल के सैन्टर खोले हैं वहां पर कोई सैनीटोरियम खोलने का भी विचार है?

श्रीमती शारदा रानी : ऐसा नहीं कि टो .बी. के मरीजों की संख्या बढ़ रही है मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब यह

था कि अब केसिज ढूंढे जा रहे हैं, पहले कोई इन केसिज को ढूढता नहीं था । इसके अलावा हमारे पास जो हिसार में हास्पिटल हैं वह एक तरह से टी०बी० सैनीटोरियम ही हैं क्योंकि केसिज और जगहों परं टैस्ट करके यहां लिए जाते हैं । जब किसी मरीज को ज्यादा टाईम तक रखना पड़ता है तो हम हिसार में हीं रखते हैं वहां पर हमारे पास 75 बैड्ज का हास्पिटल है ।

चौधरी पीर चन्द्र : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि हिसार में जो टी ०बी० हास्पिटल है उसमें 75 बैड्ज का जो प्रबन्ध है वह चूकि वहुत ही कम है इसलिए वहां परं 200 बैंडज का प्रबन्ध करने पर सरकार विचार करेगी?

श्रीमती शारदा रानी : क्या आप ये चाहते हैं कि तपेदिक के मरीजों की संख्या बढती ही जाए?

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि पिछले वर्ष कितने रोगियों को ठीक किया गया और कितनों को तपेदिक होने से बचाया गया?

श्रीमती शारदा रानी : सन् 1972 में 51, 848 मरीजों का इलाज किया गया और 3,70, 629 आदमियों को बी.सी.जी. के वैक्सीनेशन किए गए । श्री हरि सिंह रू क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि हरियाणा स्टेट में जो हिसार में हास्पिटल है उसमें टी.बी. के इलाज का मुकम्मल प्रबन्ध है?

श्रीमती शारदा रानी : जी है, उसके लिए ही ये सारी बात हो रही है ।

लाला रुलिया राम : क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कोशिश करेंगी कि करनाल में जो टी.बी. हास्पिटल है उसको कितनी एड दी जाती है और कितने मरीजों का इलाज करने में वहां पर सरकार कामयाब हुई है?

श्रीमती शारदा रानी : इस समय अलग से मरीजों की संख्या तो नहीं हैं लेकिन वहां पर 22 बैड्ज का हास्पिटल है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि हिसार के टी.बी. हास्पिटल में दाखिल होने के लिए कितने मरीज वेटिंग लिरट में हैं और कितने दिनों के बाद वहां पर नम्बर आ जाता है?

श्रीमती शारदा रानी : यह इनफमेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है । परन्तु वेटिंग लिस्ट में रहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चौधरी मेहर चन्द्र : क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि टी०बी० के मरीज किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हैं?

श्रीमती शारदा रानी : डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर्ग्ज नहीं हैं । नोटिस दे दे । जवाब दे दिया जाएगा ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि करनाल के अन्दर जो टी ०बी० हास्पिटल है उस पर सालाना क्या खर्च हो रहा है?

श्रीमती शारदा रानी : जहां तक टी०बी०. हास्पिटल का प्रश्न है, वह तो जो हास्पिटल होता है उसी के अन्दर होता है और जो हास्पिटल के अन्दर टोटल ऐक्सपैडीचर होता है उसमें टी ०बी ० हास्पिटल का खर्चा भी शामिल होता है । लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में ऐक्सपैडिंचर ऐक्सपैडीचर टी०बी ० सैन्टर का एक लाख छब्बीस हजार रुपए है ।

शाह हकूमत राय : मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 22 बैड्ज का टी ०बी ० हास्पिटल है । पानीपत, जो कि एक लेबर टाउन है, वहां पर इस मर्ज के ज्यादा मरीज होते हैं । इसलिए क्या वे बताएंगी कि पानीपत में उनके लिए सुविधा देने के लिए कोई एक और सैन्टर खोलने का सरकार कोई इरादा रखती है?

श्रीमती शारदा रानी : नहीं, अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट में ही खोल न्हे हैं । करनाल में जो 22 बैड्ज हैं लेकिन गुडगावां में सिर्फ दो ही है और ये सिर्फ ऑवजरवेटरी बंड्ज हैं । किसी को लम्बे इलाज के लिए रखना हो तो हिसार के हास्पिटल में ही भेजा जाता हूँ ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर. साहब, मैंने नारनौल में टी०बी ० सैन्टर में जाकर देखा है, वहां पर बैड्ज कम थे और मरीज ज्यादा थे । क्या मन्त्री महोदया यह बताएगी कि एक बैड में कितने मरीज अलाऊ करते है? (हंसी)

श्रीमती शारदा रानी : अगर राव साहब कोई पेशैन्ट भेजना चाह तो भेज दे, हम और बैड लगवा देंगे । (हंसी)

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह) : स्पीकर साहब, शाह हकूमत राय ने एक सवाल अभी– अभी पूछा थाकि क्या पानीपत में लेबर के लिए कोई अरेजमैंट है? मैं उसके बारे में हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो ई.एस. आई. का हास्पिटल है, उसमें लेबर के टी.बी. पेशैन्टस के लिए इन्तजाम है ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदया यह बताने को छुपा करेंगी कि उन्होंने जिन मरीजों का अब तक का इलाज किया है, उनमें महिलाए ज्यादा हैं या आदमी ज्यादा हैं?

श्रीमती शारदा रानी : इस वारे में मेरे पास अलग से फिर्ग्ज नही हैं । नोटिस दे दें तो वता देगे । नैचुरली महिलाएं ज्यादा होगी ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदया यह बातने की कृ पा करेगी कि एक मरीज को नाम दर्ज कराने के बाद कितने दिनों के वाद वैंड मिल जाता है? मेरे कहने का मतलब यह है कि एक मरीज को दाखिल करने में कितना टाईम लग जाता है?

श्रीमती शारदा रानी : यह तो बीमारी की सीरीयसनैस पर निर्भर करता है ।

श्री हरि सिंहः क्या मन्त्री महोदया यह वताने को कृपा करेगी कि फस्ट नवम्बर, 1966 से आज तक हरियाणा के टो ० बी ० हास्पिटलो में कितने टी ० वी० मरीज ठीक हुए है?

श्रीमती शारदा रानीः जो संख्या मैने वताई है, यह उन मरीजों की संख्या है, जो हमारे हास्पिटलो से इलाज करवा कर ठीक हो चुके हैं इनकी ईयर–वाईज डिटेल्ज मेरे पास हैं । इसका जोड़ वह खुद कर लै । 1968 से लेकर 1972 तक की फिर्ग्ज मैं बता रही हूं । 1968 में 25, 770, 1969 में 28, 243, 1970 में 40, 379, 1971 में 44, मै 81 और 1972 में 51,848 मरीज ठीक हो चुके है ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मन्त्री महोदया यह फरमाएगी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में टो वी ० को बढाने की कोशिश क्यों की जा रही है?

श्रीमती शारदा रानी : जनाब, हम तो घटाने की कोशिश कर रहे है ।

श्री धजा रामः मंत्री महोदया ने अश्वने जवाब में यह कहा है कि जींद में भी टी ० वी ० हास्पिटल खोला है । क्या उस हस्पताल की अकोमोडेशन सिविल हस्पताल में है या उसके लिए

जगह का कोई अलग इन्तजाम है? अगर अलग इन्तजाम नहीं है तो क्यों नहीं है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहव, अभी तो टी ० बी ० हास्पिटल, सिविल हास्पिटल में ही हूँ । जव वहां पर नया हास्पिटल बन जाएगा तो पुराने अस्पताल को टो ० बी० अस्पताल में कनवर्ट कर देंगे ।

Orthopaedically Handicapped Children

***697. Chaudhri Surjit Singh Mann :** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state—

(a) the total number of Orthopaedically handicapped children who are residing in the institution at Saket as on 31st March, 1973 ; and

(b) the details of the facilities which are being provided to them ?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) :

(a) 75.

(b) The inmates are provided free diet. The hospital, apart from giving surgical, medical occupational therapy and physiotherapy treatment, provides facilities for Academic education, vocational training and rehabilitation.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971– 72 और 1972– 73 में इस इस्टीच्चूशन पर कितना खर्च किया गया है ?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, जो यह स्कूल है उसका कुछ ऐक्सपैंडीचर डी.पी. हाई० यानी एजुकेशन डिपार्टमैंट करता है, कुछ हास्पिटल से कन्सर्ड जो पोर्शन है उसका खर्चा हैल्थ डिपार्टमैंट बीयर करता है और कुछ भाग सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट बीयर करता है । डिटेल्ड फिर्ग्ज मेरे पास नहीं है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग ऐक्सीडैंट वगैरा में आरथोपैडीकली हैन्डीकैपड हो जाते हैं, उनकी रिहैब्लीटेशन के लिए भी हरियाणा में कोई सैन्टर खोला जाएगा? मेरी इतलाह के मुताबिक हरियाणा में अब तक इसके लिए कोई सैन्टर नहीं ह?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, यह जो सैन्टर है, इसकी कैपेसिटी 1 00 आदमियों की है लेकिन अब तक इसमें सिर्फ 81 लोग हैं । इस वक्त भी इसकी कैपेसिटी सरप्लस है

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने को कृपा करेंगे कि खर्चे की ब्रेक–अप क्या हैं? उन्होंने यह बताया है कि इसमें सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट, हैल्थ डिपार्टमैंट और डी.पी.आई. कास्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या वे बताएंगे कि किस–किस डिपार्टमैंट की

कितनी– कितनी कान्स्ट्रीब्यूशन है और एक स्टूडैन्ट पर टोटल खर्च कितना आता है?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहव, वहां पर दो एम.बी.बी. एस. डाकटर्ज हैं, पैरा मैडीकल स्टाफ और ऐक्स–रे फैसिलिटीज हैं । इसका सारा ऐक्सपैडीचर हैल्थ डिपार्टमैंट बीयर करता है । वहीं पर 5 मिस्ट्रैसिज और एक हैंड मिस्ट्रैस है । इनका सारा खर्चा डी. पी.आई. बीयर करता है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर दाखिले का क्या सिस्टम है?

श्री श्याम चन्द : वहां का जो सर्जन है, वह सर्टीफाई करता हूँ और उसकी रिकमैंडेशन पर ही ऐडमिशन होती है ।

श्री हरि सिंह : मंत्री महोदय ने यहां पर यह बताया है कि इसमें जो सीटें हैं, वह भी पूरी भरी हुई नही हैं क्या इसका कारण यह नहीं है कि आम लोगों को यह पता ही नहीं है कि स्टेट में गवर्नमैट की तरफ से इस किस्म की फैसेलिटीज भी प्रोवाइडिड हैं?

श्री श्याम चन्द : जिसको ट्रबल होती है, वह हास्पिटल में जाता जै और हरेक डाक्टर को इस इंस्टीच्यूट के बारे में पता है । यदि वह ठीक समझता जै तो वहां के लिए रिकमैंड कर देता है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहब, यह जो इस्टीच्यूट है, यह तो आरथो मैडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए है । मैंने मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि जो लोग ऐक्सीडैन्टस वगैरा की वजह से हैंडीकैप्ड हो जाते है, जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती क्या उनके लिए भी कोई ऐसा सैन्टर बनाने की सम्भावना है? मेरी इतलाह के मुताबिक हरियाणा में ऐसा कोई सैन्टर नही है ।

श्री श्याम चन्द : हम तो वहां पर सब को ही एडमिट कर लेते हैं ।

Colleges

***707. Shri Jagjit Singh Tikka :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Colleges as existed in the State as on 1st May, 1968 and as on 31st December, 1973, separately; and

(b) the number and names of the Colleges in which post -Graduate Education is being imparted in the State ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मन्वी (श्रीमती प्रसनी देवी) : वांच्छित सूचना सदन की मेज पर रखी है ।

सुचना

(क) हरियाणा राज्य में कालेजों की सख्या इस प्रकार सै :–

	1– 5–68	31–12–73
राजकीय कालेज	10	14
अराजकीय कालेज	37	87
कुल	47	101

(ख) निम्नलिखित 15 कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाई जा रही हैं:–

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
1	एस ०डी० कालेज, अम्बाला छावनी ।
2	हिन्दू कालेज, सोनीपत ।
3	राजकीय कालेज, हिसार ।
4	डी.ए.वी. कालेज, अम्बाला शहर ।
5	जी.एन.एन. कालेज, अम्बाला छावनी ।

6 आर्य गर्ल्ज कालेज, अम्बाला छावनी ।

7 एस.ए. जैन कालेज, अम्बाला छावनी ।

8 वी.एन.सी. राजकीय कालेज, भिवानी (सायं कालीन कक्षाए)

9 राजकीय कालेज, गुड़गांवा ।

10 दयानन्द कालेज, हिसार ।

11 राजकीय कालेज, जींद ।

12 दयाल सिंह कालेज, करनाल ।

13 इन्द्रा चक्रवर्ती राजकीय महिला विश्वविद्यालय रोहतक ।

14 एम.एल.एन. कालेज, यमुनानगर ।

15 गुरु नानक खालसा कालेज, यमुनानगर ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब. मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि 31 दिसम्बर 1973 को प्रांत में 14 गवर्नमैंट कालेज थे । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने वीमैन कालेज हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : एक वीमैन कालेज रोहतक में है । गवर्नमैंट का तो वही एक वीमैन कालेज है ।

श्री के. एन. गुलाटी : स्पीकर साहब. प्रांत में कालेजों की बहुत कमी है । फरीदाबाद में एक गवर्नमैंट कालेज जवाहर लाल नेहरू कालेज के नाम से है । वहां पर 7 सैक्टर में एक बहुत अच्छी स्कूल की बिल्डिंग है । क्या ऐसे स्कूलों में मार्निग या ईवनिंग शिफ्ट में पोस्ट ग्रैजुएट स्टडीज के लिए कोई इन्तजाम किया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब पोस्ट–ग्रैजुट स्टडीज का जो इन्तजाम है वह हमने पहले ही काफी कालेजों में किया हुआ है । पोस्ट ग्रैजुएट टीचिंग दरअसल यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए । अब हमारी पालिसी यह है कि जहां पर पहले हमने पोस्ट ग्रेजुएट की आज्ञा दे दी, वह तो दे दी लेकिन आगे के लिए कालेजों में न देकर यूनिवर्सिटी में इन्तजाम करेंगे ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि करनाल में भी कोई गवर्नमैंट कालेज खोलने की योजना है?

श्री माड़ सिंह मलिक : नहीं जी ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृ पा करेंगे कि क्या हरियाणा के अन्दर कोई ला–कालेज खोलने की प्रपोजल है क्योंकि हमारे यहां कोई ला–कालेज नहीं है?

श्री माड़ सिंह मलिक : कुरुक्षेत्र में कुल ।

श्री जगजीत सिह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, अभी तो बजट में कोई ऐसा प्रोविजन नही है लेकिन जब भी कोई बजट में प्रोविजन होगा तो नारायणगढ में कालेज खोलने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा?

श्री माडु सिंह मलिक : स्पीकर साहब, जब कोई प्रोविजन हो सकेगा तब बैकवर्ड एरियाज का हम ध्यान रखेगे ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि प्रांत में सिर्फ एक गवर्नमैंट वोमैन कालेज है । सब को पता है कि लड़कियों की तालीम की उतनी ही जरूरत है जितनी कि लड़की की । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आईन्दा प्रांत में कोई लड़कियों का कालेज खोलने का विचार रखती है?

श्री माडु सिंह मलिक : स्पीकर साहब, इस समय तो कोई ऐसा विचार नहीं है । कैद में एक नंरवाने में एक यमुनानगर में दो, करनाल में एक और हिसार में एक, लडकियों के प्राइवेट कालेज हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे प्राइवेट कालेज हो, लड़कियों के कालेज है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि उनका बैकवर्ड एरियाज में कालेज खोलने का इरादा है । झज्जर तहसील में 6–7 लड़कों के कालेज

हैं लेकिन वहां पर एक भी लड़कियों का कालेज नहीं है । क्या वहां पर भी कोई लड़कियों का कालेज खोलने पर विचार करेगे?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैंने यह तो नहीं कहा कि खोलेंगे । मैंने तो यह कहा है कि जब मुमकिन होगा तॉ वैकवर्ड एरियाज मैं जहा पर कालेज नही है, वहां पर यह सुविधा देने को कोशिश की जाएगी ।

चौधरी शिव राम वर्मा : इन्दरी के आसपास और दूर–दूर तक कालेज नहीं हैं और वह बैकवर्ड एरिया भी है । क्या मन्त्री महोदय वताने को कृपा 10. 00 बजे करेंगे वहां पर कालेज खोलने की तरफ ध्यान दिया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : करनाल और कुरुक्षेत्र नजदीक ही हैं और वहां पढ़ कालेज है

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, जवाब में बताया गया है कि सरकारी कालेजो की तादाद 14 है और प्राइवेट कालेजो की तादाद 87 है । मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी कालेजों में पढाई की कमी द्रँ इम वजह से प्राइवेट कालेज याद खुल रहे है?

श्री माड़ सिंह मलिक : यह जत ठीक है कि गवर्नमैंट इतने कालेज नहीं खोल सकती । जो प्राइवेट कालेज खोले जाते हैं सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है,

श्री के0 एन0 गुलाटी : स्पीकर साहव, फरीदाबाद और बल्लभगढ इम्पोंटैट एरियाज है, लेबर एरियाज है क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या बहां पर बी०ए० बी०एड० कालेज खोलने का विचार है?

श्री माडू सिंह मलिक : बी०एड० कालेज खोलने का कोई विचार नहीं है ।

श्री हरि सिंह : मन्त्री महोदय ने वताया है कि बैकवर्ड एरिया के अन्दर कालेजिज खोले जाएगे जब पैसे का प्रवन्ध हो जाएगा क्या मन्त्री महोदय वनाने की कृपा करेंगे कि पानीपत में जो कि सव–डिवीजन है और वैकवर्ड भी है, उसका टोप प्रायरटी दी जाएगी?

श्री माड़ सिंह मलिक : पानीपत वैकवर्ड नहीं है और वहां पहले ही तीन कालेज हैं

श्री धजा राम : डिस्ट्रिक्ट जींद गवर्नमैंट आफ इंडिया कई की तरफ से बैकवर्ड डिक्लेयर किया जा चुका है और सफीदो तहसील हेड–क्वार्टर है । उसके आसपास बीस–बीस पच्चीस–पच्चीम मील तक कोई कालेज नहीं है । क्या मन्त्री महोदय वनाने की कृपा करेंगे कि क्या वहां कोई कालेज खोलने का विचार है रू

श्री माडू सिंह मलिक : इम वक्त वहां कालेज खोलने का कोई विचार नही है

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई प्राइवेट कालेज खोलने का प्रयत्न करे तो गवर्नमैंट उसे सहुलियत देने की कोशिश करेगी?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहव, प्राइवेट कालेज खोलने की अभी इतनी जरुरत नही है क्योंकि हम सिस्टम आफ ऐजुकेशन में तरमीम करने जा रहे हैं और अधिक से अधिक यह कोशिश है कि कम से कम लड़के कालेजिज में जाएं ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, हांसी के अन्दर नेहरू मैमोरियल कालेज है, उसकी 27 एकड जमीन 'है, बहुत शानदार बिल्डिंग है । मैनेजमैंट चाहता है कि उसको गवर्नमैंट अपने हाथ में ले ले । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसको लेने में क्या आपत्ति है?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, यह केस हमारे पास आया नहीं है जब आएगा तब देख लिया जाएगा । शाह हकूमत राय रू स्पीकर साहब यह ठीक नै कि पानीपत वैकवर्ड एरिया नहीं है लेकिन वहां पर आवश्यकता हूँ कि एक गवर्नमैंट कालेज खोल दिया जाए । यदि सरकार के पास पैसे की कमी है तो अगर वहां के लोग पैसे का प्रवन्ध कर दें तो क्या सरकार वहां पर कालेज खोलने पर विचार करेगी?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, नए कालेज खोलने का अभी कोई विचार नही है

श्री गुलाब सिंह जैन : बी.एड. क्लासिज प्राइवेट कालेजिज में हैं और वहां पर ऐडमिशन कास्ट और कम्युनिटी वेसिज पर होता है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गवर्नमैंट कालेजिज में बी.एड. कलासिज खोलने का विचार रखती है?

श्री माडू सिंह मलिक : हमने गवर्नमैंट की तरफ से भिवानी में बी.एड. क्लासिज खोल दी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बी.एड. क्लासिज पहले से ही है ।

चौधरी अमीर चन्द कक्कड़ : मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि सिस्टम आफ एजुकेशन बदल रहा है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कब तक बदल जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, यह तो सैन्ट्रल स्कीम है । जब दूसरी स्टेटों में लागू होगी तो यहां पर भी लागू हो जाएगी ।

Industrial Small Scale Units

***712. Shri Girish Chander Joshi :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the year-wise total number of Industrial Small Scale Units

registered in the State from 1968-69 to 1972-73 ;

(b) the major type of facilities, if any, given by

Government to the said units during the above said period ; and

(c) the main articles produced by such units ?

Industries Minister (Shri Harpal Singh) : (a), (b) and (c) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) 1-4-1968 to 31-3-1969 471

1-4-1969 to 31-3-1970 906

1-4-1970 to 31-3-1971 999

1-4-1971 to 31-3-1972 1612

1-4-1972 to 31-3-1973 2013

(b) (i) Developed plots in the Industrial Areas/Industrial Development Colonies with the provision of water, sewerage, drainage, road, electricity etc.

(ii) Built up accommodation in the Industrial Estates;

(iii) Financial Assistance in the shape of loans ;

(iv) Machinery on Hire-purchase Basis;

(v) Supply of scarce Raw Material ;

(vi) Technical Guidance ;

(vii) Marketing of finished goods ;

(viii) Relief from taxation ;

(c) List of items being Manufactured in Haryana

1. Hardware and Sanitary fittings. '
2. Scientific Instruments.
3. Textile and Hosiery goods.
4. Sugar Mill machinery and Parts.
5. Alluminium Utensils;
6. Alluminium and Brass Utensils;
7. Steel Re-rollings ;
8. Centrifugal pumps nuts ;
9. Discs and Agricultural implements ;
10. Steel furniture ;
11. Nuts and Bolts. washers and Rivets ;
12. Textile machinery ;
13. Wood wool ;
14. Sanitary castings ;
15. Auto Bulbs ;
16. Sewing machines and components ;
17. Diesal Engines :
18. Tyre tubes ;

19. Perforated sheets ;
20. Chemical and Pharmaceutical ;
21. Switchgear Relays and Transformers ;
22. Electrolytic condensors, Iron Core, Coil Ft's ;
23. Wire Netting ;
24. Conduit pipe ;
25. All kinds of steel pipes ;
26. Paints and Varnishes :
27. Auto tyres and tubes ;
28. Different type of soling heels ;
29. Leather shoes
30. Soap ;
31. Tin container :
32. Automobile parts ;
33. Electric Fan ;
34. Refigeration and Air conditioning ;
35. Bus and Truck bodies air coolers ;
36. Cotton Textile goods ;
37. ACSR/ACC conductors (Wire) ;
38. Machine tools ;

39. Surgical and Hospital appliances.

40. Paper bags, fancy papers, wax paper and Drinking Straws

41. Industrial Mining and machine handling machinery ;

42. Sugar machinery :

43. Tractors parts, agriculture implements and auto parts ;

44. Electric Motor ;

45. Barely Malt ;

46. Pottery goods ;

47. Optical lenses ;

48. Fasteners ;

49. Wire drawing :

50. G.L.S. Bulbs ;

51. Amplifiers, Tape-recovers, speakers etc. ;

52. Paper and Board ;

53. Electrical wires and cables :

54. Printing and packing material.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : मंत्री महोदय ने पार्ट वी में बताया है कि फैसिलिटीज दी है । क्या वे बताएगे कि वे

कौन–कोन सी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में दी हैं और उन पर कितनी लागत सरकार को आई है

श्री हरपाल सिंह : सपीकर साहब, ईडस्ट्रियल एस्टेस्टस दो किस्म की है, कुछ अरबन है और कुछ रूरल है । .जो अरवन एस्टेट्स है वे हैं–इंडस्ट्रियल एस्टेट, हिसार, इंडस्ट्रीयल एस्टेट गुडगावा, इंडस्ट्रियल एस्टेट नारनौल, इंडस्ट्रियल एस्टेट सोनीपत, इंडस्ट्रियल एस्टेट अम्बाला, इंडस्ट्रियल एस्टेट नीलोखेडी । जो रूरल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वे है–बरवाला, फतेहबाद, पिंजौर, महेद्रगढ, नरवाना, राई, सोहना, पलवल और कैथल ।

श्री गुलाब सिंह जैन : हिसार के अन्दर जो इंडस्ट्रियल एस्टेटस हैं वहां पर इस वक्त जितने भी प्लांट्स हँ वे सब के सब लोगो ने ले लिए है और वहां पर लोगों की डिमांड और इंडस्ट्रियल प्लाट्स की हैं । क्या मन्त्री महोदय वनाने की कृपा करेगे कि वह्टां पर और जमीन एक्वायर करने का विचार है और कब तक दूसरे लोगों के प्लाटस देने का विचार है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, हिसार. में टाउन और कन्टरी प्लानिंग वाले चारु–पांच सौ एकड़ जमीन इस्ट्रीज के लिए एक्वायर कर रहे हुई । इडस्ट्रीज के लिए जो प्लाट्म देते हैं वे चार डिपार्टमैंट देते हैं (1) टाउन एरंड कन्टरी प्लानिंग डिपार्टमैंट (2) इडस्ट्रीजु डिपार्टमैन्ट (3) कालोनाइजेशन डिपार्टमैंट और (4) इंडीस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन इस तरह

से प्लाट्स की कोई कमी नहीं है । जो भी इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लाट के लिए एप्लाई करता है उसको हम प्लाट दे ते हैं अगर जहां इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है अगर वहां पर भी कोई इडस्ट्री लगाना चाहे तो हम उसको भी प्लाट देते हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1971 – 72 और 1972– 73 में कितनी स्माल स्केल यूनिटस को कर्जा दिया गया और कितना कर्जा दिया गया?

श्री हरपाल सिंह : सपीकर साहब, स्माल स्केल यूनिट्स को सिर्फ एक एजेंसी से कर्जा नहीं मिलता स्माल स्केल यूनिट्स को बैंक से कर्ज मिलना है, फाईनैशियल कार्पोरेशन से कर्जा मिलता है और गवर्नमैंट से भी कर्जा मिलता है । गवर्नमैंट से जो कर्जा मिलता है वह एड थ्रु– इंडस्ट्रियल एक्ट के मातहत मिलता है । मैंबर साहब ने जो पूछा ड़े कि कितना कर्जा दिया गया इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृ पा करेंगे कि जो कर्जा दिया जाता है उसका रेट आफ इंटैस्ट क्या है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहव, डिपार्टमैट वाले जो कर्जा देते है और गवर्नमैट जो कर्जा देती है उसका रेट आफ इंट्रैस्ट इस साल सात परसैन्ट है लेकिन इसके साथ–साथ हमने रिवेट भी रखी हुई है । अगर कोई प्रोपर यूटीलाइजेशन उस पं से

की करता है और इंस्टालमैंट इन टाईम देता है तोउसको चार परसैन्ट रिवेट देते है और इस तरह तीन परसैन्ट रेट आफ इंटैरस्ट रह जाता है । फाईनैशियल कार्पोरेशन काऐसा है कि दो लाख तबा अगर वह कर्जा देते हैं तो उस पर 8.5 परसैन्ट चार्ज करते हैं और उससे ज्यादा पर दस परसैन्ट चार्ज करते है ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहव, मत्री महोदय ने बताया है कि 1 अप्रैल, 1968 से 1 अप्रैल, 1973 तक हरियाणा के अन्दर 6, 001 यूनिट्स लगे । क्या वे बताएंगे कि इन की जिलेवार संख्या क्या है?

श्री हरपाल सिंह : जिलेवार फिर्ग्ज के लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि किस–किस जिले और किस अरबन और रूरल एरिया में और इंडस्ट्रियल एस्टेट खोलने का सरकार का विचार. है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, अगले फाईव ईयर प्लान में हरे तहसील हैड क्वार्टर पर इंडस्ट्रियल ऐस्टेट बनाने का विचार है और इसके लिए हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं और हर जगह पर इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लाट्स दिए जाएंगे ।

श्री हरि सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सम्भालका का नाम इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए जेरे गौर है?

श्री हरपाल सिंह : जेरे गौर है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, जवाब में बताया गया है कि 1 अप्रैल, 1968 रौ 31 मार्च, 1968 तक 6001 स्माल स्केल यूनिट्स लगाए गए । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1974– 75 में कोई स्माल स्केल यूनिट देहात में देने का सरकार का विचार है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, यह स्टेटमैंट में क्लीयर है कि 1968 में 47 यूनिट्स नए लगे, 69 में 906 लगे, 970 में 999 लगे, 1971 में 1,812 लगे और 1972 में 2,013 लगे । पावर शार्टेज और रॉ–मैटीरियल की शार्टेज की वजह से स्टेट में पिछले साल 2 हजार यूनिट्स लगे और इसी तरह से इस साल दो हजार से ज्यादा लग रहे हैं । इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज स्टेट में पहले ही बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर शार्टेज न होती तो काफी नई इंडस्ट्रीज भी आ जातीं । मेरे पास कई दफा दूसरी स्टेट्स के लोग भी आते हैं और वे अपनी स्टेट में भी इनको लगाने के लिए प्रैफर करते हैं । जिस में कारण ये भी हैं कि हमारे डिपार्टमैंट को तरफ से उनको पूरी को–आप्रेशन भी मिलती है । मे' पास कमी भी इस किस्म की शिकायत नहीं आई जिममें कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई इंडस्ट्री लगाने में तकलीफ आई हो ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मिनिस्टर साहब बतलाने कॉ कृपा करेंगे कि जो सप्लाई आफ स्केयर्ज मैटीरियल के बारे

आपने बात की हे कि उसके लिए इम्पोर्ट लाईसैस दे रहे हैं, पार्ट लाईसैस का प्रोविजन क्या है अरि रॉ–मैटीइरियल कितना है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इसमें इम्पोर्ट लाईसैसं का प्रोविजन किया है । इसके लिए इसमें हम जो रों–मैटीरियल की हैल्प करते हैं वह इन्डीजीनियस के इलावा इम्पोर्टिड के लिए हम असैन्शियलिटी सर्टीफिकेट देते हैं और इस सर्टीफिकेट की बिना पर आगे इम्पोर्ट लाइसैंस मिलता है और डिपार्टमैंट उनके केसिज को स्पीकर करता है ।

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बतालाएगे कि जो सामान इन यूनिट्स मे तैयार किया जाता है वह हरियाणा के लिए काफी है और क्या एक्सपोर्ट भी किया जाता है

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, ये जो यूनिट्स हैं, इनमें जो सामान बनता है उस में से काफी सामान एक्सपोर्ट भी होता है । जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीयल कापोंरेशन है, वह इन लोगों की मदद करती है । बाहर से इनके कन्ट्रैक्टस लेकर के उनको आगे देती है ताकि लोग यह माल बाहर एक्सपोर्ट कर सकें । इसके इलावा जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वे हमारे एम्पोरियम में डिसप्ले किए जाते हैं ताकि वहां पर लोग आकर देखे और जिनको जो चीज पसन्द हो उस किस्म के आर्डर के बारे में उनको गाइडैस दे सकें ताकि वह पेसा माल प्रोडक्ट कर सकें ।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने कॉ कृपा करेंगे कि यह जो सेल्ज टैक्स के अगेंस्ट लोन वगैरह की फैसेलिटीच मिली हुई हैं, पिछले साल वह कितने आदमियों को इसके अगेस्ट दिया गया है?

श्री हरपाल सिंह : इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

चौधरी अमीर चन्द कक्कड : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ये स्माल स्केल यूनिट्स लगाएंगे । स्पीकर साहब, ऐसे–ऐसे कस्बे भी हैं जैसे शाहबाद, मारकन्डा जोकि एक कमर्शियल टाउन हैं, और जहां पर कोल्ड स्टोरेज हैं मगर ये इधर–उधर बना रहे हैं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि वहां भी सरकार ऐसी कोई यूनिट्स खोलने के लिए विचार कर रही है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, ये जो स्माल स्केल यूनिटें है ये सारी की सारी गवर्नमैंट की लगाई हुई नहीं हैं । शायद मैंबर साहेबान को गल्ती लगी है । ये तो प्राइवेट लोगों की भी लगाई हुई हैं जोकि हमारे पास रजिस्टर हो जाती हैं । उनका फिर रिकार्ड हो जाता है । फिर भी अगर कोई शाहबाद वगैरह में ऐसी यूनिट लगाना चाहेगा तो सरकार उसको पुरी–पुरी सहायता ने दे सकती है ।

शाह हकूमत राय : क्या मिनिस्टर साहब बतलाएंगे कि पानीपत में सरकार कोई हौजरी लगाने के बारे में विचार कर रही

है? अगर लगाई जा रही है तो जिम पार्टी को कोई जगह इस हौजरी के लिए दी जा रही है, वह कहां है?

श्री हरपाल सिंह : इसके लिए अलग नोटिस चाहिए ।!

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उनके अन्दर हरिजनों की कितनी हैं और गैर–हरिजन को कितनी हैं और जो इंडस्ट्रीज के लिए प्लाट्स वगैरह दिए. जाते है क्या हरिजनों को इसकी अलग अलॉटमैंट भी को जाती है

Mr. Speaker : This is not the information which was sought for through the question.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, स्माल स्केल यूनिट्स से जो प्रोडक्शन होते है वह इम्पोरियम में डिसप्ले की जाती है । क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर अभी तक इम्पोरियम नहीं बने हैं क्या वहां पर फिलहाल सरकार कोई सैन्टर खोलने का विचार रखती है ताकि प्रोडक्शन को फरदर डिस्पोजु आफ करने का इंतजाम हो सके?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इसके लिए स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन्ज है । उसकी तरफ से पब्लिसिटी है कि मर्किटिंग के लिए लोग जिस–जिसके प्रोडक्ट्स की चाहते हैं वे उनके साथ कन्ट्रैक्ट कर सकते हैं । इम्पोरियम भी कोई ज्यादा टूर नहीं है । इम्पोरियम को वह अपना समान भेज सकते है

लेकिन अगर श्री अमर सिंह के नोटिस किसी यूनिट की तरफ से कोई डिफिकल्टी हो तो उसको हम ऐग्जामिन कर सकते हैं ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मिनिस्टर साहव बतलाएगें कि टैक्सेशन से रिलीफ का क्या तरीका है जो इंडस्ट्रीजु को स्टेट में दिया गया है? ।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, रिलीफ का तो यह है कि जो नई इंडस्ट्री लगता है, उसके लिए हमने स्टेट को तीन हिस्सों में डिवाइड का रखा है । एक एरिया वह है जो डिवैल्पड है जैसे फरीदाबाद, बलभगढ । दूसरा एरिया वह है जो वैकवड है जिसे गवनमैट ने बैकवर्ड एरिया अनाऊस कर रखा है, जैसे हिसार, भिवानी, महेद्रगढ, जीद, तहसील नारायणगढ, कालका आफ अम्बाला और सब तहसील नाहड आफ रोहतक और तीसरा है डिवैल्पिंग एरिया । तो तीनों के टैक्सेशन की ऐग्जैम्शन सैपरेट है । इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की ऐग्जैम्पशन डिवैल्पड एरिया में तीन साल की है, डिवैल्पिंग एरिया में 5 साल की है और जो बंकवर्ड एरियाज हैं, उनमें 7 साल को है । इस तरह से सेल्ज टैक्स में इंटर सेल टैक्स को ऐगजैम्पशन जिसको हम इंट्रैस्ट फी लोन टूटि करते हैं, डिवैल्पड एरिया मे तीन साल की है, डिवैल्पिंग एरिया में 5 साल की है और बैकवर्ड एरिया में 7 साल के लिए है । इसी तरह से नए यूनिट्स को प्रॉपर्टी टैक्स की ऐग्जैम्शन है । अगर कोई यूनिट म्युनिस्पिल लिमिट से बाहर लगती है तो उसको 5

साल के लिए ऐग्जैम्पशन है और जो विद इन म्युनिस्पिल लिमिट लगती है उसके लिए उ साल की ऐग्जैम्पशन है ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्लाट्स दिए जाते हैं, उनके अन्दर हरिजनों के लिए भी कोई रिजर्वेशन है और लोन देने के लिए, उसके सूद में कोई कन्सैशन है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहव ने पिछली बार कहा था कि नीलोखेडी में स्माल स्केल यूनिट्स के लिए शैड्ज बनाए जाएंगे । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कब तक बनाए जाएंगे?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे तो कोई याद नहीं कि मैंने कब कहा था कि नीलोखेडी में शैड्ज बनाए जाएंगे लेकिन जहां–जहां जरूरत होगी, वहां पर बनाएंगे । धिरी शिव राम जी ने कल भी जिकर किया था कि रूरल साइड में इडस्टरीज लगनी चाहिए । रूरल एरिया में जहांप्याहा ये इंडस्कूजि लगाना चाहते हैं, ये वहां पर लोगों को तैयार करें, गवर्नमैंट हर संभव सहूलियत देगी ।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा 'करेंगे कि इस साल इन स्माल स्केल

यूनिट्स ने कितना माल प्रोड्यूस किया और उस मैं कितना माल ऐक्सपोर्ट हुआ?

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

श्री हरि सिंह : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाएगे कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट लोगों की क्या मदद करता है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने अभी यह ऐक्सप्लेन किया था ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम इंडस्ट्रियल– एस्टेट डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बना रहे हैं । क्या वे बताएंगे कि 1974– 75 में कहां–कहां बनाने की तजवीज हे?

(कोई उत्तर नही दिया गया।)

J.B.T. and B. Ed. Teachers

***552. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Education

be pleased to state-

(a) the total number of J.B.T. and B.Ed. teachers in the State who are working temporarily in the Government School at present together with the time since when they are so working and

(b) the time by which they are likely to be made permanent ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) जे ० बी ० टी. 5,691

बी ०ए ० ,बी ० एड ० 5,112

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि ये अध्यापक कब से अस्थाई रूप में कार्य कर रहे है इस हेतु सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले लाभ की दृष्टि से बहुत अधिक होगा ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने को । करेंगे कि जो टैम्पोरेरी टीचर्ज हैं, उनको परमानैन्ट क ले के लिए एस ०एस ०एस ० बोर्ड ० को लिखा गया है?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, परमानैन्ट करने का काम एस ०एस ०एस० बोर्ड का नही है । जो परमानैन्ट पोस्ट्स के अगेंस्ट लगे हुए हैं उनको सथाई करने का सवाल है और यह डिपार्टमैंट अपने वि भाग के नियमानुसार करता है । एक परमानंन्ट पोस्ट्स हैं और दूसरी टंम्पोरेरी पोस्ट्स हैं । जो आदमी

टैम्पोरेरी पोस्ट्स के अगेंस्ट लगे हुए हैं, उनको परमानैन्ट पोस्टस पर तो लगाया जा सकता है लेकिन परमानैन्ट पोस्ट्स पर लगाने का यह मतलब नहीं है कि के परमानैन्ट हो जाते हैं । परमानैन्ट तो सम्बन्धित आदमी का रिकार्ड देखने के बाद, उसकी सी ० आर ० देखने के बाद ही किया जाता है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, बहुत तादाद में टीचर्ज और मास्टर्ज टैम्पोररी हैं । क्या मंजे महोदय यह बतलाएंगे कि इ नमें से कितने टीचर्ज और मास्टर ऐसे हैं जो कि पिछले 10 साल से टैम्पोरेरी ह? सी माडू सिंह मलिक रू स्पीकर साहव, इसके लिए अलग नोटिस चाहिए ।

श्री के 0 एन0 गुलाटी : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि परमामैंट करने के लिए अलग प्रोसीजर है । भै आप की मारफत सप्लीमैंट्री करना चाहता हूं कि दो मदर टीचर्ज पिछले तीन साल से 100 रुपए मल्लिक पर पार्ट–टाईम लगी हुई हैं पीर जिन्होंने स्ट्राइक के दिनों में बड़ी वफादारी से काम किया है, क्या उनको टैम्पोरेरिली हौज टाईम बेसिज पर लगाने का सरकार विचार रखती है?

श्री माड़. सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जो मदर टीचर्ज लगी हुई हैं, वे एस ० एसएस बोर्ड की मार्फत अगर दरखास्तें देसी तो वहां से इलेक्शन. के बाद परमानैन्ट पोस्ट्स के अगेंस्ट लग जाएंगी और जब परमानैन्ट

पोस्ट्स है अगेंस्ट सैटल हो जाएंगी तो उसके बाद उनकी कन्फ्रमेशन का सवाल पैदा होगा ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने वताया कि 5, 691 जे०बी०टी ० टीचर्ज और 5,112 बी ०एड ० टीचर्ज टैम्पोरेरी हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि उनको कितने उसे तक परमानैन्ट कर दिया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : उनको परमानैन्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी । जैसे मैं बताऊं कि पिछले साल स्कूल टीचर्ज सए स्ट्राइक की थी जिसकी वजह से टीचर्ज की बदली हो गई । उनकी सविंस बुक्स और ए ०सी०आरज० मुकम्मल नहीं हैं । जैसे–जैसे ये मुकम्मल होती जाएंगी, उनको परमानैन्ट करते जाएंगे ।

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएगें कि जो जे ०बी ०टी ० टीचर्ज, बी०एड ० कर चुके हैं उनको कब तक परमानैन्ट कर दिया जाएगा?

श्री माडु सिंह मलिक : उनका कोटा मुकरर्र है । जितनी पोस्टें उनके लिए मंजूर है उनके हिसाब से उनको परमानैन्ट करते रहते हैं ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि आरजी टीचरों को परमानैन्ट करने के लिए सरकार कितना पीरियड लगाती है ।

श्री माडु सिंह मलिक : जल्द से जल्द कोशिश की जाती है कि उनको परमानैन्ट किया जाए । लेकिन कई दफा रिकार्ड मुकम्मल नहीं होता इसलिए देर लग जाती है ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : स्पीकर साहब, अभी–अभी मिनिस्टर साहब, बता चे थे कि इस०एस०एस ० बोर्ड से लिए जाएंगे । क्योंकि एस.एस.एस. बोर्ड का प्रोसीजर लम्बा होता है तो क्या उनको टैम्परेरिली एड–हौक बेसिज पर ले लिया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : वे तो काम पर लगे हुए ही हैं । नए लेने का तो सवाल ही पैदा नही होता ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, सवाल के जवाब में मन्त्री महोदय ने बताया कि 5,691 जे . बी .टी . और 5,112 बी. एड. टीचर्ज टैमपोरेरी हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें लेडी टीचर कितनी हैं, लेडी मिस्ट्रैस कितनी हैं, मेल टीचर्ज कितने हैं और मेल मास्टर्ज कितने हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

चौछरी फूल चन्द (रोहट) : मन्त्री महोदय ने बताया कि जो टीचर्ज टैम्पोरेरी लगे हुए हैं वे रैगुलर होने के लिए एस. एस.एस . बोर्ड में दरख्वास्त दे सकते हैं । भै पूछना चाहता हूं कि क्या वे अब भी दरख्वास्त दे सकते हैं?

श्री माड़. सिह मलिक : जब पोस्टें खाली होती हैं तो हम उन्हें एडवर्टाइज करवाते है उस वक्त वे दरख्वास्तें दे सकते है ।

Cases of Culpable Homicide

***656. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the total number of culpable Homicides committed in the state during the years 1971-72 and 1972-73;

(b) the district-wise number of cases referred to in part (a) above which remained untraced as on 1st January, 1973,

(c) the number of cases as referred to in part (a) above in which challans were presented in the courts so far,

(d) the number of such cases in which accused were convicted; and

(e) the steps taken by the Government to trace the remaining untraced cases, if any?

गृह एवं स्थास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

	1971—72	1972— 73
(क)	71	62
(ख)		1 जिला रोहतक का

(ग) 67 58

(घ) 30 20

(ड) केबल एक मामला अदमपता भेजा गया थैं । इस मामले का सम्वन्ध मुकद्दमा नं. झुठ तिथि 4–4– 72 धारा 304/34 भा.द.स. थाना गनौर जिला सोनीपत से है । इस मामला में कुछ ना मालूम अपराधी जो मुंशी रामगांव शेखूपुर के खेत में से चने चोरी करने कीनीयत से 3/ 4–4–72 की रात्री को आए थे, इन अपराधियों को मुंशी राम ने ललकारा । अपराधियों ने मुंशी राम को जरवात पहुंचाई और इन जरबफ्त की ताब न लाकर दूसरे दिन उसकी होस्पीटल में मृत्यु हो गई । इस मामला मैं अपराधिथो को पकड़ने के पूरे प्रयत्न किए गए परन्तु असफल रहे । जिन व्यक्तियों पर शक किया गया था उन से पूछताछ की गई, परन्तु कोई कामयाबी प्राप्त न हुई ।

चौधरी दल सिह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने कल्पेबल होमीसाइड केसिज की संख्या 1971–7 में 71 बताई और 1972– 73 में 62 बताई और दूसरे पार्ट में इन्होंने बताया कि 67 और 56 चालान हुए । मैं पूछना चाहता हूं कि जो चालान बाकी हैं में क्यों नहीं हुए और कब तक हो जाएंगे?

श्रीमती शारदा रानी : सभी केसिज में चालान कर दिए हैं, लेकिन 4– 4 केसिज तीनो सालों में कैंसिल किए गए हैं ।

चौधरी राम जी लाल : क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि केस आफ मर्डर ज्यादा हुए है, या केस आफ कल्पेबल होमीसाइड ज्यादा हुए हैं?

श्रीमती शारदा रानी : यह तो कल्पेबल होमीसाइड का सवाल है और उसकी इन– कर्मेशन दे दी गई है ।

चौधरी दल सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि 1971–72 में 30 केसिज में सजा हुई और 1972–7 3 में 20 केसिज में सजा हुई । तो मैं जानना चाहता हूं कि बाकी केसिज मे क्या रहा?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, ऐसा है कि 1971– 72 में चार केस कैंसल होने के बाद 67 केसिज जो रजिस्टर हुए उनमें से 30 केसिज में कनविक्शन हुई, 29 को ऐक्युटल हुआ और 8 केसिज अभी पैडिंग ट्रायल हैं । इसी तरह से 1972–73 में 20 केसिज में कनविक्शन हुई, 23 में ऐक्युटल और 13 केसिज पैंडिंग ट्रायल हैं । 2 केस अभी अन्डर इनवैस्टीगेशन हैं ।

चौधरी दल सिंह : जिन केसिज में ऐक्युटल हुई वे कनविक्शन के केसिज को बनिस्वत ज्यादा हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह पुलिस की गल रिपोर्ट की वजह से हँ या कोई और कारण हैं?

श्रीमती शारदा रानी : ये तो जुडिशियल केसिज होते हैं ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगी कि जो चालान वापिस लिए गए, वे क्यों वापिस लिए गए, उनका क्या कारण था?

श्रीमती शारदा रानी : चालान वापिस तो कोई नहीं लिया गया । चार–चार केसिज दोनों सालों में कैंसल जरूर हुए हैं क्योंकि कई दफा लोग झूठे केस दर्ज करवा देते हैं ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि ऐर से केसिज मे वे कोई इंडस्ट्रीज जारी करने के लिए तैयार हैं कि चालान जल्दी किए जाएं ?

श्रीमती शारदा रानी : चालान तो जल्दी ही किए जाते हैं ।

Ayurvedic Dispensaries

***682 Chaudhri Mehar Chand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the districtwise total number of Ayurvedic dispensaries opened by the Government in the State during the period from May, 1968 to 31st December, 1973 ; and

(b) the districtwise total number of Ayurvedic dispensaries whit are likely to be opened during the financial year 1974-75 ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) 1 मई, 1968 से 1 दिसम्बर 1973 तक प्रत्येक जिलों में खोले गए आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	जिले का नाम	औषधालयों की संख्या
1	अम्बाला	1
2	जींद	3
3	करनाल	5
4	कुरुक्षेत्र	4
5	रोहतक	2
6	महेद्रगढ	2
7	गुड़गांव	7
8	भिवानी	7
9	हिसार	12
	कुल	43

(बी) अभी कोई नया आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि आयुवैंदिक के इलाज को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई स्टैप उठा रही है?

श्रीमती शारदा रानी : कुरुक्षेत्र में एक कृष्णा आयुवैंदिक कालेज खोला जा रहा है । श्री गिरीश चन्द्र जोशी रू क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि अम्बाला में सिर्फ एक ही – डिस्पैंसरी खोली गई है इसका क्या कारण है?

श्रीमती शारदा रानी : वहां पहले ही कुछ ज्यादा डिस्पैंसरिया थीं ।

महन्त श्रेयो नाथ : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि इन डिस्पैसरियों मे किस योग्यता के वैद्य रखे जाते हैं?

श्रीमती शारदा रानी : जो कोर्स पास करके आते हैं, उनको रखा जाता है ।

श्री के0 एन 0 गुलाटी : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि इस मंहगाई में पब्लिक के सस्ते इलाज के लिए कोई होम्बोपैथिक डिस्पैंसरी खोलने काविचार है?

श्रीमती शारदा रानी : होम्योपैथिक डिस्पैंसरी खोलने का अभी कोई प्रोपोजल नहीं है ।

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदया के नोटिस में यह चीज है कि जिला महेंद्रगढ़ मे जो आयुर्वेदिक डिस्पैसरिया हैं उनमें औषधियों का पूरा सामान नहीं है । इसका क्या कारण है?

श्रीमती शारदा रानी : हमें यह मालूम है कि औषधियां कम जाती हैं । इसका कारण यह है कि हमारी बजट एलोकेशन पुरानी है और औषधियां मंहगी हो गई हैं । हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बजट में और प्रोवीजन किया जाए ।

Mr. Speaker : The Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Scholarships to Handicapped Children

***698.. Chaudhri Surjit Singh Mann :** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state-

(a) whether the Government gives any scholarships to the physically handicapped children for getting their education ;

(b) if so, the amount which is generally being given to each child per month ; and

(c) the number of children which were getting such scholarships as on 31st March, 1973 ?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) :

(a) Yes.

(b) & (c) A statement is placed on the table of the House.

STATEMENT

(a) (b) & (c)—

Sr. No.	Name of the Scheme	Rate of scholar-ship per month per head	No. of child-ren getting scholarships as on 31-3-73
1.	Deaf and Dumb students receiving education in the Government lady Novice. school for Deaf and Dumb, New Delhi	Rs. 25	20
2.	Ex-students of the Government Institute for the blind, Panipat	Rs. 75	29
3.	Scholarships to physically handicapped		

Category of	Upto Primary (1st to 4th	Upto Middle (5th to 8th	Upto Matric Higher

handicapped	classes)	classes) Secondary	
Deaf and Dumb	Rs.	Rs.	Rs.
	40	45	50
Orthopaedically handicapped	40	45	55
Blind	45	55	75

Development of Land for Industries

***713. Shri Girish Chander Joshi :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total acreage of land together with the names of the places where the land has been developed for industries in the State as on 31st December, 1973 ;

(b) the type of facilities which are likely to be given to those industrialists who will set up their factories at such places ; and

(c) the places together with the area which is likely to be developed for industries in the State durig the financial year 1974-75 ?

Industries Minister (Shri Harpal Singh) : (a) (b) and (c) A statement Is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Details of land in acres developed for industrial purposes at various places in the State alongwith the name of the Developing agency.

Sr. No.	Place	Industries Deptt.	Town & Country Planning	Haryana State Indl. Development Corporation	Colonization Deptt.	Total
1	Gurgaon	50.60	411.00	34.00		495.60
2	Firidabad		2048.00			2048.00
3	Bhiwani		183.00			183.00
4	Sonepat	154.57	198.00	36.00		388.57
5	Panchkula		232.00			232.00
6	Yamunanagar	351.50		20.00		371.50
7	Panipat	237.90				237.90
8	Bahadurgarh	107.30				107.30
9	Ambala	12.04				12.04
10	Nilokheri	4.34				4.34
11	Hissar	35.44				35.44
12	Narnaul	9.18				9.18
13	Pinjore	5.43				5.43

14	Kaithal	2.00	66.40	68.40
15	Kohand	4.00		4.00
16	Rai	0.99		0.99
17	Palwal	3.91		3.91
18	Sohna	3.00		3.00
19	Fatehabad	2.09	20.50	22.59
20	Barwal a	4.57		4.57
21	Mahendargarh	5.00		5.00
22	Rohtak	63.45		63.45
23	Karnal	9.44		9.44
24	Pehowa		16.24	16.24
25	Guhla		27.10	27.10
26	Sirsa		184.50	184.50
27	Kalanwali		20.30	20.30
28	Dabwali		22.10	22.10
29	Adampur		30.80	30.80
30	Hansi		10.05	10.05
31	Tohana		36.40	36.40

32	Bawani Khera				33.40	33.40
	Total	1066.75	30.72	90.00	467.79	4696.54

(b) The following facilities are being given to the existing small scale units new units proposed to be set up in these places :—

(i) Developed plots with the provision of water sewerage, drainage, roa and electrification etc. on easy terms of payment.

(ii) Financial assistance in shape of loans.

(iii) Machinery on higher purchase basis.

(iv) Supply of scarce raw material.

(v) Technical guidance.

(vi) Marketing of finished goods.

(vii) relief from taxation.

(c) (i) Ambala Cantt, 50 acres

(ii) Gohana 22,50 acres

(iii) Jind 25,00 acres
Industries

(iv) Rewari 200.00 acres
Department.

(v) Karnal 50.09 acres

(vi) Bhuttu 23.30 acres In the Mandl-

(vii) Ellanabad 40.00 acres
Township by the

(viii) Narwana 20.00 acres
Colonization

Department

Total 430.70

गैर–सरकारी संकल्प–

(1) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर पढ़े–लिखे युवकों से बेरोजगारी दूर करने के बारे में (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now, Chaudhri Ram Lal may please resume 10th speach on the resolution moved by Chaudhri Mehar Chand, on the 10th January, 1974 (First sitting) regarding change in the system of education.

चौधरी राम लास बधबा (करनाल) : स्पीकर साहब, पिछले सप्ताह, 10 जनवरी, 1974 को यह प्रस्ताव आया कि शिक्षा प्रणाली तबदील होनी चाहिए और उस पर चर्चा हुई । पिछले हफते मुझे उस पर बोलने के लिए सिर्फ एक –दो मिनट ही मिले थे और मैंने कहा था कि शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए ऑज सबने महसूस किया है और मैंने इसके लिए चौधरी मेहर चन्द को

मुबारिकबाद भी दी थी कि वे इस प्रकार का अच्छा रैजोल्यूशन हाउस में लाए. । इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, परन्तु शिक्षा का ज्ञान देने वाला आदमी उत्तम होना चाहिए, उसका जीवन बाधाओं से रहित होना चाहिए और वह साफ और सुखमय हो ताकि वह आने वाली नसल को शुद्ध और पवित्र ज्ञान उपलब्ध करवा सके । टीचर की हालत को सुधारना शासन क। प्रथम कर्तव्य है क्योंकि वह कौम का महामार है । तीसरी चीज शिक्षा के प्रसार और उन्नति के लिए आवश्यक है भाषा । इस पर मैं चर्चा कर रहा था । आनरेबल श्री बनारसी दास गुप्त ने भी इस विषय पर जो बाते कहीं थीं उनका मैंने समर्थन किया था । आज यह बात कहना कि अंग्रेजी के बगैर इस देश में कोई काम नहीं चल सकता क्योंकि अंग्रेजी में ही टैक्नीकल शब्द हैं, मैं समझता हूं कि यह केवल अपने साथ ही नहीं बल्कि इस देश की सारी जनता के साथ एक वहत बड़ा अन्याय करने वाली वात है । हिन्दी में स्पीकर साहव, हम समझते है कि अंग्रेजी की निस्वत ज्यादा टैक्नीकल अलफाज है, हिंन्दी एक मुकम्मल. भाषा है और इसका शब्दकोष अंग्रेजी ज्यादा विस्तृत है । स्पीकर साहब, इसका पीछे का जो इतिहास है वह दरअसल यै है अंग्रेज के समय यहां पर अंग्रेजी तालीम रायज थी और किस समय अंग्रेज शासन छोड़ कर गए तो उस वक्त जिन के हाथ में शासन' की वागडोर आई वह खुद अंग्रेजी माहौल में पढे– लिखे लोग थे श्रौर इसके अलावा जितनी एडमिनिस्टेरशन थी वह करी की सारी अंग्रेजी मे ही काम करती थी । उनके सामने यह समस्या खड़ी हुई कि अगर

हम हिन्दी में सारा काम करते हैं तो सारी रिप्लेसमैंट करनी पड़ेगी और हम कहीं भी देश के नक्शे पर नजर नहीं आएगे । इसलिए उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि इस देश के अन्दर हम अंग्रेजी के बगैर टैक्नीकल और दूसरी की एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते और आज 26 साल गुजरने के बाद भी वही गुलामाना जहनियत आज भी हमारे दरम्यान मौजूद है । मैं समझता हूं कि यह एक आजाद देश के लिए निहायत शर्म की बात है । इसलिए हमें उस गुलामी के छोडना चाहिए । जहां तक भाबा का सम्बन्ध है, मैं समक्षता हूं कि मातृ भाषा के अन्दर हम किसी बात को ज्यादा सहूलियत के साथ समझ सकते हैं । लेकिन बाहरी भाषा के ज्ञान के लिए हमें बच्चे को ज्यादा मेहनत करवानी पड़ती है लेकिन अपनी भाषा में हम अपनी बात को भली प्रकार समझ सकते हैं । जन्म से ही बच्चा अपनी मातृ भाषा के अन्दर बात चीत करनी शुरू करता है और देश के अन्दर जिस परिवार के अन्दर, बिक माहौल के अम्बर जिस वातावरण के अन्दर वह पैदा होता है अगर उसी माहौल के मुताबिक जिस की मातृ भाषा में उसे शान दिया जाण तो उस के द्वारा उस की बुद्धि का ज्यादा विकास होता है और वह ज्यों–ज्यों बडा होता है उसके साथ–साथ उसका दिल और दिमाग भी विकास करता है ।

श्री माडू सिंह मलिक : आन ए प्यांयट आफ आर्डर सर, मेरी गुजारिश यह है कि वधवा साहब की स्पीच रेजौलूशन से

रैलेवैन्ट नहीं है । इसमें माध्यम का कोई सवाल नहीं है कि किस माध्यम में शिक्षा दी जाए ।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मैंने सो बैक ग्राऊंड बताई है कि एजुकेशन होनी चाहिए तो किस भाषा में होनी चाहिए । तो स्पीकर साहब आज तो हम एक ही बात कह सकते हैं :–

सिर्फ नक्कली है मगरब की ऐ दोस्त!

अमल में कोई मशरकियत ही नहीं ।

आदमी के पास सब कुछ है ।

मगर एक तिन्हा इल्पोहिकमत नही ।।

फिर जो शिक्षा हमें इस समय दी जा रही है उस का परिणाम आप देखिए क्या निकल रहा है? आप चारों तरफ नजर उठाकर देखिए कि भरिजय यूवफों की आज क्या दशा हो रही है? इस शिक्षा ने हमें क्या दिया है? अभी तक उनके दिमागो में गुलाक चली आ रही है । युवक जब स्कूल, कालेज, या यूनिवर्सिटी से निकल कर अपने घर आता है तो जितने पैसे खर्च करके मां–बाप उसको ऐजुकेशन देते हैं, आज वह नौकरी पर लगने के बाद उतना रुपया पैदा करने के काबिल नही होता । उस का कारण क्या है? उसका कारण यह हैं कि आज यह एजूकेशन लाभदायक साबत नहीं हो रही । स्पीकर साहब, 26 साल को बहुत

लम्बा अर्सा होता है, मगर आज भी हमने वही बाहरी तहजीब गले लगा रखी है और हम अपने नौजवानों में राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं कर सके । उनके जीवन में अग्रेजी भाषा' अंग्रेजी रहन–सहन और अग्रेजी सोच–दियार के तरीके को तबदील नही कर सके उस शिक्षा का नतीजा यह हों रहा हैं कि वे तामीर को बजाए तखरीब के कामों को करना ज्यादा पसंद करते हैं । इस अग्रेजी शिक्षा का अन्तिम चरण जो हमारी तबाही का कारण बन रहा है हमारे सामने आ चा हैं । राष्ट्रीय भावना खत्म होती जा ची है, चरित्र निर्माण नाम को कोई चीज नहीं है । दिनों–दिन स्वार्थीय चलन पैदा होता चला जा रहा है और तो और, हम सभ्यता को भी तिलांजलि देते जा रहे हैं और आज हम शक्लो–सूरत ये भी वह नजर नहीं करते जैसे कि भारतीय नजर आने चाहिएं । पड़ने वाले लडकों को तो छोडिए मैंने कई दफ्तरों में जाकर देखा हैं वहां पर वड़े–बड़े अफसर जो हैं वे बजाए अफसर दिखाई देने के फिलमी ऐक्टर नजर आते हैं । चारों तरफ हमें हिप्पी ही हिप्पी नजर आ रहे हैं । आज जौ एजूकेशन की अवस्था है, मैं उस पर रोशनी डालना चाहूंगा । भारत के ऐक्स चीफ जस्टिस श्री गजेन्द्र गडकर ने एक किताब लिखी है, ''लॉ, सोसायटी ऐंजुकेशन । तो वह उसमें लिखते हैं :–

"With few doubtful exceptions, Indian universities are untouched by the ideals which have moved educationists and philosophers of education. Their teaching programmes leave, at best, a faintly visible effect on the minds of the

alumni ; they have even failed to equip the student with a degree which will help him to earn his living decently. In short, the Indian university has failed to is charge its responsibilities; it has failed in providing leadership to our society."

इसके साथ ही एक और बड़े ऐमीनैंट एजुकेशनिस्ट हुए हैं श्रीमन् नारायण जी । इन्होने भी एक पुस्तक लिखी है एजुकेशनपर । उसके अन्दर वह लिखते हैं :—

"It is no use producing students who have gathered some information and knowledge in certain subjects but who are not fit to undertake any definite responsibilities in life."

He further says

"The existing Arts Colleges have outlived their utility and an Arts graduate today is good for nothing. It is said that Lord Macaulay planned education for obtaining clerks to run the British administration in India. But a B.A. is not fit for even clerkship because he does not know anything of accountancy and office routine. The so-called purely liberal education has had its day; it should now cease to be. All the Arts Colleges, therefore, should be gradually converted into technical Colleges and no body need shed a single tear for such a change."

तो स्पीकर साहब, इस शिक्षा प्रणाली पर और उसके परिणामों पर एक शेयर याद आ गया जो मैं निवेदन करना चाहता हूं :—

शाइस्तगी के भेष में रूहे दरिम्दगी,

इन्सान के लिबास में शैतान है आजकल,

वह कौमियत कि जिस से है इसांनियत जलील

हिन्दुस्तान' में किस कदर अर्जा हैं आजकल ।

अब प्रश्न यह पैदा–होता है कि शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए? इस के वारे में मैं अर्ज करूंगा कि पहले नम्बर पर भाषा ऐसी अपनाई जाए जो बच्चों के लिए प्रगतिशील हो और उसकी नशबोनमा भारतीय वाताबरण में हो सफे । इसी पुस्तक के अन्दर श्रीमान नारायण जी लिखते हैं :–

"Nothing so denationalises a people as the imposition upon them of a foreign tongue dominating their life and thought "observed Dr. Annie Besant. Lord Macaulay rendered the greatest dis-service to India by imposing on her children the English medium of instruction which not only stifled the growth of Indian languages but also Anglicised the whole educational atmosphere in ow temples of learning In order to maintain Inter-Provincial and Inter-University contacts the study of the national language, Hindi or Hindustani, should be made compulsory at the Secondary and University stages of education. "

नम्बर दो, स्पीकर साहव, ऐसी शिक्षा दी जाय कि जिससे चीख निर्माण हो, उन मै राष्ट्रीय भावना पैदा हो और वे सामाजिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व जीवन में निभाने के लिए पूरी

जिम्मेदारी के साथ इस देश में अपने पांब पर खड़े हों । इसके लिए धार्मिक शिक्षा क्रा दिया जाना बहुत आवश्यक है और इस बारे में मैं श्री एम .सी. छगला ने जो किताब ''एजुकेशन ऐंड नेशन'' लिखी है उसकी कुछ लाइनें आपसे पढकर बताना चाहता हूं । वे लिखते हैं :–

"There are two broad approaches to education prevalent in the world today. The first emphasises the worthwhileness of the individual—it holds that every individual is unique and he must be permitted and assisted to develop to the best that is possible for him."

जब तक युवक के अन्दर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न नहीं होगी, उसका व्यक्तिगत चरित्र निर्माण नहीं होगा. उसके अन्दर भारतीय संस्कृति का शान नही आएगा और जब तक वह इन अर्थो के अन्दर पूरा नहीं उतरता तव तक वह न समाज के लिए, न अपने लिए और न देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है । मिनिस्टरी आफ एजुकेशन गवर्नमैंट आफइडिया, ने मोटिफिकेशन नम्बर 55/5/47–डी/ 3, द्वारा 4 नवम्बर, 1948 को एक कमीशन मुकरर्र किया था उस कमीशन में डाक्टर राधाकृष्णन, डाक्टर तारा चन्द, डाक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे बहुत से एमीनैट एजुकेशनिस्टस थे । उन्होंने भी इन बातों पर जोर दिया कि ये बातें शिक्षा में होनी चाहिएं । इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके पेज 300 पर वे लिखते हैं :–

"29. The need for Religion in a Secular State.—The fundamental principles of our Constitution call for spiritual training. There is no State religion. The State must not be partial to any one religion. All the different forms are given equal place, provided they do not lead to corrupt practices. Each one is at liberty to approach the Unseen as it suits his capacity and inclination

Further, on page 302, it is stated—

"34. Philosophy of Religion.—When the students get acquainted with the great thoughts of great souls, they should be introudced to the problems of the philosophy of religion. What is the message of philosophy to the new world ? We are trained in modern science and thought and our views must be able to satisfy the reflective and inquiring minds. We must do for oure generation what the great thinkers of the past did for theirs. We must reckon with the intellectual doubts to which the modern world is prone and formulate views regarding the meaning and nature of the universe."

स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारे देश में नौजवान के अन्दर काम न करने की मनोवृत्ति पैदा हो ची है । हमें उसे चौक करना चाहिए क्योकि यह देश के लिए नुक्सानदेह बात है । कोई भी स्टूडैंट जब स्कूल, कालेज से पढकर निकलता है तो एर पर भी काम करदे से जी जाना है, घर के लिए आटा पिसवाने जाना हो तो बाप भले ही गदम सर पर उठाकर चक्की पर चला जाए, लेकिन बच्चा महसूस करता है कि क्या वह मैट्रिक, बी .ए. करके गदम सिर पर उठाकर आटा

पिसवाने जाएगा । लार्ड मैकाले ने जो क्लर्क पैदा करने के लिए शिक्षा प्रणाली चलाई थी और जो अव तक चल रही है उसका नतीजा आपके सामने है । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का युवक तभी देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है अगर उसके ज्ञान का स्त्रोत ठीक होगा । इस के लिए यह होना चाहिए कि हम उसके अन्दर धार्मिक भावना, भारतीय भावना, भारतीय सभ्यता पैदा करने के उसे इसके अनुरूप शिक्षा दें ताकि वह इस राष्ट्र के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए लाभदायक हो सके । इस बारे में शिक्षा के ऊपर जो किताब डाक्टर श्रीमन् नारायण जी ने लिखी है उसके पेस 63 पर वे कहते हैं :—

"Besides text-books by Indian authors, importance should he given to the study of ancient Indian books like the Mahabharat, Bhagwat-gita, Ramayan, Kautilya's Arth-Shastra, etc."

तो स्पीकर साहब, जब तक हम अपने पुराने ग्रंथों में से चरित्र निर्माण की बाते जो भारतीय संस्कृति ऑर भारतीय सभ्यता के अनुरूप हैं बच्चों के जीबन सें नही डालेंगे तब तक हमारें ये बच्चे तामीरी कामों की तरफ न जाकर तखरीबी कामों की तरफ ही बढ़ेंगे जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है ।.. (घंटी).. अन्त में मैं अब यह बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे देश आर्थिक तौर पर प्रगति कर सके, नौजवानों के मन का विकास हो सफे, देश खुशहाल हो सके, समाजवाद

स्थापित हो सके और यह जो गरीबी दूर करने का नारा है केवल नारा ही न रहे बल्कि गरीबी सही अर्थों में दूर हो सके । इस प्रकार शिक्षा देने के लिए हमें स्कूलों, कालेजों में जो शिक्षा प्रणाली चला ची हैउसे तबदील करना चाहिएं और इस तबदीली के लिए हमें शिक्षा को माडूनाईज करनापड़ेगा । आज हम जव सोशलिजम लाने की बातें करते हैंऔर गरीबी हटाओ की बातें करते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है कि आगे वाली नसल को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके अन्दर काम करने की भावना पैदा हो और प्राइमरी स्टेज से ही भाषा ज्ञान के साथ–साथ बच्चे की रुचि को देखकर उसकी रुचि के मुताबिक उसे टैक्नीकल ऐजूकेशन दी जाए । शिक्षा में इस प्रकार की तबदीली लाने के लिए सरकार क्रांतिकारी स्टैच्छ उठाए ।.. (घंटी).. स्पीकर साहब, हरियाणा की खुशहाली दो बातों पर निर्भर करती है और वह हैं ऐग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज । इन दोनों विषयों पर शुरू से ही क्षिक्षा देना शुरू करना चाहिये ताकि विद्यार्थी पड़ लिख कर अपने पांव पर खड़ाहो सके । स्पीकर साहब आप जर्मनी और जापान की मिसाल को देखें । यह दोनों देश पिछली बड़ी लडाई में तहस नहस हो गये थे लेकिन आप देखें कि कितने थोड़े अर्से मैं बह अपने पांव पर खड़े हुए ।.. (घटी).. बस जी मैं एक बात कहकर खत्म करता हूं । ' जापान को मिसाल आपके सामने है और वह देश कहां से कहां पहुंच गया । मेरे पास एक किताब ' 'एजुकेशन एंड माडूनाइजेशन'' है, जो एम ०डी०शिपुमैन ने लिखी है । वे जापान के बारे में लिखते हैं :– "No country has accomplished

the movement to high mass consumption at such speed as Japan. This was also accomplished without Western economic investment and without accepting Western values along with techniques. Further more, Japan was the first nation to deliberately use education as a means of modernisation and nation building. The interest in Japan has been increased by the rapid economic recovery made after 1945 and the apparently successful transition from aggressive militarism to detachment from international politics.

The use of foreign experts and the establishment of colleges and schools to train engineers and technologists solved the problem of supplying high level skills. But the new industrial and commercial concerns, set up by the government, and then, handed over to private firms, needed industrial skills at all levels from an early stage. These were provided by training on the job. In some cases the government set up model plant in which workers were gathered to learn the new skills before dispersing to local factories to pass these on to others. Private firms too set up training schools and extended the apprenticeship schemes that were common in the town in the Tokugawa period. These were easy to organise in factories and commercial firms where employment was a commitment for life and where the firm accepted obligations exceeding those normal in the West....."

.... (घंटी) स्पीकर साहव, यह मेरी लास्ट सुजैशन है । मैं आपके द्वारा सरकारसे कहना चाहूंगा कि इस शिक्षा प्रणाली को तबदील करें और तबदील करते वक्त दो बातों पर ध्यान रखें ।

एक तो यह कि ज्हा पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट खोले हैं, उन का स्तर उंचा किया जाए, उनकी आर्थिक समस्याओं को हल किया जाए । आर्थिक समस्या को हल करने वाले जितने भी एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए । इसके अतिरिक्त दूसरा सुझाव यह दुगा कि हमारे देश में जितने. भी प्राइवेट इस्टीच्यूशन हैं, जो न केवल सामान पैदा करते हैं बल्कि सामान के साथ–साथ देश की दौलत को भी बढाते हैं, उन इंस्टीच्यूशन्ज को फैक्ट्रियों तक ही सीमित न रहने दिया जाए बल्कि जापान. के पैटर्न पर उनमें लड़कों के लिए ट्रेनिंग सैन्टर खोले जाएं । ये ट्रेनिंग सैन्टर खोलने के लिए उन पर कोई पाबन्दी लगाई जाए, चाहे लैजिस्लेचर में कोई बिल लाकर लगाई जाए, चाहे उन के कर्जो पर लगाई जाए, जो उनको दिए जाते हैं या बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल कालोनीज वनाने के लिए जो सहूलियतें ही जाती हैं उन पर पाबन्दी लगाई जाए । कहने का मतलब यह है कि ये सहूलियतें देने से पहले कोई न कोई कंडीशन जरूर लगानी चाहिए जिससे फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सैन्टर खोले जा सके ताकि वे नोजवान जो शहरों में हैं, रूरल एरियाज में बेकार फिरते हैं, दे ट्रेनिंग ले सकें । मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको भाषा का तो ज्ञान हो ही जाएगा और इसके कद अगर वे किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीच्यूशन में बैठकर कोई टैक्नीकल मन प्राप्त कर लेगा तो उसको वहां से सर्विस भी मिलेगी, ऐम्लायमैंट का मसला हल हो जाएगा और आर्थिक तौर पर खड़ा हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का

समर्थन करता हूं । एक बार मैं फिर चौधरी मेहर चन्द जी को धन्यवाद देता हूं जो इतना अच्छा रैजोलयून लाए इसमें मैंने एक अमैंडमैंट दी थी जिस में सुझाव दिया था कि रुक कमेटी अन्डर दी चेयरमैन शिप आफ दी चीफ मिनिस्टर बनाई जाए जो इस बात का आगाज करती और देखती कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हम बना सकते हैं जिससे हमारे मन का विकास होता, जीवन का विकास होता और आर्थिक तौर पर हमारी समस्याएं हल होतीं और देश के दूसरे प्रांतों को हम लीड देते । यह कहकर स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक) : स्पीकर साहब, चौधरी मेहर चन्द जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और इसके पीछे जो भावना है, उद्देश्य हैं, उसके साथ मैं पूर्णरूप से सहमत हूं । जिस समथ हमारा देश आजाद हुआ, जैसा कि आपके सामने चौधरी राम लाल जी ने कहा, एक कमिशन 1948 में शिक्षा के सुधार के लिए बैंठा इसके बाद 1952 – 53 में मुडलिया कमीशन शिक्षा के सुधार के लिए बैठा और उसके बाद कोठरी कमिशन बैठा ज्सिमें दूसरे देशों के ऐक्सपर्ट्स मौजूद थे । इन कमिशनों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है । जिस के ऊपर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें आहिस्ता–आहिस्ता अमल कर रही हैं । जो प्रस्ताव सदन में पेश हुआ है उस के मुताबिक 10+2+3 की एक स्कीम अब चालू करले पर विचार किया जा रहा है दसवीं जमात तक जो लड़का शिक्षा प्राप्त करता हं उसको इस स्कीम के

तहत कुछ एक्सपीरिऐंस हो जाता है । इस प्रकार पहली जमात से जो लडका काम करना शुरू कर देता है, अगर उसको कुछ विज्ञान का ज्ञान दिया जाए, कुछ टैक्नीकल शिक्षा दी जाए, तो वह अपना कुछ न कुछ धन्धा कर लेता है ताकि कालेजों पर लड़कों. का ज्यादा भार न पड़े । इसके पश्चात् दो साल की शिक्षा होगी, जिसमे व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें वह निपुण होगा ताकि हर एक विद्यार्थी कालेज की तरफ न भागे । दो साल के बाद चाहे वह दस्तकारी का काम कर ले, चाहे कुछ कर ले लेकिन वह कुछ न कुछ जरूर करेगा । यह बात सरकार के जेरेगोर है और केन्द्रीय सरकार इसको सब राज्यो मे लागू करने जा रही है ।

अब प्रश्न यह है कि इसको लागू कैसे किया जाए? सबसे बड़ी रुकावट सामाजिक समस्या है । समाज के अन्दर हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं उनका समाज में आदर नही होता योर जो हाथ से काम करने वाले हैं उनके अन्दर भी हीन–भावना विद्यमान है । आए दफ्तरों में जाइए । एक बाबू बैठा होता है और उसके सामने जब हाथ से काम करने बाला आदमी, जो हजार, दो हजार रुपए महीना कमाने वाला जाता है, तो वह समझता है कि यह बाबू मेरे से बहुत ऊंचा है और इसके दूसरी तरफ बाबू भी यही समझता है कि मैं इससे ऊंचा हूं । इसलिए जव तक हाथ सेकाम करने वाले व्यक्ति का समाज में आदर नहीं होता, डिगनिटी आफ लेवर नहीं होती तब तक कुछ नहीं होना चाहे कितना ही सुधार कर लें । मुझे याद. है, 1947 से पहले जो लड़के बी.एस.

सी. ऐग्रीकल्चर हुआ करते थे, क्योंकि लिए सरकार ने एक योजना बनाई थी कि बी.एस.डी. ऐग्रीकल्चर लड़के को एक मुरब्बा जमीन दे ताकि वह उस पर खुद खेती करके दिखाए । मूरब्बे दिए गए लेकिन किसी ने हाथ से काम नहीं किया, सारा काम मुजारों के हाथ करवाया । चौधरी शिव राम वर्मा इस प्वायट पर बोल रहे थे, वे बताएं कि कौन बी.एस.सी. खेत में काम करता है? क्या किसी ने स्वयं काम किया है....?

चौधरी शिव राम वर्मा : मेरा अपना लड़का जो एम.एस. सी. एग्रीकल्चर फर्स्ट– क्लास है, खेत में काम कर रहा है

श्री माडू सिंह मलिक : खैर कुछेक होंगे.. स्पीकर साहब, हमने आई.टी. आई. खोले हुए हैं । उनमें लड़कों को कई प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं । आज हर गांव में ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन आई.टी.आई. के ट्रेड आदमी ने किसी भी गांव में जाकर ट्रैक्टर रिपेयर के .लिए कोई वर्कशाप नहीं बनाई क्योंकि वे हाथ से काम करने से कतराते हैं । आज पड़े–लिखे आदमी हाथ से काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं समाज को यह भावना बदलनी पडेगी, समाज को, हाथ से काम करने वाले लोगों का आदर करना पड़ेगा । .इसके साथ–साथ जो फैस्ट्री मे काम करने वाले आदमी हैं, उन के लिए .भी आवश्यक है कि दे अपने मन से यह हीन–भावना निकाल दें कि वे किसी से छोटे हैं । महात्मा आनन्द स्वामी, जो लाहौर के अन्दर एक अखबार चला रहे थे, उन के पास एक लड़का गया । वह मैट्रिक पास था । लड़के

ने कहा कि मुझे काम दो । उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेरे पास अखबार पड़े हैं, उनके लिफाफे बनाओ । जब लिफाफे बन गए तो कहा कि इनको बाजार में बेच आओ । वह बाजार मे बेच आया और दो–तीन रुपए बन गए । इस तरह 90 रुपए महीना हो गया । उसके बाद उसे कहा कि तुम कली करने का सामान खरीदो । फिर वह कली करने लगा । कई दिनों बाद महात्मा जी। के पास उसके पिता की चिट्ठी आई जिसमे लिखा था कि मेरा लडका आपके पास आया था, कृपया बताएं कि वह आजकल क्या कुछ कर रहा है? महात्मा जी ने जवाब दिया कि तुम्हारा लड़का मेरे पास आ गया है और काम पर लग गया है । वह महात्मा जी के पास आ गया और कहने लगा कि वह तो कली कर रहा है, मेरी तो आपने सारे समाज में बेइज्जती करवा दी क्योंकि वह तो पढा लिखा है । कहने का मतलव यह है कि वह समझता था पढे लिखे लड़के को कली करना बूरी बात है नौकरी मिलती तो अच्छी बात थी । जव तक यह भावना दिमाग से नहीं निकलता काम करने वाले का समाज में आदर नहीं होगा, तब तक हम शिक्षा में कितना ही सुधार कर दे, काम नहीं चलेगा । लडके–लडकियो को हाथ से काम करने की लग्न होनी चाहिए और देश की सम्पत्ति को बढ़ाना चाहिए । देश को सम्पत्ति को दो वर्ग बढ़ाते हैं–एक किसी वर्ग और दूसरा फैक्ट्री में काम करने वाले लोग । बाकी वर्ग सम्पत्ति को बढ़ाते नहीं है । तो देश को सम्पत्ति बढाने वाले वर्ग का जब तक समाज के आदर नहीं होगा, भले ही आप कोई सुधार कर दें, तव तक यह मसला हल नहीं होने वाला । इसलिए सरकार

इस बात पर सोच–विचार कर रही है कि किस तरह से बच्चों के अन्दर काम करने की भावना है? की जाए । हाथ से काम करना जरूरी है ताकि फ्रस्ट्रेशन दूर हो । जब तक यह नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा । इस प्रस्ताव की जो भावना है, मैं इसका आदर करता हूं । दूसरी चीज जो शिक्षा के मामले में चौधरी राम लाल ने कही, उसका हरियाणा के अन्दर सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हरियाणा में पहली जमात से यूनिवर्सिटी लैवल तक हिन्दी

11.00 बजे

जहां तक वैज्ञानिक शिक्षा या मैडीकल शिक्षा का सवाल है जितने भी हिन्दी भाषी प्रदेश हैं उन सबमें हिन्दी ग्रंथ एकेडमी बनी हुई है और इनसे हम या तो अनुवाद करवा चे हैं या मौलिक पुस्तकें लिखवाई जा रही हैं लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है । ऐसी पुस्तक लिखने के लिए या अनुवाद करने के लिए जरूरी कप कि लिखने वाले को या अनुवाद करने वाले को भाषा का शान भी हो और विषय का ज्ञान भी हो । ऐसे व्यक्ति जिनको भाषा का शान भी हो और विषय का शान भी हो, बहुत कम मिलते हैं, फिर भी हम यूनिवर्सिटी के लायक लैस्वरर्ज से इस काम को करवाते हैं लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसी पुस्तकों को पढ़ाने वाले कितने हैं? आज कितने ऐसे लैक्वरर्ज मिलेंगे जो उस भाषा का ज्ञान और विषय का ज्ञान रखते हैं? तो यह हमारे सामने एक दिक्कत है कहना आसान है कि हिन्दी का माध्यम कर दो लेकिन हमें तो पढ़ाने वाले ऐसे अध्यापक चाहिएं, प्राध्यापक चाहिएं और प्रिंसिपल

चाहिएं जो उस विषय को उस भाषा में पढा सके ।... (विष्य). रू स्पीकर साहब, कहा जा रहा है कि पढाने वाले पढ़ो के बाद ही पैदा होंगे । यह तो ठीक है लेकिन वे एक दिन में ही पैदा नहीं होंगे, उसमें कुछ समय लगेगा । .तो इस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं कि जो शिक्षा हमारे बच्चों को मिले वह उनकी मातृभाषा में मिले । .राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने भी यह बात कही थी कि हमारे बच्चों को अपनी मातृ भाषा के अन्दर शिक्षा मिलनी चाहिए । मैं इस बात को मानता हूं कि बच्चो को अच्छी समझ आएगी अगर अपनी मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी । सरकार इस तरफ भी कदम उठा रही है ।

तो इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत चौधरी मेहर चन्द जी को और सदन को यह आश्वासन दिलाता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस तरफ पूरी सक्रीय है और जल्दी से जल्दी उनकी भावना को पूरा करने का यत्न किया जाएगा । अब मैं चौधरी मेहर चन्द जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले ले ।

Chaudhri Mehar Chand (Badopal) : Mr. Speaker, Sir, since it is an all-India issue and in view of what has been said by the honourable Minister for Education, I beg leave to withdraw my resolution.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave be granted to the honourable Member to withdraw his resolution ?

Voices : Yes.

The resolution was by leave with/ drawn

(ii) अबोहर और फाजिल्का आदि हरियाणा राज्य को हस्तांतरित करने हेतु

राव दलीप सिंह (कनीना) : स्पीकर साहब, मेरा रैजोल्यूशन यह है कि–

This House recommends to the State Government to approach the Government of India to take steps to implement their decisions published vide Press Communique—Punjab Disputes on 29th January, 1970, relating to—

(I) the transfer of—

(a) a part of the Fazilka tehsil of Ferozepore district in Punjab comprising the old Zail of Fazilka and Fazilka Town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the zails of Chandankhera and Kundal;

(b) a strip of territory of an average width of about one furlong along the inter-State boundary between Punjab and Rajasthan in village KanduKhera of Muktsar tehsil, to the State of Haryana ; and

(ii) the appointment of a boundary commission to settle the claims and counterclaims for readjustment of the existing inter-State boundaries between the States of Punjab, Haryana

and Himachal Pradesh, without any further delay.

स्पीकर साहब, हरियाणा और पंजाब दोनों साथ–साथ पहले कंपोजिट पंजाब में रहे हैं और पंजाबी बोलने वाले लोगों ने बड़े जोर से यह क्लेम उठाया, संघर्ष किया कि हमारा प्रांत अलग बनाया जाए । इस बारे में स्पीकर साहब एक बाऊडरी कमिशन भारतीय सरकार ने अप्वायट किया जिसके एक आनरेबल जस्टिस शाह चेयरमैन थे और उनके साथ .दो और सदस्य थे जिनके नाम हैं मिस्टर एस.दत्त. और एम.एम. फिलिप । बहुत से आर्गेनाइजेशन्ज से बात करदे के बाद उन्होंने अपनी रिकमैंडेशन्ज पेश कीं । उन रिकमैंडेशन्ज मै जों रिकमैंडेशन उन्होंने हरियाणा के बारे मैं दी थीं वह रिपोर्ट के पेज 49 पर पैरा तीन में दी गई है । .इसमें उन्होंने लिखा है :–

"2. That district Hissar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal and the tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and tehsil Kharar (including Chandigarh Capital Project) Naraingarh, Ambala and Jagadhri will form the Hindi Speaking State."

स्पीकर साहव, इसमें जो डाइसेट किया है वह मिस्टर दत्त ने किया है । उन्होने लिखा कि :–

"Subject to my note on Kharar—Chandigarh."

स्पीकर साहब, मेन रिकमंन्डेशन इस कमिशन की यसू है कि चण्डीगढ और खरड हरियाणा को मिलना चाहिए । इसके बाद

चण्डीगढ़ के ऊपर, स्पीकर साहब, क्लेम और काऊंटर क्लेम होता रहा अरि दोनों तरफ ऐसी भावनाएं पैदा हो गई, जिसका कोई हिसाब नहीं । उधर संत फतेह सिंह जी ने भी मरण व्रत रख सिया । कहने का मतलब यह कि ऐसा ऐटमासफियर पैदा हो गया कि आखिर सैन्ट्रल गवर्नमैंट को यह कहना पडा कि या तो दोनों स्टेटस आपस में कोई फैसला कर लें वरना भारतीय सरकार पार्लियामैंट के बजट सेशन से पहले अपना फैसला अनाउंस कर देगी । कोई आपसी फैसला न होने के कारण भारतीय सरकार ने फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक यह तय पाया गया कि चण्डीगढ पंजाब को जाए और ये इलाके जिनका जिकर मेरे रैजोल्यूशन में है, हरियाणा को चाहिएं । भारतीय सरकार का यह डिसीजन हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा दे अनाउस किया । यूनियन गवर्नमैंट का फैसला होने के बाद स्पीकर साहब हरियाणा में लोगों की इच्छाएं थीं कि चण्डीगढ और खरड तहसील हरियाणा का पार्ट रहे, उनको ठेस पहुंची । कुछ जगह शोर शराबा भी हुआ और पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाई और बहुत से शक्स तथा स्टुडैन्स मारे भी गए । हरियाणा के लोग आज भी इस बात को समक्षते हैं कि हमारे हकूक पर यह बड़ा भारी कुठाराघात है जो कि चण्डीगढ़ और खरड तहसील हम से ले लिया गया लेकिन फिर भी हरियाणा के लोगों दे इस फैसले को री–कंसाइल किया और तसलीम कर लिया, मान लिया कि जो फैसला हमारी भारतीय सरकार ने किया है उसकी मानते हैं । लेकिन, स्पीकर साहब, दूसरी तरफ पंजाब सरकार जो कि एक

कांग्रेस सरकार ही है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वह चाहती है कि किसी न किसी तरह इस फैसले से बैक आउट करें या कहे कि यह फैसला नहीं था बल्कि एक कहने की बात थी । उन्होने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक रैजोल्यूशन भी पास किया है । उस कमेटी मीटिंग में सैन्टर के एक मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह जी भी मौजूद थे और उन्होने भी उसे मीटिग को ऐड़ैस किया था । उस रैजोल्यूशन की वर्डिग स्पीकर साहब, इस प्रकार है :—

"A resolution passed by the general body of the P.C.C. at its meeting here said that Chandigarh belonged to Punjab by right and Fazilka and Abohar could not be separated from it.

The deal had been accepted by the Akali-Jan Sangh Ministry to save itself and Sant Fateh Singh at the cost of Punjab's interest."

स्पीकर साहब, मेरे समझ में यह बात नहीं आई । भारत सरकार जो कि एक कांग्रेसी सरकार है उसका वह फैसला है और पंजाब सरकार, जौ कांग्रेसी सरकार ही है, वह कैसे उस फैसले से बैक आउट कर सकती है? हरियाणा कई लोग कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पहले तो इनसे चण्डीगढ छीन लिया, जो कि एक जूडिशियल कमिशन ने हमें दिया था और अबवे फाजिल्का अबोहर भी हमें नहीं देना चाहते ।

स्पीकर साहब, यह कोई ऐसी वात नहीं है कि हरियाणा को जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी । हरियाणा की जनता इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि फाजिल्का और अबोहर हरियाणा से अलग हों और चण्डीगढ भी उससे अलग हो । हरियाणा की जनता इस बात को तैयार है कि अगर कभी कोई संघर्ष आया तो वह पूरी तरह से संघर्ष करेगा ।

स्पीकर साहब, मैं आपको यह बताऊं कि हरियाणा के नौजवानों ने चीन का मुकाबला किया और पाकिस्तान के साथ बड़ी लड़ाइयां लडी हैं । हम कोई ऐसी बात नहीं चाहते हैं । पंजाब के भी हमारे भाई हैं, हमारे पड़ौसी हैं । हम आपस में लड़ाई की कोई बात नहीं चाहते हैं । मिलकर के कोई बात हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है । करार वे अपने लोगों के दिलों में यह भावना पैदा करें कि चण्डीगढ भी हम रख लें और फाजिल्का अबोहर का इलाका भी हम रख ले तो यह हमारे हकूक पर छापा मारने वाली बात होगी और हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी । फाजिल्का अबोहर के इलाके पर हमारा हक है । उसके लिए जल्दी से जल्दी भारत सरकार को बाऊंडरी कमिशन अप्वायट करना चाहिए । जो फाजिल्का और अबोहर का इलाका है और जो दूसरे हिन्दी स्पीकिंग एरिया हैं वे हमें जल्दी से जल्दी हवाले किए जाए हमें चण्डीगढ़ देने में कोई एतराज नहीं हैं । ज्यों ही वे फाजिल्का और अबोहर का इलाका हमें देंगे, हम भी दे देंगे । इसलिए स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा दरखास्त करूंगा कि जल्दी से

जल्दी कमिशन अप्यांयट किया आए और जो इलाका अवार्ड में हमे दिया हुआ है वह दे दिया जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House recommends to the State Government to approach the Government of India to take steps to implement their decisions published vide Press Communique—Punjab Disputes on 29th January, 1970, relating to-

(i) the transfer of—

(a) a part of the Fazilka tehsil of Ferozepore district in Punjab comprising the old Zail of Fazilka and Fazilka Town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the zails of Chandankhera and Kundal;

(b) a strip of territory of an average width of about one furlong along the inter-State boundary between Punjab and Rajasthan in Village Kandukhera of Muktsar tehsil, to the State of Haryana; and

(ii) the appointment of a boundary commission to settle the claims and counterclaims for re-adjustment of the existing inter-State boundaries between the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, without any further delay.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने बड़ा अहम प्रस्ताव है

Mr. Speaker : Is there any amendment to this resolution ? If there is any amendment, let that be moved first and then both these can be discussed together.

Chaudhri Rain Lal Wadhwa : I have given notice of an amendment to this resolution.

Mr. Speaker : What is your amendment ?

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब मेरी अमैंडमैंट है कि जो इस रैजोल्यूशन का पैरा वन(ए) है, और जिसमें दिया है कि––

(i) the transfer of—

(a) a part of the Fazilka tehsil of Ferozepore district in Punjab comprising the old Zaila of Fazilka and Fazilka Town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the zails of Chandankhera and Kundal,

उसके ऐंड में यह ऐड कर दिया जाए–

at the time of transfer of Chandigarh to Punjab State.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, इस पर मुझे एतराज है ।. यह जो इन्होने अमैंडमैंट मूव की है यह तो मूल प्रस्ताव में आलरेडी कवर्ड है । इसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है ।

Mr. Speaker . Rule 181 reads—

"If notice of an amendment has not been given two clear days before the day on which the resolution is moved, any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail..."

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहव, मेरी प्रार्थना है कि इसे ऐडमिट किया जाए । एजेंडा हमें कल दो–अढाई बजे के करीब मिला और हाउस भी कल तकरीबन सादे पांच बजे तक चलता रहा । एजेंडा को हमने साढ़े छः बजे के करीब पढा । दो दिन पहले अमैडमैंट तभी दे सकते थे अगर यह एजेंडा हमें उससे पहले मिलता । आपकी जुरिसडिक्शन में तो है और आप इस अमैंडमैंट को शार्ट नोटिस पर भी ऐडमिट कर सकते हैं । जैसा कि मेने कहा कि कल हमें एजेंडा मिला आज सुबह आते ही मैंने अमैंडमैंट दे दी ।

श्री अध्यक्ष : आप यह अमैंडमैंट कल दे देते ।

चौधरी राम लाल वधवा : कल साढ़े पांच बजे तक तो सैशन चला । एकदम तो दिमाग में यह चीज नहीं आ सकती थी । कल हमें एजेंडा मिला और आज सुबह आते ही मैने अमैंडमैंट दे दी । मैं आपसे रिक्बैस्ट करूंगा कि आप इसको ऐडमिट कर ले ।

Mr. Speaker : If there had been no objection, it would have been alright. But as an objection has been raised, it will prevail. So , I have disallowed the amendment.

श्री अमर सिंह (बवानीखेडा अनूसूचित जाति) : स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने एक वहुत ही अहम प्रस्ताव फाजिल्का और अबोहर की बाबत हैं जिसका सबसे पहले ही लाजमी तौर पर इम्लीमैंट हो जाना चाहिए था । पंजाब हमारा नजदीक का साथी प्रदेश. है लेकिन मैं आपके द्वारा हाउस को बताना चाहता हूं कि हरियाणा हरि की भूमि यानी हर हर महादेव की भूमि है और कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी तप, त्याग और वीरों के बलिदान के क्षेत्र केरूप में हरियाणा के अन्दर मौजूद है । हरियाणा को वीरता की बाबत तारीख इस बात की शहादत है कि जितने भी हमलावर इस रास्से से देहली आना चाहते थे, जितने भी मुगल बादशाहों और दूसरे बादशाहों ने यहां पर हमले किए' उनके पानीपत के मैदान में, हरियाणा के।. इस तपो भूमि पर गोडे तोड़े गए और यहीं से वे वापिस लौट गए । (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता ही है कि 1857 के गदर के समय हरियाणा के नौजवानों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया । राव तुला राम और दूसरे कितने ही बहादुरों के नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया । अंग्रेजों की मेमों से अपने खेतों में गहटे हकवाए और अग्रजों से हरियाणा के नौजवान इतनी बहादुरी से लड़े कि उनके दांत खट्टे हो गए । बहादुरशाह जफर और दूसरे कितने ही हरियाणा के योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली । हरियाणा को भू मि योद्धाओं की भूमि के नाम से जानी जाती है । शायद पंजाब के भाई इस बात को भूल गए

हैंकि पुराने जमाने में दरिया सतलुज से लेकर मेरठ तक हरियाणा ही कहलाता था । यह गदर से पहले की बात है । अंग्रेजों ने हमें जो इस बहादुरी की सजा दी वह यह है कि हमारे इलाके को अलग–अलग टुकडों में बांट दिया जाए । इस इलाके को मुंतजिम होने का मौका मिलता, अपने पांव पर खड़े होने का मौका मिलता और पंजाब के साथ हमारे भाई चारे को आगे बढ़ाते, अंग्रेजी ने हमारे सारे इलाके को अलग–अलग करके बांट दिया । पंजाब के साथी इस बात को भूल गए कि महाराजा पटियाला को जो गद्दी मिली थी वह इसलिए अंग्रेजों ने दी थी क्योंकि हरियाणा के बहादुरों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था । इसी तरह से जींद के इलाके का भी राजा बनाया गया । इस तरह से कितने ही ऐसे छोटे–छोटे सूबे हमारे अन्दर से बनाए गए थे । हरियाणा के योद्धाओं को अलग–अलग बांटा गया । वे टुकड़े उन लोगों को दिए गए जो अंग्रेजों के सिफारशी थे या अग्रेजों की जू तिया साफ करने वाले थे । हरियाणा कभी भी इस बात को नहीं भूल सकता कि हरियाणा के साथ गदर से पहले भी ज्यादती हुई है और गदर के बाद भी ज्यादती होती रही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो हमारा यूनिक ब्लाक हरियाणा का था, उसको गदर के बाद अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का यह सबक मिला था । अंग्रेजों ने मेरठ डिवीजन कोअलग कर दिया और इस पटियाला और सतलुज के इलाके को अलग कर दिया । एक छोटा सा टुकड़ा, चार–पांच जिलों का वह लंगड़ा इलाका, हमारा हरियाणा रह गया । 15 अगस्त, 1947 को जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो हरियाणा

को उस वक्त भी सैकेण्ड रेट सिटीजन समझा जाता रहा क्योंकि यह 1 नवम्बर, 1966 तक पंजाब की कालोनी बना रहा । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिन्दुस्तान तो 18 अगस्त, 1947 वगे आजाद हुआ लेकिन हरियाणा 1 नवम्बर, 1966 को आजाद हुआ । लाखों नौजवानों ने जिसमे हरियाणा का नुमायां हिस्सा है, इसके. लिए कुर्बानियां दीं । माओ के लालो ने फांसी के तख्ते चूमे, कितनी ही बहिनो के सुहाग छिने, तब कहीं हिन्दुस्तान को आजादी मिली । इस आजादी से सारा हिन्दुस्तान तो आजाद हुआ लेकिन हरियाणा फिर भी पंजाब का गुलाम रहा । हरियाणा को उसका नुमायां हिस्सा नहीं मिला और हरियाणा के लोगों को हर तरह की ज्यादतियां सहनी पड़ी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं भी उस दौरान में, 1962 से 1967 तक, ज्वायट पंजाब में एम.एल.ए. रहा हूं । राव निहाल सिंह जी भी हमारे साथ एम. एल.ए. हुआ करते थे । हमें पता है कि हम हरियाणा के एम.एल.एज. को कितना डिमौरेलाईज किया जाता था । हम कभी इलैक्ट्रिसिटी के लिए, कभी ट्यूबवैल कनैक्शनों के लिए, कभी मिडल से हाई और प्राइमरी से मिडल स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए बिगडते तो कमी किसी दूसरी चीज के लिए । उस समय इधर सउको का तो नामो–निशान ही नही था उस समय सारा वजट जालन्धर, अमृतसर, और लुधियाना, इन तीनों जिलों पर खर्च किया जाता था । हम बार–बार यह चिश्लाते थे कि हमारे तो बहुत बड़े–बडे गांवों में जहां. कि आठ–आठ या दस–दस हजारकी आबादी है, बिजली. नहीं दी जाती लेकिन जालधर, लुधियाना और अमृतसर में जो झोपड़ियां में भ्री लोग

रहते हैं वहां पर कनैक्शन दिए जाते हैं और लट्टू लगाए जाते हैं । हम यह कहते रहते थे कि न हमारे इतने वड़े–बड़े गांवों में हाई स्कूल है, न मिडल स्कूल हैं और न ही कोई पक्की रोड़ है । हमारे साथ वहां भी सैकण्ड रेट सिटीजन वाला व्यवहार होता रहा और ज्यादतियां होती रही । जब बजट की एलो– केशन होती थी तो हरियाणा के 5– 6 जिलों के लिए जो थोड़ा सा हिक्सा आता था, वह भी पूरे तौर पर खर्च नहीं किया जाता था । उस पैसे में से भी कुछ पैसा 31 मार्च, तक खर्च न करके और लैप्स करके जालन्धर, अमृतसर और लुधियाना की तरफ खर्च किया जाता था । हमारे हिस्से का पैसा बचा करके भी उधर खर्च किया जाता था । यह हमारे साथ ज्यादती होती रही । हरियाणा पंजाब के बंटवारे में भी हमारे साथ ज्यादती हुई । हरियाणा के लोग तो मुन्जरिम किस्म के लोग हैं । ये लोग आदेश का बड़ा आदर करते हैं, और डिसिपलिन में रहना जानते हैं । यह उस समय की बात है, जब हम ज्यादतियों के टाईम में गुजर रहे थे । उस समय हिन्दी रीजन और पंजाबी रीजन बनाया गया । यह जो फाजिल्का और अबोहर का एरिया है और जिसके लिए हम लडाई लड़ रहे हैं, उस वक्त के बड़े मेहरबान चीफ मिनिस्टर मे सब को हिन्दी रीजन और पंजाबी रीजन के चक्कर में डालकर हरियाणा के सिरसे जिले से हटाकर पंजाब का हिस्सा बना दिया था । बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है । यह फाजिल्का और अबोहर का एरिया सिरसा जिले का हिस्सा थे । उस टाईम सिरसा जिला होता था और फाजिल्का और अबोहर इसकी तहसील होती थी । उन्होंने हिन्दी रीजन और

पंजाबी रीजन बनाकर? हम लोगों को चक्कर में डाला । आप जानते हैं यह प्रोडक्टिव एरिया है । उस वक्त की हकूमत यह चाहती थी कि यह जो लायलपुर जैसा इशाका पैं, कोटन और गेहूं प्रोड्यूसिंग एरिया है इसे सिरसा जिले से तोडने के बाद पलाव क्षा हिस्सा बना दिया जाए । यह ओरीजनल हिस्सा हरियाणा का है । जैसे मैंने पहले अर्ज किया है हरियाणा तो दरियाए सतलुज तक था । अगर कोई इन्साफ की बात हो और अगर कोई इस बहादुरी का मिला या ईनाम हमें दे जो हमने गदर के टाईम दिखाई और फिर जो बहादुरी हरियाणा के नोजवानों ने चाईना और पाकिस्तान लडाई के समय दिखाई है, तो ये तो कहते हैं फाजिल्का और अबोहर, हमें तो सतलुज तक का एरिया ही नहीं बल्कि उससे भी आगे तक का एरिया मिलना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी बदकिस्मती यह है कि इतनी ज्यादतियां होने के बावजूद भी सैन्टर में जो हरियाणा का हिस्सा या जो सैन्टर में हरियाणा की लौवी है वह कमजोर है । पंजाब की लौबी हमारे से तगड़ा है या सैन्टर में हमारा सिर्फ एक स्टेट मिनिस्टर और एक डिप्टी मिनिस्टर है जबकि पंजाब है सैन्टर में केबिनेट मिनिस्टर हैं ..... डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधान मन्त्री अवार्ड जो दिया गया था वह आपको अवश्य याद होगा । नवम्बर 1969 में हरियाणा के नौजवान मतवालो ने पुरअमन तरीके से चण्डीगढ के लिए एक जलूस निकाला । हमने कहा कि चण्डीगढ हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है और हम छोड़ेंगे नहीं । मेरे साथी, मूवर आफ दी रैजोल्यूशन ने जैसे अर्ज किया है, शाह

कमीशन के नाम से जो एक कमिशन बना था, उसने मई, 1966 में रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा हुआ था चण्डीगढ, खरड और यह जो रोपड़ का इलाका है, यह सब हिन्दी स्पीकिंग एरिया हैं, पर हरियाणा का क्लेम है और यह हरियाणा का अंग बनना चाहिए यानी हरियाणा शामिल होना चाहिए । उसमें एक डिसैंन्टिग नोट था । उस कमिशन में एक मिस्टर दत्त थे, उन्होंने उस रिपोर्ट में अपना यह डिसैंटिग नोट दिया और यह कहा कि नहीं, चण्डीगढ पंजाब को जाना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज । यह जो प्रोसीडिंग्ज में .... लिया गया है, वह ठिक नहीं है । He is not party man उसको प्रोसिडिंग्ज से ऐक्सपज किया जाए ।

श्री अमर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने तो उन पर कोई आक्षेप नही लगाया है फिर भी आप जैसा चाहे, कर ले, । मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं यह अर्ज कर रहा था कि शाह कमिशन का एक एवार्ड था । शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे । आपको पता है जम्हूरियत के अन्दर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा दर्जा है । इंग्लैड के कांस्टीच्यूशन में भी ऐग्जक्टिव, लैजिस्लेचर, जुडिशियरी ओर फिर प्रैस का नम्बर अन्ता है । उसी तरह से हिन्दुस्तान में भी सबसे पहले नंबर पर लैजिस्लेचर पार्लियामैंट औरफिर जुडिशियरी आती है । प्रैस का नम्बर बाद में आता है । इतने उंचे स्तर के, सुप्रीम कोर्ट के वे ऑनरेबल जज जो बाद मैं चीफ जस्टिस बने, मिस्टर शाह, उन्होंने जो फैसला

दिया । उस फैसले 'को पंजाब वालों ने तोडू मरोड कर बदलवाना चाहा । कभी सन्त फतेह सिंह ने खाली तेल का दीपा रख कर डराना शुरू कर दिया कि मैं जल कर मर जाऊंगा यदि पंजाब को चण्डीगढ नहीं दिया जाएगा तो कभी कोई दूसरा सन्त चानन सिंह जैसा खड़ा हो गया जिसने कुछ और ऐलान कर दिया । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उससे पंजाब में एजीटेशन्ज शुरू हो गई । इसी तरह से फिर इधर हरियाणा में भी शुरू हुआ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमें पता है कि 15– 16 लाख हरियाणे के नौजवान मतवालों ने चण्डीगढ लेने के लिए पुर–अमन तरीके से प्रोटैस्ट किया । इतना बड़ा जलु स जो दिल्ली को गलियों से गुजरा, उसकी कही मिसाल नहीं मिलती । दुनियां की प्रैस ने इस बात को देखा कि यह वाकई वे लोग हैं, जिन्होने गदर में कुर्बानियों दीं और वह सब सच है जो हम सुना करते थे कि इन्होंने डटकर अग्रेजो का मुकाबला किया । दुनियां की प्रैस ने यह माना है कि वह 15– 16 लाख लोगों का जलूस था । वह इतना वड़ा जलूस था कि दिल्ली की गलियों में सिर्फ रंगीन साफे या केसरी साफे ही नजर आते थे । ये योद्धा अगर हाथों में हथियार लेकर आते तो शायद दिल्ली के लोग भी जमना पार चले जाते । आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये लोग पुर अमन तरीके से यह प्रोटैस्ट करते हैं कि चण्डीगढ हरियाणा का है और शाह कमिशन के फैसले को बना जाए । शाह कमिशन के उस फैसले को नहीं माना गया । हमने कहा कि हम हरियाणा के नौजवान जो इतने पुर–अमन तरीके से प्रोटैस्ट कर चे है, अगर हम दूसरे तरीके से

प्रोटैस्ट करने के लिए दिल्ली में आ गए तो पंजाब के साथ जो हमारा भाई चारा बना हुआ है, वह बिगड़ेगा । हमारी आंखों की लाली जाएगी, झगड़ा होगा और बद–अमनी की शक्ल अख्तियार कर लेगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं भी उस जलु स में शामिल था ।. हमने प्रोटैस्ट के तौर पर प्रधान मन्त्री जी से यह दरख्वास्त की कि आज का यह इतना बड़ा पुर–अमन इकट्ठा आपसे यह उम्मीद करता है कि चण्डीगढ हरियाणा को मिले और आप शाह कमिशन के फैसले को लागू करें । हमने प्रोटैस्ट करके मांग की । उस प्रोटेस्ट पर एक अवार्ड जनवरी 1970 को जारी किया गया । हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने वह अवार्ड जारी किया और एक फैसला दिया कि हरियाणा के लोग बड़े पुर–अमन तरीके से दिल्ली में आए । वह दिल्ली जिसमें कनाट–प्लेस. का एरिया है, चांदनी चौक का भी एरिया है और वह बड़ा नाजुक क्षेत्र है उसमे हरियाणा के बहादुर लोग कन्धे से कन्धे मिलाकर निकले हैं, मैं उनका आदर करती हूं । मैं चण्डीगढ पंजाब को देती हूं और इसके बदले में फाजिल्का और अबोहर का एरिया हरियाणे को देती हूं । प्रधान मंत्री ने जो यह फैसला दिया वह केबिनेट से पास कराकर दिया । जनवरी, 1970 के बाद आज तक भी इस फैसले को न माना जाना, हरियाणा के लोगों की हतक है । यह हरियाणा के बहादुरों को चेतावनी है और चौलेंज है कि जो फैसला जनवरी, 1970 को हमारी माननीय प्रधान मन्त्री ने अवार्ड के तौर पर अनाउंस किया थां उसको अब तक भी लागू नही किया गया । उस फैसले को मानने के लिए या उस फैसले पर अमल करने के

लिए क्या रुकावट है जिसकी वजह से यह फैसला नहीं होता? हमारे मुख्य मन्त्री बहुत बहादुर हैं । मैं समझता हूं कि उन्होंने हरियाणा के अन्दर काग करने में बहुत बहादुरी दिखाई थै । आज कोई. उनकी अपोजीशन कुरने वाला नहीं है, जितने लीडर थे, वे सारे साफ हो गए, कोई नही थपिंग मैजॉरिटी है । दौलता साहब, कांग्रेस में आना चाहते ' हैं, चौधरी चांद राम सघर्ष रहे हैं कि मुझे काग्रेस स में ले लो । वे संघर्ष करके कांग्रेस में आना चाहते हैं ।. मैं पुछना चाहता हूं क्यने चीफ मिनिस्टर साहब से और प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी से कि जब हरियाणा के लोग उनके साथ हैं तो फिर अबोहर और फाजिल्का को हरियाणा में लेने में कोन–सी रुकावट है, कौन सी हिचक है? मैं अर्ज करना चाहता हूं 'कि जहां तक विशाल हरियाणा पार्टी का ताल्लुक है, चाहे वह चण्डीगढ का सवाल है, चाहे अबोहर और फाजिल्का का सवाल है या दूसरे कंस्टूक्टिव काम हैं जो कि हरियाणा में हो रहे है, हमने हर मसले पर सरकार का विरोध नहीं किया कि यह कंस्ट्रक्टिव काम क्यों' हो रहे हैं, हमनें हमेशा अच्छे कामों की ताईद की है और जो गलत काम हुए है उनको गलत बताया है । हम तो सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि यह ढील क्यों हो रही है? इस प्रस्ताव के नम्बर दो पर जो यह लिखा है कि :–

"(ii) the appointment of a boundary commission to settle the claims and counter claims for readjustment of the existing, inter State boundaries..."

इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव का एक पार्ट है कि उस वक्त अवार्ड में यह फैसला हुआ था कि एक लिग्विंस्टिक कमिशन मुकरर्र किया जाए गा और यह कमीशन बाऊडरी कमिशन होगा और बाऊडरी कमिशन में यह तय किया जाएगा कि कितने हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हैं जो पंजाब में चले गए और कितने पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं जो हरियाणा में चले गए है और कितने गांव हिमाचल में चले गए हैं । वह कमीशन आज तक मुकर्रर नहीं किया गया है । उसको जल्दी से जल्दी मुकरर्र किया जाना चाहिए । आज लोगों को दबाकर या डरा कर नहीं रखा जा सकता । आज इस बात का तकाजा है कि यह कमिशन मुकरर्र किया जाए । हरियाणा के लोगों का यह तरीका रहा है यह खुबी रही है कि यह किसी को छोड़ते नहीं हैं लेकिन अगर इनको कोई छेड़ता है तो फिर उसको यह छोड़ते नहीं हैं । आज जब हम यह कहते हैं कि बाऊडरी कमिशन मुकरर्र क्यों नहीं हुआ तो हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि वह इसके लिए क्या प्रयत्न कर रही है । कमिशन अप्वायट करने में क्या हिचक है, क्या रुकावट है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यूनानिमसली एक प्रस्ताव पास किया जाए और सेट्रंल गवर्नमैंट से खास तौर पर प्रधान मन्त्री से यह दरख्वास्त की जाए कि जल्द से जल्द कमिशन अम्पांयट करके इस बात का फैसला किया जाए । प्रधानमन्त्री को बताया जाए कि हरियाणा के लोग बहुत बेचौन हैं, बहुत निराश हैं, बहुत नाराज हैं इस बात पर कि हरियाणा को अबोहर और फाजिल्का क्यों नहीं

दिया गया है । हमें चण्डीगढ को देने मे कोई आपत्ति नहीं है । वैसे भी प्रधान मन्त्री के अवार्ड को अगर हम नहीं मानते तो शाह कमिशन के अनुसार चण्डीगढ हमारा था । लेकिन हमने गिव एंड टेक की बात को माना । गिव और टेक की बात को मानने से कोई यह न समझे कि हरियाणा के लोग कमजोर हैं, हरियाणा के लोग मनवा नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब संत फतेह सिंह तेल का पीपा लेकर गुरुद्वारा मे बैठा था तो हमारा संत सूर्यदेव भी चण्डीगढ में बैठा था कि अगर संत जलेगा तो यह सूर्यदेव भी जलेगा । उस वक्त हमारे लोगों ने संत के मुकाबले में ज्यादा कुर्बानी दी । हम डिसिपलिन को मानते है लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जो डिसिपलिन का पाबन्द हो उसको ज्यादा सजा मिले, उसके साथ इन्साफ न हो । हरियाणा के लोगों की मान मर्यादा को अगर कोई ठेंस पहुंचाई जाती है तो वह किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं रहेंगे । यहां महाभारत हुआ, यहां गीता का उपदेश हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि पर । वे कुर्बानी के चिहन, वे खून के निशान आज भी हरियाणा के लोगों को कुर्बानी की याद दिलाते हैं । यहां के लोग यह कभी भी बर्दाश्त नही कर सकते कि उन पर कोई जुल्म करे और वे चुप बैठ चे । मैं कहना चाहता हूं कि 1966 में शाह कमीशन मूकरर्र हुआ और शाह कमिशन के बाद भी तबदीली आई और आज उस तबदीली पर अमल करदे में भी ढील है । उस डील को मुकम्मल किया जाए । 1857 की लड़ाई में हिस्सा लेने, कुर्बानी करने को सजा मिली और आज भी उस इलाके को सजा मिल रही है । आज उस इलाके को

पूरा पानी नहीं, पूरी बिजली नहीं, कोई जराये मुआश नहीं । वे लोग आज लूले–लंगडे नजर आते हैं । मैं समझता हूं कि आज सारे लोग बैठकर इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मामले में हम सब इकट्ठे हैं और वाऊंडरी कमिशन जल्द से जल्द मुकरर्र किया जाना चाहिए । मेरे साथी मूवर आफ दी रैजेल्यूशन वे जिक्र किया कि सरदार स्वर्ण सिंह उस रैजोत्यूशन को पास करने में शामिल हैं जिसमें कहा गया है कि अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को दिए न जाएं । सरदार स्वर्ण सिंह हमारे मंत्री हैं । मैं कहता हूं कि यह हमारे प्रधान मन्त्री का निरादर है । प्रधान मन्त्री ने जो अवार्ड दिया उसी के खिलाफ रैजोल्यूशन में सरदार स्वर्ण सिंह शामिल हुए जो कि सैन्टर मे मिनिस्टर हैं । मैं सरदार स्वर्ण सिंह को बताना चाहता हूं कि अब तो आपकी पार्टी की हकूमत पंजाब में है, आपकी पार्टी की हकूमत हरियाणा में है और सैन्टर में भी आपका पार्टी की हकूमत है । अब तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । हरियाणा के लोग अब हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं । अगर इस फैसले को उलटने की कोई कोशिश की गई या इस फैसले को न माना गया तो मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त तो हम पन्द्रह सोलह लाख गए थे, अब पचास लाख जाएंगे । उस वक्त तो हम खाली हाथ गए, लेकिन अब जैली और गन्डासे लेकर जाएंगे । हमें मजबूर न करो कि हम डिसिपलिन को तोडे । ऐसा न हो कि हम डिसिपलिन तोड़कर अपनी मान मर्यादा को बचाने में लग जाएं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सिर्फ दो भिनट और लूंगा । मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या

प्रयत्न किए हैं? अब तो पंजाब में कांग्रेस सरकार है और इस वक्त वहां कोई सन्त भी नहीं है और ज्ञानी जैल सिंह को तो अब कोई मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि अबवे सन्त महन्त के बिना ही हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कई ऐसे सन्त भी हैं जो हाउस में ही नहीं बैठते पर उस वक्त तो हमारे भी एक सन्त थे, जिन्होंने कहा था कि मैं भी इस के लिए तैयार हूं । डिप्टी स्पीकर कर साहिबा, हम सब भाई इकट्ठे हैं, चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई पंजाब के इलाके के रहने वाले हैं, चाहे कोई हरियाणा के रहने वाले हैं, हम सब भाई इकट्ठे हैं, चाहे आप पटियाला चले जाएं, करनाल चले जाएं, रोहतक चले जाएं, हमारी भाषा एक है, ' पहरावा एक है, हम सब भाई आपस में मिलनसारी से रहते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, आपस में घनिष्ठ मित्रज है । तो इस तरह से मैं सरदार स्वर्ण सिंह भी जिनकी का आज पंजाब में राज है और उनके सहयोगियों से अपील करूंगा कि दह हमारी मित्रता को खत्म न किवा जाए, हमारी मित्रता कायम रखी जाए और जो पहले फैसला हो चुका है, उसके हिसाब से फाजिल्का और अबोहर को हरियाणा को दिलवाया जाए । इस काम में कोई ढील नहीं होनी चाहिए । कहीं उन्होंने इसके उल्ट काम किया तो हमारी आपस की तलखी बढ़ जाएगी । तो मेरी फिर आपके द्वारा डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन से अपील है कि हमारा आपस का भोई चारा बना रहना दे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पंजाब के उन साथिथों से

जो यह समझते हैं कि इस फैसले को न माना जाए, और जो आज नेतृत्व कर ज्जे हैं, चाहे वे फौरन मिनिस्टर हैं और पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, सम्बन्धित हैं, उनसे बार–वार मेरी आपके जरिए निवेदन है कि हरियाणा की भूमि पर से गुजरने नहीं देंगे अगर इस प्रकान मन्त्री अवार्ड को नही माना तो मेरा कहना यह है कि फाजिल्का और अबोहर का इलाका जो है उसे जल्द ही हरियाणा को दिया जाना चाहिए । इसमें कोई देरी नही होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात का और निवेदन करना चाहिए हूं । (घटी)

अध्यक्ष : आप वाइंड अप करें, और भी मैंबर बोलना चाहते हैं ।

श्री अमर : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सैन्टर में हरियाणा के मामले में यह जो लाबी बनी हुई है, उसको मुखातिब होकर यह शेर कहता हूं कि–

मेरे जज्बात के तकद्दशु को कुचलने वाले,

यह वक्त है चारु भी चल सकता है,

क्या हुआ कि आज जमाने की हवा मुआफिक है मुझे,

यह वक्त है मेरे दोस्त बदल सकता है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा फिर उन लीडरों से कहूंगा कि वे बाऊडरी मुकरर्र करके हमारी इस प्रौबलम का

समाधान निकाले और फाजिल्का और अबोहर के इलाके को जल्द ही हरियाणा के हवाले करें । हमें चण्डीगढ देने में ऐसी कोई हिचक नहीं है, पता नहीं उनको फाजिक्का और अबोहर देने में क्या हिचक है लेकिन हम चण्डीगढ नहीं छोडेंगे जब तक हमें फाजिल्का ओर अबोहर नहीं मिलेंगे । उस समय तक चण्डीगढ ही हमारी राज– धानी रहेगी । बस मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चोधरी मेहर चन्द्र (बडोपल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे भाई ने बोलते हुए बहुत सी बाते इस प्रस्ताव के ऊपर कहीं । मैं बहुत सी उनकी बातों से तो सहमत हूं लेकिन गंडासे ओर लाठी की दात जो उन्होंने कही, उससे सहमत नहीं हूं । एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि इस मामले में पहले ही शुरु से मैं वास्ता रहा है । हरि– याणा बनने से पहले हुक्म सिहं कमेटी के सामने भी मैं पेश हुआ था । मैंने एक मेमो– रैन्डम भी किया है । उसके बाद यह निर्णय हुआ कि पजांब कार्य आऊट करके हरियाणा बनेगा । फिर उसके बाद शाह कमिशन सैट अप हुआ उसके सामने भी मैं पेश हुआ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक मैमोरैन्डम भी उस कमिशन को पेश किया गया था कि कौन–कौन सा इलाका.हरियाणा को मिलना चाहिए और वह इलाका लैग्वेज के बेसिज पर मिलना चाहिए, यह था मेरा मैमोरैन्डम । उस वक्त मैंने अबोहर और फाजिल्का का इलाका तो क्लेम किया ही था क्योंकि

इस में तो. कोई शक नही कि वह तो था ही हिन्दी स्पीकिंग एरिया लेकिन हमारी बदकिस्मती यह रही कि पंजाब के हमारे वड़े भाई ने, जिसको हम बड़ा भाई कहते हैं, इस हाउस के अन्दर भी कहते हैं और बाहर भी कहते. हैं, चापलूसी भी करते हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया । कन्दुखेडा विलेज, फाजिल्का और अबोहर का पार्ट था । उस समय सरदार प्रताप सिंह कैरों की वजारत थी और एक रैवैन्यू मिनिस्टर थे जो कि आज हस्पताल में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहताय उन्होंने क्या किया कि इस गांव को मुक्तसर तहसील में शामिल कर दिया. क्योकि तकसीम जो होनी थी, वह लैंग्वेज के बेसिज पर होनी थी । तो उन्होंने यह कहा कि इनका लिंक ही न रहेगा । यह उन्होंने किया कि मुक्तसर तहसील जो है वह तो बै ही पंजाबी स्पीकिंग एरिया इसलिए इस गांव को उसमें शामिल करके हमारा इस से लिंक तोड दिया । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं हिन्दी स्पीकिंग एरिया के बारे में जिकर कर रहा था । जो मैमोरेन्डम मैंने दिया था, उस में मैंने यह साबित भी किया था कि कालका से चलकर नालागढ हमारा है । नालागढ हिन्दी स्पीकिंग एरिया है और आज भी मैं यह दावा करता हूं कि नालागढ हिन्दी स्पीकिंग एरिया है । उसके वाद मैंने क्लेम किया था कि जो ऊना तहसील है, वह भी हरियाणा को मिलनी चाहिए । इस इलाके के बारे में मैं कह सकता हूं क्योंकि जब मैं सर्विस में था और उस तरफ टूर पर जाया करता था तो मैंने देखा कि उस तरफ जो सब–माउंटेनियस एरिया है, वह सारे का सारा हिन्दी स्पीकिंग एरिया था और अब भी है । इसके

साथ–साथ होशियारपुर का जो इलाका है इसमें भी बहुत सारा इलाका जो है वह हिन्दी स्पीकिंग एरिया है । फिर मैं तो यही तक कहता हूं कि हमारा क्लेम दूसरी तरफ पठानकोट तक ऐ स्टैब्लीश होता है, आप फाजिल्का और अबोहर की बात तो छोड़ो । लेकिन हम कई दफा ऐ सी बातें करते हैं कि हमारा हिन्दुस्तान एक है, यहां पर बिटरनैस क्रिएट नहीं करनी चाहिए । हकीकत तो यह है कि लैग्वेज के वेसिज पर अगर हम जाए तो फाजिल्का और अबोहर का इलाका तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ–साथ जिस–जिस इलाके को मैंने अभी जिकर किया हूँ वह भी सारी इस लैंग्वेज के आधार पर हमें मिलना चाहिए । इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहिवा, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हम बातों पर ही यकीन नहीं रखते । मैं तो यह कहता हूं कि ऐक्शन होना चाहिए, ऐक्सक्यूजीज का जमाना खत्म होना चाहिए, ६ऊएक्शन का जमाना होना चाहिए । आज हरियाणा में ऐक्शन कां जमाना है जो किताब आती है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ऐक्शन । मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा ऐक्शन की बात करता हूं । मैं सरकार से दरलास्त करूंगा कि जहां और चीजों को और ऐक्शन. लिया जाता है उसी तरह .से इसतरफ भीऐक्शन होना चाहिए । ओर साथ में यह भी कहूंगा ? कि हमें चण्डीगढ नहीं छोड़ना चाहिए जब्र तक कि फाजिल्का और अबोहर को इलाका हमें ट्रांसफर न हो जाए । तब तक हमें किसी दूसरी बात केबारे सोचना ही नहीं चाहिए । अगर हम ऐसा करते .हैं, सोचते हैं कि चण्डीगढ़ पंजाब को चला जाए तो मैं यह कहूंगा कि हम हरियाणा

की शान को खत्म करना चाहते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इस मामले में यह कहना चाहता हूं कि हमारे विचार फर्म हैं। हम एक हैं हम यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चण्डीगढ पंजाब को चला जाए । अगर. ऐसा हो गया तो हम तो भेडू बकरियों की तरह रोडज पर होगे । डिप्टी स्पीकर साहिबा 1974–75 का साल जो है इसके बाद उस अवार्ड के मुताबिक 5 साल की अवधि खत्म हो जाती है जिसके तहत यह कह। गया था कि हरियाणा को पांच साल के बाद चण्डीगढ खाली करना पडेगा । ऐसा होने से फिर हम रोड साइड पर रहते हैं, यह गल्त तरीका है । यह हमारी खुद्दारी की आजमाइश होगी अगर हम इसमें पूरा नहीं उतरते और न ही हरियाणा वाली जनता हरियाणवी कह– लाने की हकदार होगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं जो कहते हैं कि चण्डीगढ पंजाब को जाना चाहिए, कि हम हरियाणा के साथ बे इन्साफी नहीं .होने देंगे । जैसा कि मेरे भाई चौधरी अमर सिंह जी ने भी कहा कि अव्वल सो हरियाणा के लोग किसी को कुछ कहते नहीं अगर कोई उनकी गैरत को ललकारता है तो वे फिर छोड़ते नहीं तो उसी प्रकार मैं भी– इस मामले में यह रहूंगा कि––

हमारी गैरत पर कोई उंगली उठा सकता नहीं,

सर कटा सकता है हरियाणा सर झुका सकता नहीं ।

हम तो उन में से है । क्यों हम इन बातों को भूलते हैं ? मैं अभी यह कह रहा था कि मैं लम्बी चौड़ी स्पीचों में यकीन नहीं रखता । वैसे ही लाहौर की चर्चा कर देनी और किसी जगह कीचर्चा कर देनी, मैं इन बातो में यकीन नहीं रखा । हमारे सामने तों एक ही लक्ष्य है । ठीक है कि प्रधान मन्त्री जी ने अवार्ड दिया, हम उनके अवार्ड के सामने सिर झुकाते हैं । अखबारों से यह क्लीयर हो गया है कि यह सैन्ट्रल गवर्नमैंट का डिसीजन है । अगर सैट्रल गवर्नमैंट का डिसीजन भी इम्पलीमैंट नहीं होता तो खुदा हाफिज है । मैं एक बात और कहूंगा कि अगर ऐसे ही कोई बात बनती है, अगर हमारी प्रधान मंत्री जी को कोई ऐसी समस्या आई हुई हैतो उनके सामने दो रास्ते हैं कि या तो पंजाब से यह कहें कि अवार्ड का इम्पलीमैटेशन करो, अगर नहीं करते तो कहें कि

लेकिन ये तो चाहते हैं कि इस हाथ भें भी लड्डू रखें और उ स हाथ में भी रखें और छोटे भाई को लड्डू मिलने से रह जाएं । इनकी तो छोटे भाई के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उसको अजीज समझना चाहिए, उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होना चाहिए । करज आप किसी घर में भी जाकर देख सकते हैं .छोटे भाई. को बड़ा भाई प्यार करता है लेकिन हमारे साथ. यह है कि वह भी लड्डु उन्होंने ले लिया और यह. भी लडू उन्होंने ले लिया । हमारे लिए क्या है? ठोकरें? उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि हरियाणा के शूरवीर हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए अपनी

जान हथेली पर रखे हुए हैं । ये पंजाब का हरियाणा से मुकाबला करते हैं । मैं इनको कहता हूं कि हरियाणा से इनके मुकाबला नहीं करना चाहिए था । इनको याद रखना चाहिए कि हरियाणा किसी हालत में भी उनसे कम नहीं है । आज हरियाणा का नौजवान और अफसर फौज में बेहतरीन सिपाही हैं । सिपाही मैंने इसलिये कहा फौज में चाहे अफसर हो चाहे सिपाही हो उसे सिपाही ही कहा जाता है । हिन्दुस्तान की भूमि के एक–एक चप्पे की रक्षा हम भी चाहते हैं । क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? हम अपने बार्डर पर पाकिस्तान के बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकते हैं और हमारे जवानों के होते हुए फाजिल्का की तरफ पाकिस्तान आने का डेयर नहीं कर सकेगा । जैसे मैंने पहले कहा कि मैं लम्बी चौड़ी स्पीचों में यकीन नहीं रखता और इसी बिना पर एक शेर कहता हूं जिसे हर एक आदमी को अपने दिल में बिठा लेना चाहिए–

नहीं यह शाने खुद्दारी कि चमन से तोडकर तुझको,

कोई दस्तार में रखले, कोई जेबे गलु कर ले ।

हमें इतना कमजोर समझ रखा है कि गेंद की तरह से कभी इधर से मारा और कभी उधर से मारा । तो हम उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी मोहतरिम प्रधान मन्त्री साहिबा, मेरे ख्याल में जिनकी आज सारा हिन्दुस्तान इज्जत करता ह और जिनके सामने सिर झुकाता

है, जो बात कह देतीं हैं, उससे कभी पीछे नहीं हटती । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने भी यही बात कही थी कि प्रधान मंत्री जी जब एक दफा कोई फैसला कर देती हैं तो उस पर अटल रहती हैं । इसलिए हमें तसल्ली रखनी चाहिए लेकिन इन्पेशंस इस बात की हो रही है कि 29 जनवरी, 1975 को यह न कह दिया जाए कि मेरे वीरो यहां से हटो । चण्डीगढ खाली कर दो लेकिन चण्डीगढ के कलेम को रिलिंक्यूश हम उस रोज करेंगे जिस रोज वे यह कह देंगे कि यह अबोहर फाजिल्का तुम्हारा है । तो हम उस बड़े भाई की कदर करेंगे और कहेंगे लो भाई चण्डीगढ आप सम्भालो । लेकिन मैं एक बात कहूंगा । इस मामले में जो ढील है, उसके लिए मैं सैंटर की कमजोरी नहीं कहूंगा लेकिन यह बात जरूर है कि पंजाब के भाइयों की सैन्टर में हमारे से ज्यादा 'से' है पता नहीं वे क्या करते हैं? केबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो उनके बनते हैं, और कुछ होता है तो उनका होता है । खैर, मैं इस मामले में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि हमें हिन्दुस्तान कोएक देखना चाहिए और है भी एक ही और परमात्मा करे कि एक ही रहे । इसलिए मैं इस सवाल को ज्यादा नहीं उठाना चाहता । मैं आपके द्वारा हाउस से प्रार्थना करूंगा कि यह जो अवार्ड है इस को इम्पलीमैंट होने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हमारे ऊपर यह बड़ी मेहरवानी होगी यदि इसका इस्पलीमैंटेशन विद इन ए फिउ डेज कर दिया जाए आपकी मार्फत अर्ज करूंगा किहमें इ सके सिए प्रैस करना चाहिए, रिक्वैस्ट करनी चाहिए और खास तौर पर यह बात कहनी चाहिए कि

आखिर इस दुनियां में हम भी बसते हैं, हम भी खुद्दारी रखते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपने मोहतरिम दोस्त ले दाद देता हूं कि वे एक अच्छे मांके पर यह रेजोल्यूशन लाए हैं । यही राईट टाइम था । अगर इस वक्त भी हम इक्के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए इसे महसूस करते रहेंगे ।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा–

अमल से जिन्दगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी,

ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है ।

यह जो रैजोल्यूशन आया यह एक बहुत अच्छा रैजोल्यूशन है । थे इसका, अनुमोदन और समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं । यह प्रश्न ऐसा है जो कि हरियाणा के जीवन और मरण का प्रश्न है । लेकिन मैं इस सदन को आपके द्वारा बताना चाहता हूं– कि क्या हम हर समय प्रस्ताव ही करते चले जाएंगे । 8 जून, 1967 को इसी सदन के कदर एक प्रस्ताव पेश हुआ । उस समय संयुक्त विधायक दल की वजारत थी और मैंने उस प्रस्ताव को मूव किया था और रैजोल्यूशन के ये शब्द थे –

12.00 बजे

"This House recommends to the Government to take immediate steps to secure without further investigation or reference to arbitration or Commission:—

(i) inclusion of the entire territory of Kharar Tehsil including Chandigarh Town in Haryana as recommended by the Shah Commission ;

(ii) inclusion in Haryana of Fazilka Sub-Division, Nalagarh Tehsil and Dera Bassi and Lalru Police Station areas of Rajpura Tehsil on the basis of the Shah Commission Report which accepted the former as Hindi Speaking areas and admitted the economy of the latter area to be intimately linked with Ambala;

(iii) exclusive control of the Bhakra Project for Haryana which is the principal beneficiary and whose very life depends upon the efficient and proper administration of the project. The House further recommends that all other boundary disputes and claims and counter claims as between Haryana and Punjab and Haryana and Himachal be got referred to and decided by a Judicial Commission."

तो डिप्टी स्पीकर साहिवा, उस के बाद 17 अगस्त, 1972 को फिर रैजोल्यूशन आया जिस को चौंधरी हरद्वारी लाल जी दे मुरव किया था । उन्होने यह भी कहा था :—

"That this House invites the attention of the Government to the decisions of the Government of India published vide Press Communique—Punjab Disputes on 29th January, 1970, relating to the transfer of a part of the Fazilka tehsil of Ferozepore district in Punjab comprising the old Zail of Fazilka and Fazilka Town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the

Zails of Chandankhera and Kundal to Haryana, and also relating to the transfer to Haryana of a strip of territory of art average width of about one furlong along the inter State boundary between Punjab and Rajasthan in village Kandukhcra of Muktsar tehsil. This House also recommends to the Government that the Government of India be approached with the request to appoint, at an early date, a Commission, as contemplated in the Government of India's communique dated 29th January, 1970, for the settlement of "claims and counter claims" for re-adjustment of the existing inter-State boundaries" so that the transfer of Fazilka and Abohar areas mentioned above and the transfer of other Hindi speaking areas to which Haryana has laid claim, May be expedited."

ये दोनों बातें इनमें है । पहली बात तो यह थी कि चण्डीगढ हमें मिलना चाहिए । इस सदन के अन्दर यह प्रस्ताव आया और आज के मुख्य मन्त्री थी उस समय इस सदन के सदस्य थे । मुतफिक्का तौर पर यह रैजोल्यूशन पास हुआ । उस के बाद मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण हुए, क्यों चण्डीगढ के क्लेम को, सदन को एतमाद में लिए बगैर छोड दिया गया? जब आज के बहुत से सदस्य उस समय सदन के सदस्य थे और उन्होंने मूतफिक्का तीरपर मेरे प्रस्ताव का समर्थ न किया था और इस हाउस ने उस प्रस्ताव को यूनानिमसली पास किया था तो उन के बाद बिना इस सदन को एतमाद में लिए हुए उस से पीछे कदम क्यों हटाए गए? अगर हटाए, गए डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो उन्होंने जिस फैसलै को स्वीकार किया क्या मैं पूछ सकता हूं कि आखिर उस की जिम्मेदारी किस पर आती है डिप्टी स्पीकर

साहिबा, इस पर कोई लम्बी चौड़ी बहस की आवश्यकता नहीं है । कौन से इलाके किस को मिलने चाहिए, कौन से किस को मिलने चाहिएं, इस के अन्दर तजवीज साफ है कि एक कमीशन बनना चाहिए जो इस बात का फैसला करेगा । अब जो सरकार ने दन को एतमाद में लिए बगैर सैट्रल गवर्नमैंट के दबाव पर या पंजाब गवर्नमैंट के दबाव परइस प्रकार का एक फैसला कहो, अवार्ड कहो, प्रधान मन्त्री का अवार्ड कहो, सैन्ट्रल गवर्नमैट मैट का फैसला कहो, उसकी स्वीकार किया और उसको स्वीकार करने के बाद.....

उपाध्यक्षा : राम लाल जी आप प्रस्ताव से बिल्कुल बाहर जा चे हैं, जो रैजोल्यूशन है उस के बिल्कुल बाहर जा रहे हैं । आपने तो फैसला यह करना है कि जो. और अबोहर हैं, वह हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए ।

चौधरी राम लाल वधवा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वही तो मैं बता रहा हूं । अबोहर और फाजिल्का के इलाके लेने के लिए यह दोबारा आज प्रस्ताव इन्होंने दिया । यह सदन बिल्कुल इसी वर्डिंग के अन्दर चौधरी हरद्वारी लाल के एक प्रस्ताव को 17 अगस्त, 1972 को पास कर चूका है लेकिन आज फिर आ गया । मैंने पहले कह दिया है कि मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन प्रश्न इस समय जो हमारे सामने है मैं वह बता रहा हूं प्रश्न हमारे सामने यह नहीं कि आज दोबारा रैजोलयूशन पास किया जाए । मैं प्रैस कम्यूनिस्ट को पढ कर बताता हूं कि आज जो आवश्यकता थी वह इस प्रस्ताव के अन्दर आनी चाहिए थी । यह प्रैस कम्युनिक 29

जनवरी, 1970 का है और इसे सरकार ने स्वीकार किया है । इसमें लिखा है कि–

"Accordingly after very carefully wieghing the claims of the two States they ha decided that the Capital Project areas of Chandigarh should as a whole go to Punjab.

Para 5 of this award reads:

"Government have also decided that a part of the Fazilka tehsil of Ferozepor district in Punjab comprising the old Zail of Fazilka and Fazilka Town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the zails of Chandankhera and Kundal should be transferred to Haryana (after careful verification a list of villages and towns falling in this area will be published).

Para 9 reads :

"Transfer of the area mentioned in para 5 and transfers decided upon on the recommendations of the Commission mentioned in para 8 will be effected simultaneously."

डिपटी स्पीकर साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रही कि चण्डीगढ के क्लेम को छोड़ते वक्त इस प्रकार का अवार्ड क्यों तसलीम किया गया? यह बात क्यों तसलीम की गई? मानना यह चाहिए था कि एक हाथ से हम चण्डीगढ देते और दूसरे हाथ से हम अबोहर फाजिल्का लेते । यही कारण था जिसके कारण मैंने अमैडमैंट मूव की थी । मुझे हैरानी हुई जब सरकारी बैचों के एक

मैंबर ने खड़े होकर उसको अपोज किया । उसके अन्दर मैंने यही कहा था ये वर्डज इसमें ऐड कर दिए जाएं कि–

"at the time of transfer of Chandigarh to Punjab State."

उपाध्यक्षा : जब आपकी अमैंडमैंट हाउस में गिर गई है, तो आप इसको डिसकस नहीं कर सकते । Once it has been rejected, now it cannot be discussed in the House,

चौधरी राम लाल वधबा : नहीं, मैं तो मैंबर को बात बता रहा हूं, मैं अमैंडमैंट की बात नहीं बता रहा । चौधरी मेहर चन्द ने भी वही शब्द कहे, मैं उनको कोट कर रहा हूं, वे भी इसी रैजोल्यूशन पर ही बोल रहे थे । इस सदन के अन्दर यही प्रस्ताव 17 अगस्त, 1972 को एक बार पास हो चुका है । आज अगर कोई चीज पास करने की है तो केवल एक चीज है और वह यह है कि चण्डीगढ को हम तब छोड़ेंगे जब फाजिल्का और अबोहर के इलाके हरियाणा को मिलेंगे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे मन में एक डाउट होता है, और मैं हकबजानब हूं उस डाउट पर, इसका समर्थन करते हुए भी मेरे दिल के अन्दर शकूक है, मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है । इसके दो कारण हैं । मैंने पिछले दिनों गवर्नर ऐडैरस पर भी कहा था । मुख्य मंत्री आज यह नहीं कहते कि हम चण्डीगढ तब छोड़ेंगे जब अबोहर और फाजिल्का ले लेंगे । यह कह रहे हैं कि अपोजीशन 'कुछ गड़बड़ कर रही है पंजाब के साथ । यह गलत है और मुख्य मंत्री अपनी कमजोरी को

छुपाने का तरीका निकाल रहे हैं । मैं इस हाउस के अन्दर क्लीयर कर देना चाहता हूं । मेरे एक भाई ने लड़ाई को बात कही है । लड़ने का जहां तक ताल्लुक है, हम चण्डीगढ़ के इशु पर लड़े थे । हमने कहा था कि हम चण्डीगढ नहीं छोड़ेंगे । जिस समय चण्डीगढ छोड़ने की .बात हुई उस समय हरियाणा के अन्दर जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई और यहां के वजीरों को सड़क पर जाने का साहस भी नहीं होता था वह सबको मालूम है । जनता तो लड़ी है हरियाणा के हकूक के लिए लेकिन सरकार नहीं लड़ी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार लड़ने के लिए तैयार है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुख्य मंत्री जब यह बात कहते हैं कि अपोजीशन कुछ गड़बड़ कर रही हैतो मुझे लगता है कि दाल के अन्तर कुछ काला है, हम इस लड़ाई के अन्दर फिर हारने वाले हैं । इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मूवर ने तो उस अमैंडमैंट पर एतराज नही किया, लेकिन सरकारी बैंच वाले एक आनरेबल मैंवर ने तो एतराज कर दिया और सरकारी बैच के दूसरे आनरेबल मैंबर यह कह रहे हैं कि चण्डीगढ को नहीं छोड़ना चाहिए । तौ इस अमैंडमेट के अन्दर आपत्ति की क्यो बात थी? डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह प्रधान मंत्री का अवार्ड है या सैंट्रल गवर्नमैंट का फैसला है, इसके अन्दर लड़ाई कर जरूरत नही एक दूसरे को धमकियां देने की जरूरत नहीं दंगा फिसाद करने की जरूरत नही कांग्रेस की सरकार पंजाब के अन्दर है, कांग्रेस की . सरकार हरियाणा के अन्दर और काग्रेस की सरकार सैन्टर के

अन्दर 'है । यह फैसला आज इम्प्लीमैंट हो .जानी चाहिए हरियाणा सरकार इस बात के लिए जिम्मेवार है । इसके अन्दर बात लिखी गई कि ज्यादा से ज्यादा पांच साल हम चण्डीगढ के अन्दर रहेगे । जब हमने इस अवार्ड को मान लिया हरियाणा सरकार भी. इस अवार्ड को मानती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि चार साल तक भी हरियाणा सरकार कह रही है? यह न बाउंडरी कमिशन बनवा 'सकी और न ही पैरा 9 के मुताबिक अबोहर और फाजिल्का के जो इलाके, बाउंडरी कमिशन के डिसीजन के साथ साइमल्टे नियसली हमें ट्रांसफर होने थे, वे ले सकी । पांच साल को अर्सा हमे मिला है कि चण्डीगढ के अन्दर हम रेह सकते हैं, लेकिन 'हम उसी जगह पर खड़े .हैं जहां हम पहले थे । शाह कमीशन से चले और चण्डीगढु पर आकर अटक गए । चण्डीगढ से हम भागे और अबोहर फाजिल्का पर आकर अटक गए । अब जब यहां से भी भाग रहे हैं तो बाउंडरी कमीशन डिसीजन करेगा कि अबोहर फाजिल्का के जो इलाके हैं उन में से कौन सा गांव–इधर जाएगा, कौन सा उधर जाएगा, कौनसे काउंटर कलेम होगे कैसी बात होगी, क्या होगा, ये सारे निर्णय होंगे । तो डिप्टी स्पीकर. साहिबी, मैं हाउस को आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं तो उसके अन्दर एक ही बात हो सकती है और वह यह है कि–

खुद अपनी गफलत के हाथों बुरे नतायज भुगत रहे हैं,

सदाकते से हकीकतों से वही है लेकिन फरार अब भी,

चमन के माली अगर बना ले माफिक अपना शुआर अब भी,

चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार अब भी ।

ये इलाके आ सकते हैं लेकिन सदन में इस तरह बार–बार प्रस्ताव पेश करके और पास करके कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है । अगर सरकार की दाल में कुछ काला नहीं है तो हम पूरी तरह से सरकार के पीछे हैं और आज अगर सरकार ऐलान करे, हम 'ऐलान नही करते यही कर ले, कि इन इलाको कीं को लेने के लिए और इस डिसीजन को मनवाने के लिए लड़ाई लड़नी है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर लडने के लिए तैयार' हैं हम इनके साथ होगें इनसे पीछे नहीं होंगे । इस सरकार में साहस होना चाहिए तथा यह बॉत सिरे चढेगी नही तौ हम लड़कर क्या करेंगे? तो मैं सरकार से कहूंगा कि हमारे पास अब भी समय इतना ज्यादा पड़ा है कि हम उसके अन्दर डिसीजन करा सकते हैं । इस सदन कौ कन्फीडैस में लिए बगैर वह फैसला हो गया और 17 अगस्त को उसे कन्फ्रर्म भी कर दिया गया लेकिन आज चार साल हो गए हैं उस पर यह सरकार अमलदरामद नहीं करा सकी सौर अब 1975 में चण्डीगढ छोड़ने की बात सामने आती है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चण्डीगढ छोड़ने से पहले सदन

को इस प्रस्ताव में यह बात लिखनी चहिए कि यह सदन हरियाणा सरकार पर इस बात की लिमिट लगाता. है और यहां रिकमैंड करता है कि छह महीने के अन्दर–अन्दर भारत सरकार से प्राइम मिनिस्टर के आर्डर को इम्पलीमैंट कराए नहीं तो हरियाणा कर जनता, हरियाणा के नुमाईदे, सारी पब्लिक इंस्टीच्यूशन्ज और दोनों सरकारों के क्लेमज को और काउंटर कलेमज को सुनने के बाद जो फंसला शाह कमिशन ने दिया है उस पर अमलदरामद किया जाए । बड़ी हैरानी और अन्याय की बात है कि शाह कमिशन ने जो फैसला दिया, जो इलाके हमें दिए, जिन–पर हमारा हक था, उसे इम्पलीमैंट नहीं किया गया । इससे ज्यादा अन्याय और हमारे साथ क्या हो सकता है कि न तो शाह कमिशन की बात मानी गई और न ही अब प्राईम मिनिस्टर अवार्ड पर अमला दरामद किया जा रहा है? हम ही मजलूम हैं, हम ही कलेमैंट हैं लेकिन हमें ही सजा दी जो रही है । हम कहते हैं कि शाह कमिशन ने जो भाषा के आधार पर बाउंडरी बनाई है और फैसला दिया है कि यह इलाके हिन्दी भाषी हैं और ये–ये इलाके पंजाबी भाषी हैं, उसी आधार पर रह कर ही उस बाउंडरी को मान लेना चाहिए, लेकिन भारत सर्कार ने कमिशन के उस फैसले पर असल दरामद न करके हमारे साथ के अन्याय किया और उसके बाद अब एक और अन्याय हो रहा है कि प्राईम मिनिस्टर ऐ जो आज से चार साल पहले अवार्ड दिया था उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है । इस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और हरियाणा सरकार से कहना

चाहता हूं कि साहस से काम लो और हिम्मत दिखाओ । पंजाव सरकार को प्राईम मिनिस्टर अवार्ड के. खिलाफ जाने का कोई हक नहीं हे क्योकि उन्होंने उसे स्वीकार किया हुआ है । हम तो चण्डीगढ छोड़ने के लिए तैयार नही थे और अगर चडीगढ छोड़ा तो यह हमारी इस सरकार ने छोड़ा, हम तो शाह कमिशन की रिपोर्ट पर कायम रहना चाहते हैं । मैंने जो प्रस्ताव सदन में मूव किया था, जिसे इस सदन ने पास किया था, उस में मैंने कहा था कि चण्डीगढ पर हमारा हक है और हमारे इस हक को शाह कमशिन ने स्वीकार किया है, इसलिए शाह कमिशन के फैसले के अनु सार चण्डीगढ और दूसरे सारे इलाके जिन पर उस ने हमारा क्लेम माना है हरियाणा को मिलने चाहिएं लेकिन उस पर अमलदरामद नहीं हुआ और उस के बाद प्राईम मिनिस्टर अवार्ड आया और उसे आए चार साल हो गए उस पर भी अमल– दरामद नहीं किया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार, हरियाणा के ये नुमायदे और हरियाणा की जनता इस बात के लिए तैयार है कि चण्डीगढ तो 1975 में छोड़ दिया जाए फिर अनलिमिटिड पीरियड तक इस इन्तजार में बैठे रहे कि कब बाउंडरी कमिशन बने और उसका डिसीजन आए और कब उस पर अमल दरामद हो? हरगिज नहीं यह बात नही माननी चाहिए । मैं सदन के माननीय. सदस्यगण से प्रार्थना करता हूं कि सदन में खड़े हो कर कुल्हाड़ी की बात कहने से खून बहाने को बातें करने से और लाठियों की बातें करने से हमें चण्डीगढ या फाजिल्का अबोहर के इलाके मिलने वाले नही हैं हमें कोई प्रैक्टीकल बात

करनी चाहिए और वह यह है कि यह सदन हरियाणा सरकार पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाए कि चण्डीगढ छोड़ने से पहले भारत सरकार से बाउंडरी कमिशन बनवाए, उस कमिशन से क्लेम्ज और काउंटर कलेम्ज का फैसला करवाए और फिर इस हाथ से फाजिल्का अबोहर और दूसरे सारे इलाके जो हमें मिलें लेकर उस हाथ से चण्डीगढ दें और यह नहीं कि चण्डीगढ तो हम दे दे और फिर अपने हक के लिए इन्तजार करते रहे या फिर जो शाह कमिशन की रिपोर्ट है उस पर अमलदरामद करवाया जाए । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बात को दोहराता हूं कि मेरी जो तरमीम है कि चण्डीगढ तब तक नहीं छोड़ेंगे जव तक हमें फाजिल्का अबोहर के इलाके नहीं मिलते उसे इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए ।

श्री जगजीत सिंह टिब्बा (नारायणगढ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका मशकूर हूं जो आपने मुझे टाईम दिया और मैं राव दलीप सिंह जी का भी मशकूर हूं जो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने रखा जिसकी बहुत जरूरत थी । प्रस्ताव में जो हम ने मांग की है वह आज को नहीं है बहुत पहले से है कि इस फैसले पर अमल किया जाए यहां पर कहा गया है कि बार–बार प्रस्ताव लाने का क्या फायदा? मैं अर्ज करता हूं 'कि ऐसा करना इम लिए जरूरी होता है कि जनता की जो फीलिंग्ज हैं वे सदन के सामने आती रहे और फिर वे आपकी मारफत भारत सरकार तक पहुंचे ताकि उनको पता लगे कि हरियाणा की जनता की, उसके

नुमाईदों की इस बारे में फीलिंग्ज क्या हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे उस वक्त एम.एल.ए. था और जव शाह कमीशन बना था तो उसे बहुत मैमोरैन्डम दिए गए थे और मैंने भी एक मैमोरैन्डम दिया थ । अगर आप मेरे उस मैमोरैन्डम को पढ़कर देखें तो आप पाएंगे कि जो तकलीफें इन्टरस्टेट बाउंडरी की अव सामने आ रही हैं वह मैंने उस वक्त ही अपने मैमोरैन्डम में कह दी थीं कि आएंगी अगर ऐसा न किया गया । हमारी बाउंडरी इतनी उलझी हुई है कि जब तक उसे साफ नहीं किया जाता लोगों को यह सारी परेशानियां रहेंगी ।

मैं एक मिसाल देकर बता सकता हूं, मिसालें तो बहुत हैं, कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव में जो साथ पंजाब में है व्याही हुई है जब हरियाणा से उसका भाई उसे पंजाब मिलने गया या पंजाब से कोई अपनी बहू से मिलने आया तो साथ में जो मिठाई वगैरा भी लाया वह भी यह जो बैरियर्ज बने हुए हैं, उन पर रोक ली गई कि क्योंकि इसमें चीनी लगी है इसलिए नहीं ले जा सकते और उनको वह मिठाई वहीं छोड़कर जाना पड़ा । तो मैं अर्ज करता हूं कि मेरे एक भाई ने कहा कि शाह कमिशन ने डेराबसी और लालडु के इलाके. हरियाण को दिए थे । यह बात उन्होंने गलत कह दी । ये इलाके शाह कमिशन ने पंजाव को ही दिए थे । हमें तो इस बात का दु:ख है कि जो फैसला शाह कमिशन ने दिया उसे इम्पलीमैंट नहीं किया गया । जो भी कमिशन बैठता है या जो अदालत होती है चाहे हाई कोर्ट हो या

सुप्रीम कोर्ट हो उनमें कई दफा एक जज नहीं पूरा बैच बैठता है और कई दफा देखने में आया है और यह आम होता है कि बैच यूनैनीमस फैसला नहीं देता है और उसमें यह होता है कि जो फैसला जजो की मैजॉरिटी का होता है उसे माना जाता है और जो माइनॉरिटी मे जज होते हैं वे अपनी डिसैटिंग जजमैंट दे देते हैं लेकिन मानी मैजॉरिटी जजमैंट जाती. है । हमारे साथ वह बात नही हुई और इस रूल को तोड़ा गया और कमिशन की मैजॉरिटी का जो फैसला था उसे लागू नही किया गया । इस बात का हमें बहुत दु:ख है, लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे थे और कहा गया कि नैशनल इंटैरस्ट में समझौते से कोई फैसला हो जाए तो बेहतर है । तो मैं अर्ज कर रहा था कि कमिशन ने सारी खरड तह– सील जिसमें चण्डीगढ भी शामिल था हरियाणा को दे दी थी थी । जो बात मेरे एक भाई ने कही कि लालडू और डे राबसी हरियाणा को मिले थे ऐसी बात नहीं हुई थी यह हमें कमिशन ने नहीं दिए थे और यह कह कर नही दिए थे कि तहसील के यूनिट को नहीं तोड़ा जा सकता । डेराबसी और लालड़ू का एरिया हिन्दी स्पीकिंग है । इसी तरह से मुबारिकपुर का इलाका भी हिन्दी स्पीकिंग है और वहां के लोगों ने हाई कोर्ट में रिट भी दायर को थी कि उस इलाके को हरियाणा में शामिल करना चाहिए, क्योकि मुबारिकपुर का वह इलाका उस कानूनगोई में शामिल है, जो हरियाणा को मिली है लेकिन हाई कोर्ट में बह लोग टैक्नीकल ग्राउंड पर हार गए क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि उस इलाके का ट्रांसफर हरियाणा की कानूनगोई में डी०सी ० के आर्डर से

हुआ है और उस आर्डर पर फाईनैंशियल कमिश्नर के दस्तखत नहीं हुए हैं जो कि होने चाहिएं थे । वहां के जो लोग हैं वह हिन्दी स्पीकिंग हैं और आज अगर रिफ्रैंडम कराया जाए तो वह हरियाणा में आने के लिए तैयार हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं जरूर कहूंगा । इस इला के की जो पंचायतें हैं, उन पर नाजायज प्रैशर डालकर, मजबूर करके वह रंजोल्यूशन कैसिल करवाया जिसमें यह पास किया गया था कि हम हरियाणा में शामिल होना चाहते हैं । इस बात का मुझे जाती तौर पर पता है । इसलिए मैं कहूंगा कि जो कमिशन बैठे, जो भी बात की जाए वह 1961 की सैंसस की फिगर को ध्यान में रखकर किया जाए, तभी इन्साफ होगा क्योंकि उस वक्त न हरियाणा बना था और न पंजाब का बटवारा हुआ था । हमारे पास इस बात का सबूत है कि प्रैशर डालकर रैजोल्यूशन को बदलवाया गया और लोगो को कहा गया कि यह जबान लिखवाए' । 1961 की सैसस की फिगर को ध्यान में रखते हुए कमिशन जो फैसला करेगा वह हमें मन्जूर है । शाह. कमिशन ने जो फैसला दिया था वह हमारे पास नहीं है और उसको लागू करना नैशनल इंट्रैस्ट की बात नहीं है । लेकिन हमारी प्राईम मिनिस्टर जी ने जो अवार्ड दिया है उसको हरियाणा के लोगों ने भी माना और पंजाब के लोगों ने भी माना है, यह बात दूसरी है मानकर वे' बदल गए । जैसा कि मेरे कई भाइयों ने कहा और मैंने भी बहुत पहले कहा

था, वह वाजिब बात है, कि यह खतरा जरूर है कि हम शोर मचाएं । आज हम रैजोल्यूशन पास कर रहे है और हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि इंदिरा अवार्ड इम्प्लीमैंट करो । लेकिन जहां तक पंजाब का ताल्लुक हैं, वह आज बिल्कुल खामोश बैंठा है, क्योंकि इस वक्त शोर मचाने से उमके फायदे की बात नही है, यह मैं अपने ख्याल के मुताबिक कह रहा हूं । जब जनवरी, 1975 खत्म होगा और यह अवार्ड इम्प्लीमैंट नहीं होगा तो वहां को असेम्बली रैजोल्यूशन पास करेगी, वहां के लोग आवाज उठाएंगे कि इस कमिशन को इम्प्लीमैंट करो । अव इम्प्लीमैंट करने के लिए दिक्कत यह है कि जनवरी, 1975 तक हरियाणा की राजधानी चण्डींगढ रहेगी और उसके बाद चण्डीगढ पंजाब को चला जाएगा और फाजिल्का अबोहर हमें मिलेगा । इससे साथ ही चण्डीगढ एरिए के साथ मनीमाजरा जैसे जो हिन्दी स्पीकिंग एरियाज लगते है, वे हरियाणा को मिलेंगे लेकिन इन एरियाज का ट्रांसफर तबा होगा जब कमिशन मुकरर्र हो और वह अपना फैसला दे दे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी समझ में एक बात नही आई । फर्ज किया कमिशन मुकरर्र नहीं होता और चण्डीगढ को पंजाब में ट्रांस्फर कर देते हैं लेकिन चण्डीगढ एरिए के साथ जो दूसरे गांव लगते हैं और जो यू .टी. के अन्दर आ गए हैं, इसमें से जो एरिया हमें मिलना था वह किसके पास रहेगा? अगर चण्डीगढ पंजाब को जाता है तो नैचुरली वे इलाके पंजाब को जाएंगे और एक दफा अगर चण्डीगढ हरियाणा ने छोड़ दिया और यह इलाका पंजाब में मिल गया तो मैं इस ओपीनियन का हू कि हरियाणा को कुछ नहीं

मिलेगा । न कमीशन बैठेगा औ र न कुछ मिलेगा, सब कुछ चला जाएगा इसलिए ये सब बाते देख लेनी चाहिएं । मेरे ख्याल में हमारी सरकार छोड नहीं सकती जब तक यह अवार्ड पूरी तरह से इम्प्लीमैंट नहीं हो जाता । यानी चाहे आप कमिशन मुकरर्र कर लीजिए, चाहे बिना कमीशन के फैसला कर लीजिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए । चलो, कमिशन बना लीजिए, लेकिन फाजिल्का और अबोहर के बारे में जो अच्छा मिला है और चण्डीगढ (यू ०टी ०) में जो इलाके काट कर शामिल किए गये है, उन के बारे में साफ जिकर है कि ये कमीशन के दायरे के अन्दर नहीं होंगे । ये तो हमें मिल जाए इसके बाद कमीशन बैठा लें, हमें कोई एतराज नहीं । जब तक ये न मिल जाएं तब तब चण्डीगढ न छोड़े' । यह तो एक तरह को मजाक की बात कन गई है, ' हर दफा रैजोल्यूशन आता है और हम कहते है कि इस अवार्ड को इम्प्लीमैंट करो लेकिन इप्लीमैंटेशन नये होता । अब मुझे बड़ा विश्वास है कि हमारी प्राईम मिनिस्टर जी, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वह अपने इरादे में फर्म रहती हैं, उनका डिसीजन पक्का रहता हे, स्टेटस मामले मे भी उनका निश्चय पक्का ही रहेगा । इसके बारे में एक सैन्ट्रल मिनिस्टर की स्टेटस मैट आई है जिसमें उन्हे1उऐए कहा कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट क। जो अगर्ड है यह इम्पलीमैंट होगा। अगर दोनों चीफ मिनिस्टर, ये दोनों भाई आपस में फैसला कर लेते हैं, फिर तो ठीक हैं नहीं तो अवार्ड इम्पलीमैंट होगा । ठीक है, वे बडे भाई हैं हम छोटे भाई हैं, अगर फैसला कर ले तो कोई एतराज वाली बात नहीं । लेकिन हमें

विश्वास है कि ये ऐसा फैसला नहीं ? देंगे जिससे हरियाणा का सिर झुके, यह हमारे लिए शोभा की बातें नहीं । फाजिल्का अबोहर के गवि हमारे हैं, डेराबसी अरिलालडू का एरिया हमारा हूँ, कमिशन चाहे कद बैठे, थे तो हमें मिलने ही हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि चौधरी मेहरचन्द जी ने कहा कि नारायणगढ से लेकर पठानकोठ तक का इलाका हमारा ही है, अदर तौर से देखा जाए तो वे हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हैं । इसी तरह से कुछ हिन्दी स्पीकिंग एरिया हिमाचल गवर्नमैंट के पास हैं, वे मुक्त में ही ले गए ।. पोटा साहब के एरिया को देख ले, वह बिलकुल मैदानी है, इसके लिए चाहे आप पोल करवा ले, चाहे उसकी सैंसस फिगर देख ले, वह मैदानी इलाका है और हरियाणाको मिलना चाहिए लेकिन हिमाचल में चला आ रहा है । अगर एक कमिशन बैठाया जाए और वह ऐग्जामिन करे कि कौन सा एरिया किस स्टेट में जाना चाहिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नारायणगढ, पठानकोट और पौंटा का एरिया हरियाणा में आएगा लेकिन कमिशन डेट बाउंड हो, यह नहीं होना बल्कि कमीशन बैठा दिया और वह फैसला दो साल के बाद दे । (घंटी) मुझे पांच मिनट और दे, जल्दी ही खत्म कर रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलता, प्वांयट ही लेता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, झगड़े की बात एक है जो पंजाब वाले अकसर कहते हैं । कहते हैं पंजाब में झगडे हो जाएंगे और गवर्नमैंट को खतरा हो जाएगा । जब वहां पर अकाली और जनसघ हकूमत थी तो कहते थे कि झगड़े हो जाएंगे । अब कांग्रेस को सरकार है अब भी वही कहते हैं कि झगड़े हो जाएंगे

। यह तो एक बहाना है । जब हरियाणा को यह अवार्ड नहीं मिला था तो झगड़े हमारे यहां बहुत ज्यादा हुए । मेरा ख्याल है वहां आदमी नहीं मरे होंगे लेकिन हमारे यहां आदमी मारे गए और इस आग का सारें हरियाणा में फैलने का डर था–, यह सही बात हैं । मैं यह कहूंगा कि पंजाब के लोग ऐसा नहीं करेंगे । पंजाब के एक बहुत बड़े नेता ने, मैं उनका नाम नहीं लेता, यह कह दिया कि हरियाणा वाले चण्डीगढ को मांगते हैं लेकिन चण्डीगढ आएंगे कहां से? कौन सा रास्ता है? आप देख लीजिए. हमारे मुख्य मन्त्री की बदौलत, गवर्नमैंट द्वारा बड़ी तेज रफ्तार से डिवैल्पमैंट करने की बदौलत आज हमें बड़ा फख्र हासिल है कि हम चण्डीगढ आ सकते हैं कालका भी आ सकते हैं । चण्डीगढ आने के लिए हमारा अपना लिंक है, हाई– वे के लिंक से आ सकते हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर चण्डीगढ से दिल्ली जाना हो तो वे भाई कहां से जाएंगे? तो ऐसी बातें करना ठीक नहीं, हम सव आपस में भाई– आई हैं, इस तरह से एक दूसरे को रोकना ठीक नहीं । अगर उन्होंने इस तरह रोकने की कोशिश की तो उसका जवाब यह है कि अगर उन्हें दिल्ली जाना पड़े तो कहां से जाएंगे? हवाई जहाज से जाएं, इसके बगैर और कोई चारा नहीं, इसके बगैर वे दिल्ली जा ही नहीं सकते । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज्यादा टाईम नहीं लेना चाहता, ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, मेरे तो प्वांयट्स हैं । इन एरियाज का तुरन्त फैसला करवाया जाए जो हिंन्दी स्पीकिंग एरियाज पंजाब में रह गए हैं । प्राईम मिनिस्टर अवार्ड लागू होने के सा थ–साथ वे एरियाज भी हरियाणा में

शामिल किए जाने चाहिए जो हिन्दी स्पीकिंग एरिया हिमाचल में चले गए हैं । दरअसल यह था कि जब दो भाईयों का बंटवारा हों रहा है तो दो भाईयों मे ही इलाके बंटते लेकिन हिमाचल जो है वह मुफ्त में ही हिस्सा ले गया । अगर अब कमिशन बैठ जाए और हिमाचल भी उसमें शामिल हो तो मुझे उम्मीद है कि वे इलाके हमें मिल जाएंगे क्योंकि वे तो कहते हैं कि हमारी जवान पहाड़ी है । तो पहाड़ी जबान वाले वहां रहे और बाकी यहां आ जाए' । इसके साथ ही स्पीकर साहब, मैं फिर कहता हूं कि हमें चण्डीगढ उस रोज छोड़ना चाहिए जब हमें वे एरियज मिल जाए । अगर हमने चण्डीगढ एक दफा छोड़ दिया तो जैसे हमें चण्डीगढ नहीं मिला वैसे ही वे एरियाज नहीं मिलेंगे । यह कहकर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपनी सथान लेता हूं । (इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : अब हमारे पास केवल एक घंटा बाकी है । अगर प्रत्येक सदस्य पांच–पांच मिनट बोले तो मैं समझती हूं कि सभी को टाईम मिल सकता है ।

बहुत सदस्य : ठीक है जी । उपाध्यक्षा रू चौधरी दल सिंह ।

चौधरी दल सिह (जींद) : डिपटी स्पीकर साहिबा, सदन के सामने जो प्रस्ताव है उसकी, मैं समझता हूं कि सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं जो ताईद न करता हो । मैं भी इस का पूररजोर

समर्थन कुरता हूं लेकिन मैं समक्षता हूं कि इस किस्म के प्रस्ताव जब दो बार विधान सभा द्वारा पास किया जा चुके है आज इस का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता बिलकुल नहीं थी, क्योंकि आज हरियाणा के अन्दर, भी, पंजाब के अन्दर भी और सैन्टर के अन्दर भी कांग्रेस को सरकार है । आज अग्र कोई गलत फैसला होता है तो वह लाजमी तोदं पर सरकार की कोताही से होगा विरोधी पार्टीज की कोताही से नहीं! (विघन) शाह कमिशन ने चण्डीगढ हरियाणा को दिया लेकिन पंजाब गवर्नमैंट के विरोध के कारण सैड़ल गवर्नमैंट ने उस वक्त यह फैसला किया जब हरियाणा में कोई गवर्नमैंट नहीं थी कि जिस चण्डीगढ को शाह कमिशन ने हरियाणा को दिया है उसे वह अमानत के तौर पर फिलहाल अपने पास रखना चाहता है । लेकिन अगर देखें तो आज तक वह अमानत कहां है, वह फैसला कहां है? यह एक अजीब .सी कहानी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, चण्डीगढ के लिए अपनी मांग मनवाने के लिए हरियाणा के दस लाख लोगो ने दिल्ली के अन्दर प्रदर्शन किया । उससे पहले यह सरकार कहती रही, हमारे मुख्य मन्त्री कहते रहे कि चण्डीगढ हमारा है । हम किसी फैसले को नही मानेंगे अगर चण्डीगढ हमको नही मिलता है । डिप्टी स्पीकर साहिवा, रुपए पैसे का भी जिकर चला । अखबारों में यह आया कि इतना रुपया ले लो और चण्डीगढ पंजाब को सौंप दो लेकिन हमारे मुख्य मन्ती जी की एक स्टेट–मैंट मोजूद है कि हम इज्ज्त को बेचने वाले नहीं हैं, रुपया पैसा लेकर चण्डीगढ का क्लेम छोड़ने वाले नहीं हैं । लेकिन यह जो अवार्ड, डिप्टी स्पीकर

साहिबा हमारी प्रधान मन्त्री ने दिया इसका पैरा नम्बर 6 मैं आपको पढकर सुनाता हूं, जरा सुनिएगा–

"Haryana will have to incur large expenditure in building a new town-ship to serve as its capital. Keeping this in view, the Government of India ha decided to give a grant of Rs. 10 crores and a Joan of the same amount the Government of Haryana."

इससे बिल्कुल साफ है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि हमारी यह सरकार जो यह करती थी कि हम रुपए पैसे के बदले में चण्डीगढ नहीं देंगे इसी सरकार ने दस करोड़ रुपए लेकर के चण्डीगढ देने क। फैसला माना है । आज इस बात की शहादत मौजूद है । (विघ्न)

Deputy Speaker : Please speak on the Resolution. There is no question of award.....

चौधरी दल सिंह : यह तो मैं अवार्ड कीबात कर रहा हूं ।. (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो इस राय का हूं कि यह इन्होंने एक गलत फैसला माना है और लोगों की भावनाओ को कुचल कर माना है । जब एक बात का फैसला असैम्बली के अन्दर हुआ था औंर दो प्रस्ताव असैम्बली के अन्दर पासे हुए हों तो इन्हे चाहिए कि कोई फैसला मानने से पहले असैम्बली को कान्फीडैन्स मैं लेते । पिछली बातेंन करते हुए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं । कच्छ का झगड़ा जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ तो एक

इन्टरनैशनल कमिशन बना । उस कमिशन ने. फैसला हिन्दुस्तान के खिलाफ दिया । तमाम देश के अन्दर एक आबाज उठी और पार्लियामैंट के मैंबरो ने भी कहा कि यह फैसला गलत है और इसे नहीं माना जाएगा । लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने कहा कि यह हमारी खुद्दारी का सबूत होगा अगर हम इस फैसले को मानते हैं । (विघ्न)

गृह मंत्री (श्री के.एल.पोसवाल) : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम, अर्ज यह है कि असैम्बली का एक फंसला है हमं उस पर डिसकशन कर रहे हैं । क्या हम इसमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट का कोई केस और मामला, जी कि चण्डीगढ का नहीं बल्कि कच्छ वगैरा का है, इस हाउस में ला सकते हैं? मैं तो समझता हूं कि इसकी कोई सैन्स नहीं और कोई मतलब नहीं । यह बात कृपया ऐक्सपज करवा दीजिए और इन्हें कहिए कि अब ये चण्डीगढ पर ही बोले ।

Chaudhri Dal Singh : The facts are there

Deputy Speaker : I have already told the Honourable Member to speak on the Resolution.

चौधरी दल सिंह : डिप्टी स्पीकर. साहिबा, बात यह है कि जव तक कोई बात ठीक तरह से. न रखी जाए. तब तक सहमत का पता नही लगता । (विघ्न)

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : डिप्टी स्पीकर साहिबा ये एक बात दस करोड़ की तो कह देते है, लेकिन बाकी बातें छोड़ देते हैं । इससे सही बात का क्या पता लदा सकता है? इन्हें चाहिए कि ये सारी बातें कहे ।'

Chaudhri Partap Singh Daulta : Madam Deputy Speaker, before you allow anybody to speak, kindly ask the Honourable Member whether he has read the award which was given by the Prime Minister? Nobody is speaking on the award or the various clauses of the award. But what is the award on which he is speaking ? Whether it is in our favour or it is against ? Nobody is speaking on that .....

चौधरी दल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, से यह कह रहा था कि उस कमिशन के फैसले के विरुद्ध तमाम पर्लियामैंट दे आवाज उठाई, देश में आवाज उठी लेकिन फिर भी उस गलत फैसले को हमारी भारतीय सरकार ने माना परन्तु यह सरकार अपने देश के एक जूडिशियल कमीशन का फैसला नहीं मान सकती । (विघन)

श्री के. एन. गुलाटी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात्त अच्छी है । वे क्या बात कर रहे हैं? कल हम भी इस तरह की दस बाते करेगे? आप इन्हें रोकिए और इनकी सैन्ट्रल गवर्नमैंट से सम्बन्ध रखने वाली बात को ऐक्सपंज जाए ।

चौधरी दल सिंह : मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, शाह कमिशन का जो फैसला है उसकी बात कर रहा हूं।

Deputy Speaker : Why Shah Commission Report ? There is no reference of Shah Commission Report in the Resolution. There is question of Abohar-Fazilka only. (Interruption)

Chaudhri Phool Chand (Rohat) : Kindly do not ignore Shah Commisssion Report. Shah Commission is the basis of the award. This is an integral part of our discussion. It cannot be ignored.

Deputy Speaker : What is our resolution now ?

चौधरी राम लाल वधवा : शाह कमिशन की रिपोर्ट तो अवार्ड का एक पार्ट हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : शाह कमिशन की रिपोर्ट तो इस अवार्ड की जड है ।

चौधरी दल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि साथ गैर मुल्की कमिशन का फैसला तो यह सरकार मान सकती है मगर देश को एक जुडिशियल कमिशन का फैसला यह मानने को तैयार नहीं । इससे हमारे भन में शकूक पैदा होते हैं मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने दोस्तों को कि आज शकूक किनकी तरफ से पैदा होते है इस सम मे हम इनके साथ हैं, हरियाणा कॉ सारी जनता इनके साथ है, रिवाड़ी और महेद्रगढ के स्टेशनों पर जिन शहीदो का खून बहा था वह ललकार कर कह रहा है कि चण्डीगढ हमारा है फाजिल्का अबोहर हमारा है और अगर अब भी सरकार इसमें कोताही करती है वो

जिस तरह से आज ये बैंच खाली पड़े हैं उसी तरह से आने वाले जमाने में खाली रहेंगे मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार हरियाणा को चण्डीगढ नहीं ले सकी, फाजिल्का अबोहर नहीं ले सकी तो इनको वोट लेने का कोई हक हासिल नही है । इन शब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस रेजोल्यूशजन की ताईव करता हूं । (विघ्न)

चौधरी मेहर चन्द : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । डिप्टी स्पीकर साहिबा, वाकी तो ये चाहे कुछ ही कहें, मुझे कोई गिला नहीं लेकिन इनको यह कहने का क्या हक हासिल है कि आने वाले समय में ये बैंच खाली होंगे मैं कहता हूं कि ये बैंच खाली क्यीं हों, तुम्हारा दीपक ही क्यों गुल न हो? (विघ्न)

श्री के. एन. गुलाटी (फरीदाबाद) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो रंजोलयूशन इस वक्त हमारे सामने है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं । मेरे ख्याल में यह रैजोल्यूशन इसलिए हमारे सामने आया है ताकि हम लेटैस्ट ख्यालात भारत सरकार के सामने रख सके । हमे अपनी प्रधान मन्त्री पर पूरा विश्वास है । जो अवार्ड उन्होने दिया है, मुझे उम्मीद है कि उस पर अमल होगा । इसके साथ ही साथ हमें अपने लीडर चौधरी बंसी लाल पर भी पूरा विश्वास है । अगर किसी वक्त हमारे आनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ बात करने के लिए टेबल पर बैठेगे तो मुझे यकीन है कि चौधरी बंसी लाल हरियाणा के हक का जरूर ख्याल रखेगे क्योंकि ये पहले

मजबूत चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हरियाणा को आगे लाया है । (विध्न)

चौधरी दल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या ये अवार्ड पर खोल रहे है?

श्री फे. एन. गुलाटी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उम्मीद करता हूं, कि इस रैजोल्यूशन को पास किया जाएगा । अगर चौधरी बंसी लाल जी किसी वक्त कोई ऐसी बात देखें कि हमारे हकूक पर कोई छापा मारता है तो यह सारा हाउस कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है । मैं तो गान्धीयन ढंग से हर की कुर्बानी दे सकता हूं । मैं सब से पहले एज फरीदाबाद एम.एल.ए. जो कुछ भी चीफ मिनिस्टर साहब कहे करने के लिए तैयार हूं । यह बात ठीक है कि मैं फरीदाबाद फे बारे में ज्यादा बोलता हुं लेकिन मैं पहले हरियाणवी हूं और बाद में कुछ मौर हूं । मैं हरियाणा के लिए इन्साफ चाहता हूं । मैं हरियाणा के हकों के लिए सवसे पहले कुर्बानी आफर करता हूं, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे हडताल हो, चाहे मरण व्रत हो, मैं करने के लिए तैयार हूं । मैं फिर दुबारा अर्ज करता हूं कि अपने हकों केलिए चीफ मिनिस्टर साहब को हर किस्म की कुर्वानी देने के लिए तैयार हूं । इन अलफाज के साथ मैं इस रैजोल्यूशन की ताईद करता हूं । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो अवार्ड दिया हैं वह जरूर इम्पलीमैंट होना चाहिए ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उन जजबात को पुरजोर ताईद करता हूं जिन जजबात की तरजमानी यह रैजोल्यूशन करता है लेकिन मैं इस रैजोल्यूशन में डिफैक्ट सकता हूं जिसको ये अप्रूव करना चाह तेहैं । क्या यह रैजोल्यूशन यह कहना चाहता है जो हरियाणा के लोग चाहते हैं कि जिस वक्त चन्डीगढ पंजाब को जाये उसी वक्त अबोहर और फाजिल्का मिले या साइमलटेमइयसली मिलें, यह हरियाणा की ख्वाहिश है, यह हरियाणा की विश है? हरियाणा की बिश यह नहीं है कि प्राईम मिनिस्टर का जो अवार्ड है वह यों का यों इम्पलीमैंट हो । मुझे प्राईम मिनिस्टर पर फेथ है । मैं इस अवार्ड को रिजैक्त करता हूं क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं प्राईम मिनिस्टर के फेथ से । यह अवार्ड हरियाणा के इन्ट्रैस्ट के अगैन्सट है । अबोहर –फाजिलका एक पैकेज डील है । पंजाब को जिस दिन हम चन्डीगढ देते हैं उसी दिन हमें अबोहर और फाजिल्का मिलता है तो वइ अवार्ड ऐक्सैपटेबल है लेकिन जैसा कि अवार्ड है इसकी पहले पढ़ें तो क्यों उसको ऐनफोस' करने को मांग करते हो? यह हरियाणा के इन्ट्रैस्ट के खिलाफ जाता हुआ अवार्ड है । पंजाब ने फारचुनेटली इसे डिस–ओन कर दिया, ज्ञानी जैल सिंह औंर निरंजन सिंह तालिब की गवर्नमैंट ने, इन दोनों ने भी इसे डिस–ओन कर दिया और कम सें कम मैं एक मैंबर हूं जो इसे डिस–ओन करता हूं । जब तक यह पैकेज डील न हो मैं इसे अवार्ड नहीं मानता ।

Chandigarh will go to Punjab; Abohar-Fazilka will come to Haryana, when there will be another Boundary Commission. We had had a Boundary Commission. That Commission was a very. high-powered Boundary Commission. A man of judicial acumen of Justice Shah presided over that Commission. That Commission gave Chandigarh to Haryana ; that Commission's Report could not be implemented. Where is the guarantee that the findings of the second Boundray Commission will be implemented against the resistance of other party ? This is the question which the Government will have to consider (Interruptions by Chaudhri Shiv Ram Verma).

(At, this stage Mr. Speaker occupied the Chair)

Mr. Speaker : Order please. No interruptions.

Chaudhri Partap Singh Daulta : Mr. Speaker, my stand is like this : I have full faith in my Prime Minister and I have full faith in my C.M.'s efficiency. But, we should behave in a way that their hands should , be strengthened for doing justice. That is my suggestion. Give us Abohar-Fazilka. If Abohar-Fazilka is to be given in terms of this award then we shall have to surrender greater territory from Sirsa and many other places, which is not advantageous to Haryana. This award is against the interests of Haryana. Either Haryana people should have courage enough to say : "Make it a package deal, Chandigarh this side; Abohar.Fazilka this side; otherwise we reject it and we go to the Shah Commission." We stand where the Shah Commission was. This is my position.

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने विचार के लिए आज

प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में जो भावनायें सम्मानित सदस्यों ने व्यक्त की हैं, मैं उनका आदर करता हूं । मैं यह बात मान कर चलता हूं कि केन्द्रीय सरकार का या भारत सरकार का जो निर्णय है, इसको फौरी तौर पर इम्पलीमैंट किया जाये । हमारे एक सम्मानित सदस्य चौधरी प्रताप सिंह जी ने जो विचार अभी अभी सदन के सामने रखे हैं मैं उनसें बिल्कुल सहमति प्रकट नहीं करता । यह जों अवार्ड है, यह जो फैसला है यह हमारी भारत की प्रधानमंत्री ने है । यह हरियाणा के हित में है मैं तो यह समझ नहीं पाया हूं कि चौधरी प्रताप सिंह दौलता इतने काबिल ऐडवोकेट हैं, अपने आपको बड़े पार्लियामेटेरीयन भी कहते हैं, अपनें को हरियाणा का हितैषी भी मानते हैं, फिर वे इस फैसले को हरियाणा के हितों के खिलाफ किस प्रकार से समझते हैं ? उनकी यह बात मेरी तो बिल्कुल समक्ष में नहीं आती । अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि शाह कमिशन ने अपनी सिफारिशात के अन्दर, अपनी रिकमैंडेशन के अन्दर चण्डीगढ और खरड का इलाका हरियाणा को देने की सिफारिश की थी । वे सिफारिशात किन वजुहात पर नहीं मानी गयी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता । अगर वे इम्पलीमैंट होती और भारत सरकार उनकी मन्जूर करती तो ठीक था लेकिन उसके बाद का जो झगड़ा था, वह झगड़ा किसने शुरू किया? वह झगडा पंजाब के भाइयों ने किया । अकाली दल ने किया और उनके नेता ने व्रत भी रखा, कुछ और खत प्रतिज्ञाये भी कीं, वे तो आज स्वर्ग में हैं, वे हमारे पड़ोसी प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते थे या दल का करते थे, मुझे

नहीं पता लेकिन झगड़ा जो शुरू हुआ वह उधर से शुरू हुआ कि चण्डीगढ पंजाब को दिया जाये । इधर हरियाणा के लोगों को भावनाओं पर भी उसकी प्रति– क्रिया हुई और हरियाणा के लोगों ने भी जोरशोर के साथ अपनी मांग को बुलन्द कि चण्डीगढ पर जितना हरियाणा का अधिकार है उतना पंजाब का नहीं है और हरियाणा के लोगों की भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही बल्कि दिल्ली के अन्दर भी एक बड़ा भारी जोश था जब वहां हरियाणा के लोगों ने प्रदर्शन किए । अध्यक्ष महोदय, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था । यह बात साबित हो चुकी है कि शाह कमिशन ने फैक्टस और फिर्ग्ज दे कर के आंकड़े दे करके, खरड तहसील और चण्डीगढ हरियाणा को देने की सिफारिश की । खरड और चण्डीगढ में हिन्दी भाषी लोगों का बहुमत है इसलिए इस आधार पर यह सिफारिश की थी । अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि हरियाणा के लोग इस बात के लिए कितने कीन थे, उनके मन में कितनी जबरदस्त भावनाएं थीं चण्डीगढ हरियाणा को मिले । स्पीकर साहब, आपने भी देखा होगा कि कितने लाखों की संख्या में दिल्ली में जाकर हरियाणा के लोगों ने प्रदर्शन किया । दिल्ली के लोग इस बात को मानते हैं कि दिल्ली जब से राजधानी बनी है तब से इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन नहीं हुआ था जितना हरियाणा के लोगों ने किया । इस झगड़े को निपटाने के लिए प्रधानमंत्री ने निश्चय किया, एक निर्णय दिया और वह निर्णय आप लोगों के सामने है और वही निर्णय आज एक प्रस्ताव को शक्ल में इस सदन के सामने विचाराधीन है

। इससे पहले भी यह मामला सदन में पेश हो चुका है और इस सदन के तमाम सदस्यों ने जहां तक मुझे मालूम है एक स्वर से और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव का समर्थन किया था कि जो फैसला हो गया है उस फैसले को जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जाए ।

मैं यह मानकर चलता हूं कि यह ठीक है चण्डीगढ पर हमारा अधिकार अधिक था ऑर यह भी ठीक है कि शाह कमीशन ने चण्डीगढ हरियाणा को देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके साथ–साथ जो फैसला हमारी प्रधान मन्त्री जी ने किया भारत सरकार ने उस पर मोहर लगाई, केन्द्रीय सरकार की केबिनेट ने इस फैसले का अनुमोदन किया । प्रधान मन्त्री ने जो फैसला किया है इसको केन्द्रीय सरकार के मन्त्रीमण्डल ने भी माना है । अध्यक्ष महोदय, आपको मालू म है कि राश्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभि– भाषण के अन्दर इस फैसले का जिकर किया है और दोनों हाउसिज ने धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्दर इस बात को स्पीकर किया और अध्यक्ष महोदय आपके नोटिस में यह बात भी होगी कि कई बार हमारी लोकसभा के अन्दर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि वह जो फैसला चण्डीगढ के सम्बन्ध में हुआ उसके बारे में क्या होगा? तो आन दी फ्लोर आफ दी हाउस वश केन्द्रीय सरकार ने कमिट किया इस बात को कि जो भी फैंसला है उसको इम्प्लीमैंट किया जाएगा उससे पीछे हटने की कोई बात नहीं है । आज पंजाब के भाई या पंजाब के नेता कुछ भी बाते कुहे, हम उनके

साथ किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते हैं । वे हमारे पडौसी है और पड़ौसी भी क्या? आज से कुछ साल पहले तक हम एक ही प्रदेश में रहते थे, एक साथ काम करते थे और एक ही प्रदेश के नागरिक रहे हैं । आज पजांब और हरियाणा में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है । लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है और को फैसला केन्द्रीय सरकार ने उचित समझकर किया है, उस फैसले को इन्प्लीमैंट किया जाए, कार्यान्वित किया जाए और जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए, इस प्रस्ताव की यह भावना जै । मैं ही नहीं बल्कि इस सदन के सारे सदस्य, केवल दौलता साहब को छोडकर, इस बात से सहमत होंगे कि इस फैसले को जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए। मुक्षे यह नहीं मालूम कि वे किस प्रकार से यह ठीक समझते हैं कि अवार्ड को लागू करवाना हरियाणा के हितों के विरुद्ध है । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पडोसी प्रदेश की विधान सभा की क्या बात कहूं? जब यह फैसला हुआ तो इस फैसले पर उनकी विधान सभा में चर्चा चली । जब इस जरे में चर्चा चली तो उस चर्चा के दौरान किसी भाई ने यहां तक कहा कि क्या फैसला करवा आए, 'तुसी ता मझ दे के खोती ले आए । आप देखिए, ये शब्द वहां पर व्यक्त किए गए कि आप तो भैस देकर गधी ले आए हैं । मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं है कि यह फैसला हरियाणा के हित में है और इतना हित में है कि हरियाणा को इससे बड़ा भारी लाभ होगा । यदि आज हमें फाजिल्का और अबोहर दे दिया जाए तो हम चण्डीगढ को एक क्षण में छोड़ने के लिए तैयार हैं । हमें चण्डीगढ

के साथ किसी प्रकार का कोई मोह नहीं हूँ । लेकिन फाजिल्का और अबोहर हमें अवश्य चाहिएं । हम बाउंडरी कमिशन से बिल्कुल नहीं डरते । हम इस बात को पुरजोर मांग करते हैं कि बाउंडरी कमिशन की जल्दी से जल्दी स्थापना की जाए । अगर बाउंडरी कमिशन की स्थापना हुई तो जो ऐक्सपर्टस होगे, वे सारे बैठकर सीमाओ का भाका के आधार पर विचार करेंगे । हमें इस बात की पूरी आशा है कि हरियाणा को इस बात में कोई घाटा नहीं रहेगा बल्कि हरियाणा को तो इस बात में लाभ जायेगा । मुझे नहीं मालूम दोलता साहब क्यों आशंकित हो गए कि हमारे इलाके चले जाएंगे? अगर हमारा कुछ इलाका पंजाब को जाना है तो बेशक चला जाए, लेकिन काफी इलाका ऐसा हैजो हरियाणा में आएगा । इसलिए मेरी अर्ज यह है कि बाउंडरी कमिशन से हम किसी प्रकार से भी काटे में नहीं रहेगे । हमारी प्रधान मन्त्री ने जो फैसला दिया है, केन्द्रीय सरकार ने जो फैसला दिया है, हमें उस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है । लोक सभा के स्थ्यर म्बोंने कमिटभैंट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी अमल हो हरियाणा को इसमे कोई घाटा नहीं होगा । हरियाणा का तो इससे क्या भारी हित होगा और हरियाणा का इससे कल्याण होगा । इसके अलावा एक जो झगड़ा हमारा पड़ौसी प्रदेश के साथ है और इससे हमारे लोगों कीर भावनाएं भी भडकती हैं, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा । इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस प्रस्ताव की जो भावना है, वह बहुत अच्छी है । मेरे विचार में इस सदन के सारे सदस्य इस प्रस्ताव की भावना से पूरी तरह

सहमत होगे, मैं ऐसा मान कर चलता हूं। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जाना चाहिए, यह मेरा भारत सरकार से आग्रह है । धन्यवाद ।

श्री हरि सिंह (सम्भालखा) : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा हरियाणा सरकार से और इस सारे हाउस से यह प्रार्थना करूंगा हूं कि इस रैजोल्यूशन को पास करके भारत सरकार के पास भेजा जाए, ताकि फाजिल्का और अबोहर का इलाका जो हमारी प्राईम मिनिस्टर के अवार्ड के मुताबिक हमें मिला हुआ है, वह जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए । मैं यह समझता हूं कि इससे हमें बहुत फायदा होगा । सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो कुछ खुदगर्ज किस्म के लोग जनता के अन्दर तरह–तरह की गलतफहमियों फैलाकर देश में लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा । गलतफहमियां के फैलने से जो लड़ाई–झगड़े होंगे, उससे होने वाले नुक्सान का अन्दाजा नहीं लगाया जा सस्ता । आप जानते है कि जब जनता को इकट्ठा कर लिया जाए और उनके अन्दर कोई गलत किस्म की भावना भड़काने की कोशिश की जाए और खुदा न खास्ता यह भावना एक बार भड़क जाए तो भड़कने के बाद उसको रोकने का किसी प्रकार से भी इन्तजाम नहीं हो सकता । उससे लाखों करोड़ों रुपए को प्रॉपर्टी तो कई बार जलती ही है लेकिन उसके साथ–साथ कई जाने भी ख्वामखाह जाया चली जाती हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि यह अवार्ड जितनी जल्दी इम्पलीमैंट

किया जाए उतना ही अच्छा है । आप जानते हैं अवार्ड देने वाली प्राईम मिनिस्टर भी वही हैं और हरियाणा में जो सरकार उस वक्त थी वह भी वही है । लेकिन पंजाब में थोड़ी सी तबदीली है । मैं यह समझता हूं कि पंजाब में यह तबदीली होने की वजह से फेवरेबल सरकमस्टासिज हैं । जब अवार्ड दिया गया, उस वक्त वहां पर अकालियों की सरकार थी और वह चण्डीगढ का इलाका लेना चाहती थी और अबोहर–फाजिल्का का इलाका देना चाहती थी । भारत सरकार ने उन्हें कहा कि हम इस तरह से कर देते हैं कि चण्डीगढ आपको दे देते हैं और वह इलाका हरियाणा को देते है । मेरे कहने का मतबल यह है कि यह फैसला भारत सरकार ने उनकी कंसलटेशन से किया था । उनके सन्त ने यह फैसला मानकर अपना वत छोड़ा था । अब वह सरकार तो चली गई, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है । कांग्रेस सरकार आने से तो और भी फेवरेबल सरकमस्टांसिज हैंऔर यही एक प्रॉपर टाईम है जबकि इस अवार्ड को जल्दी से जल्दी बगैर किसी माली या जानी नूक्सान के अमली जामे पहनाया जा सकता है । इन शब्दों के साथ मैं इस रैजोल्यूशन की पुरजोर ताईद करता हूं ।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला–अनुसूचित जाति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फाजिल्का और अबोहर के बारे में एक रैजोल्यूशन सदन के सामने आया हुआ है । यह एक बहुत ही अहम रैजोल्यूशन है । मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं इसी प्रकार का रैजोल्यूशन पहले भी दो दफा आ चुका है और इस वारे

में काफी से ज्यादा डिसकशन भी हुई है । 'क्य भी इस पर बड़ी भारी चर्चा चली है । यह रुक बहुत जरूरी चीज थी कि फिर से सेन्टर की सरकार के सामने यह रखा जाए कि हरियाणा इस अवार्ड को जल्दी से जल्दी लागू करवाना चाहती है । यह एक बहुत ही अहम बात थी । जव चण्डीगढ हम से गया तो हरियाणा के लोगों को, हरियाणा को जनता को बड़ा भारी दुख हुआ । यह दुख इसलिए हुआ कि यह एक काफी बडा शहर है और इसकी चर्चा विदेशों में भी गई है..... ।

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 P.M. today.

12.00 बजे

(The Sabha then* adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 17th January, 1974)